पत्रिका, ग्वालियर दिनांक 22.09.2020, पृष्ठ-16

विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट

कैग की रिपोर्ट में खुलासा : कहीं कलेक्टरों ने नियुक्तियों में धांधली की, कहीं कोषालय से अनाधिकृत खातों में डलवाए गए करोड़ों रुपए

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. आर्थिक अनियमितता के अनेक मामलों का खुलासा भारत के नियंत्रक, महालेखापरीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। सोमवार को यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी गई। यह रिपोर्ट प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की है।•इसमें कहीं कलेक्टरों द्वारा अवैध नियुक्तियों के जरिए धांधली करने का मामला सामने आया है, कहीं कोषालय से अनाधिकृत खातों में करोड़ों रुपए डलवा दिए गए। यहां तक कि निर्वाचन के लिए खरीदी में भी अनियमितता का खुलासा हुआ है। सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र पर 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष की इस रिपोर्ट में अनियमितता के और भी मामले उजागर हुए हैं।

वोटिंग कम्पार्टमेंट खरीदी में 5.77 करोड़ की अनियमितता

कैग की रिपोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वोटिंग कम्पार्टमेंट की खरीदी की जानी थी। प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर खरीदी करने में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विफल बताए गए हैं। इसकी वजह से खरीदी में 5.77 करोड़ की अनियमित खरीद हुई और 5.06 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

छतरपुर के सीएचएमओ में हेराफेरी व गबन का मामला

छतरपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचएमओ) ऑफिस में स्टोर प्रबंधन के प्रावधान और विभागीय निर्देशों की अनदेखी कर हेराफेरी का मामला ऑडिट के दौरान पकड़ में आया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार यहां अधीनस्थ इकाइयों में सप्लाई करने के लिए दवा और अन्य चिकित्सकीय सामग्री खरीदी में घोटाला किया गया। स्टोर कीपर ने 12.71 लाख रुपए का गबन किया।

मुरैना, श्योपुर में 20 अवैध नियुक्तियां कर कलेक्टरों ने की 76.12 लाख की गड़बड़ी

मुरैना और श्योपुर में जिला प्रशासन की 76.12 लाख की आर्थिक अनियमितता उजागर हुई है। तत्कालीन कलेक्टरों ने सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के पदों पर 20 अवैध नियुक्तियां कर डालीं। इनके वेतन-भत्तों के रूप में इस राशि की गड़बड़ी की गई है। कैग की रिपोर्ट में अध्याय 3 के पैरा 3.2 में उक्त आर्थिक अनियमितता का उल्लेख किया गया है।

ग्वालियर पत्रिका फेसबुक पेज visit, like and share
आगे बढ़ें हर खबर से आपको रखे अपडेट facebook.com/gwalior.patrika

कपटपूर्ण आहरण और अनाधिकृत खातों में जमा कराए 4.24 करोड़

कोषालय स्तर पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की नाकामी और बीसीओ/संचालनालय की चूक के कारण बड़ी गड़बड़ी हो गई। इसके कारण डीपीओ, पीओ द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 4.24 करोड़ रुपए डकार लिए गए। इस राशि को कपटपूर्ण तरीके से आहरण किया और इसे अनाधिकृत खातों में जमा कराया गया। आइसीडीएस के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत असंबंधित बैंक खातों में 4 करोड़ रुपए का कपटपूर्ण भुगतान किया गया।

यहां भी हुई गड़बड़ी

- जबलपुर नगर निगम, बड़वानी नगर परिषद में उच्च दाब कनेक्शनों के पॉवर फैक्टर का निर्धारित स्तर पर संधारण करने में विफलता की वजह से विद्युत वितरण कंपनियों को अधिरोपित शास्तियों के भुगतान में 1.10 करोड़ का खर्च हुआ।
- पूरक पोषण कार्यक्रम में धार, खरगोन, उमरिया जिलों में स्वसहायता समूहों को पोषण आहार की राशि में 2.32 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया। यह भुगतान जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से किया गया।
- बुरहानपुर, छिंदवाड़ा के सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण और कटनी, मंदसौर, उज्जैन, देवास के जिला संयोजक आदिम जाति कल्याससण द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को पर्यवेक्षण शुल्क तथा उसपर सेवाकर के रूप में 1.06 करोड़ का अधिक भुगतान किया।

वॉटर ऑडिट नहीं कराया जाता नगर निगम में

भोपाल और इंदौर में जल स्रोतों से प्राप्ति, वितरण और पानी की बर्बादी को लेकर ऑडिट किया गया। इसमें दोनों नगर निगम को सामाजिक क्षेत्र के ऑडिट में जल प्रदाय व्यवस्था में फेल बताया गया है। कैग की इस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि दोनों नगर निगम क्षेत्रों में फिल्टर प्लांट से आने वाले पानी और टंकियों के माध्यम से उसके वितरण में 30 से 70 प्रतिशत की रेंज का अंतर है। इसकी वजह पानी की बर्बादी रोकने का समुचित इंतजाम नहीं होना है। यहां लीकेज डिटेक्शन सेल यानी पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाने के लिए कोई प्रकोष्ठ नहीं है। इसी तरह वॉल्व और सप्लाई सिस्टम में प्रवाह मीटर नहीं लगाए गए हैं। जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी प्रणाली विकसित नहीं की गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों नगर निगम में जल आपूर्ति योजनाओं की निगरानी की कोई प्रणाली नहीं है।

ऑडिट रिपोर्ट में 9.41 लाख रहवासियों में से केवल 5.30 लाख रहवासियों को ही ही अधिकृत नल कनेक्शन दिए गए हैं, जो मात्र 56.32 प्रतिशत है।

ग्वालियर हलचल, दिनांक 22.09.2020
(मंगलवार)
पेज-12

सीएजी ने तत्कालीन मुरैना कलेक्टर विनोद शर्मा और श्योपुर कलेक्टर सोलंकी को अवैध नियुक्तियां करने वाला बताया

ग्वालियर हलचल संवाददाता

ग्वालियर, 22 सितम्बर। भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की जांच रिपोर्ट में मुरैना के तत्कालीन कलेक्टर विनोद शर्मा और श्योपुर के तत्कालीन कलेक्अर पीएल सोलंकी को 20 अवैध नियुक्तियां कर निर्धारित भर्ती नियमों का उल्लंघन करने वाला बताया गया है।

कैग के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष प्रतिवेदन में पेज 45 पर उल्लेख है कि निर्वाचन कार्य हेतु सृर्जित अस्थाई पदों के

विनोद शर्मा, जिला कलेक्टर, मुरैना, मध्यप्रदेश

(फाइल फोटो)

विरुध्द पूर्व में संलग्न 20 व्यक्तियों को तत्कालीन कलेक्टरों (कलेक्टर मुरैना विनोद शर्मा, कलेक्टर पीएल सोलंकी द्वारा रिक्त पदों के विरुध्द नियमित रूप से सहायक ग्रेड-3 तथा भृत्य के पद पर नियुक्त (जनवरी से अगस्त 2016) किया गया था। यह नियुक्तियां नियुक्ति आदेशों में संबंधित भर्ती नियमों का उल्लेख किए बिना तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों के नियुक्तियों के संबंध में म.प्र. कनिष्ठ सेवा (संयुक्त अर्हकारी) परीक्षा नियम 2013 , फरवरी 2011 तथा मई 2011 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुदेशों /दिशा निर्देशों में निर्धारित उपयुक्त नियमित भर्ती प्रकिया का पालन किए बिना किया गया था। इन अवैध 20 कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि 76.12 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

T20 League THE UNOFFICIAL UMPIRE SEASON 3

In Association with fortune chakki fresh atta ASTRAL PIPES Khatabook

कैग की रिपोर्ट में खुलासा: 5 साल भोपाल के 3.62 लाख, इंदौर के 5.33 लाख लोगों को मिला दूषित पानी; दोनों शहरों में पानी का 470 करोड़ रुपए बकाया

भोपाल 17 दिन पहले

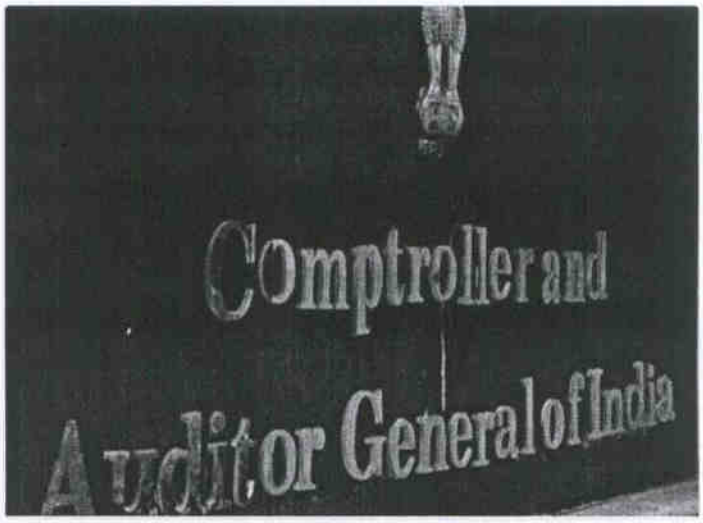

फाइल फोटो

जांच- 45 बड़ी व उच्च स्तरीय टंकियों में 23 की नहीं हुई नियमित साफ-सफाई

खनिज अफसरों के कारण 207 करोड़ का नुकसान

In Association with fortune chakki fresh atta In Association with ASTRAL PIPES In Association with Khatabook

हैदराबाद 201-6 (20.0) VS पंजाब 132-10 (16.5)

सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स XI पंजाब को 69 रनों से हराया

फीडबैक

Download App from
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
Follow us on

विधानसभा के एक दिनी सत्र में सोमवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक अहम रिपोर्ट पेश की गई। इसमें बताया गया कि वर्ष 2013 से 2018 के बीच भोपाल के 3.62 लाख और इंदौर के 5.33 लाख लोगों को दूषित पानी सप्लाई हुआ। इनमें से साढ़े पांच लाख लोग इस पानी से बीमार हुए।

रिपोर्ट के मुताबिक इन शहरों में जिन टंकियों से पानी सप्लाई होता है, कैग की टीम ने जब उनकी जांच की तो पता चला कि 45 बड़ी व उच्च स्तरीय टंकियों में 23 की नियमित साफ-सफाई नहीं हुई। इनमें मिली मिट्टी की जैविक जांच में यह बात सामने आई। डिप्टी इंजीनियरों ने सफाई नहीं कराई और उच्च तकनीकी स्तर पर निगरानी भी नहीं की। दोनों नगर निगमों से लिए गए नमूनों में 4481 बीआईएस मानक 10500 के नीचे रहे। दोनों नगर निगमों में केवल 9.41 लाख लोगों (कुल जनसंख्या का 56.32%) के पास ही नल कनेक्शन हैं।

खनिज अफसरों के कारण 207 करोड़ का नुकसान

कैग रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च 2018 से पहले के वित्तीय वर्ष में खनिज विभाग के उच्च व जिला अधिकारियों की लापरवारी के कारण 207 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शिथिल अकार्यशील खदानों की निगरानी नहीं की गई।

रोड प्रोजेक्ट की गलत रिपोर्ट दी

सड़क विकास निगम में रोड के प्रोजेक्ट्स बनाने में बड़ी लापरवाही व अनियमितता की गई। इसके कारण फॉरेस्ट को न केवल नुकसान हुआ, बल्कि चार माह से लेकर दो साल तक प्रोजेक्ट लेट हुए। कैग ने एक अन्य रिपोर्ट में इस खुलासे के साथ ही बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) प्रोजेक्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं।

कैग के अनुसार निगम में तैनात सलाहकारों ने अपनी फिजीबिलिटी रिपोर्ट में हमेशा वन क्षेत्र की उपेक्षा की और यातायात के अनुमानों को असामान्य रूप से अधिक दिखाया। इन रिपोर्ट को संभागीय कार्यालयों से सत्यापन कराए बिना ही सड़क विकास निगम ने मान लिया। स्थिति यह बनी कि टोल लगाने की निविदा फेल हो गई

पानी की सप्लाई का जो वादा किया, वो भी अधूरा

सरकार की अधिसूचना में भोपाल ने प्रतिदिन 2 से 4 घंटे और इंदौर ने 30 मिनट से एक घंटा पानी देने की बात कही थी, लेकिन दोनों निगमों ने एक दिन के अंतराल से 30 से 60 मिनट ही पानी दिया। प्रतिव्यक्ति पानी की सप्लाई में भी भोपाल में 9 से 20 लीटर और इंदौर में 36 से 62 लीटर कम पानी दिया गया। सही निगरानी नहीं होने से 30 से लेकर 70% तक पानी बर्बाद हुआ।

भोपाल की अन्य खबरें

धोखाधड़ी का नया तरीका: दिल्ली से भोपाल के प्रॉपर्टी कारोबारी को फोन आया; मोबाइल फोन तीन गुना कम में देने का ऑफर, बॉक्स में कागज निकलने पर गुस्से में अपना मोबाइल फोन भी तोड़ा

आज का राशिफल सिंह
सिंह | Leo
पॉजिटिव- अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो वह आज किसी अधिकारी की मदद से पूर्ण हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहें। कोई महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त होगा तथा भावनात्मक रूप से आप अपने आपको सशक्त और ऊर्जावान मह...
और पढ़ें
फीडबैक दें

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

पत्रिका, भोपाल
24/09/2020

अधिकारी डकार गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का करोड़ों रुपए का मानदेय

कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 2014-2016 के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के करोड़ों रुपए के मानदेय में गड़बड़ी की गई...

By: Shailendra Sharma
Updated: 24 Sep 2020, 01:29 PM IST Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India

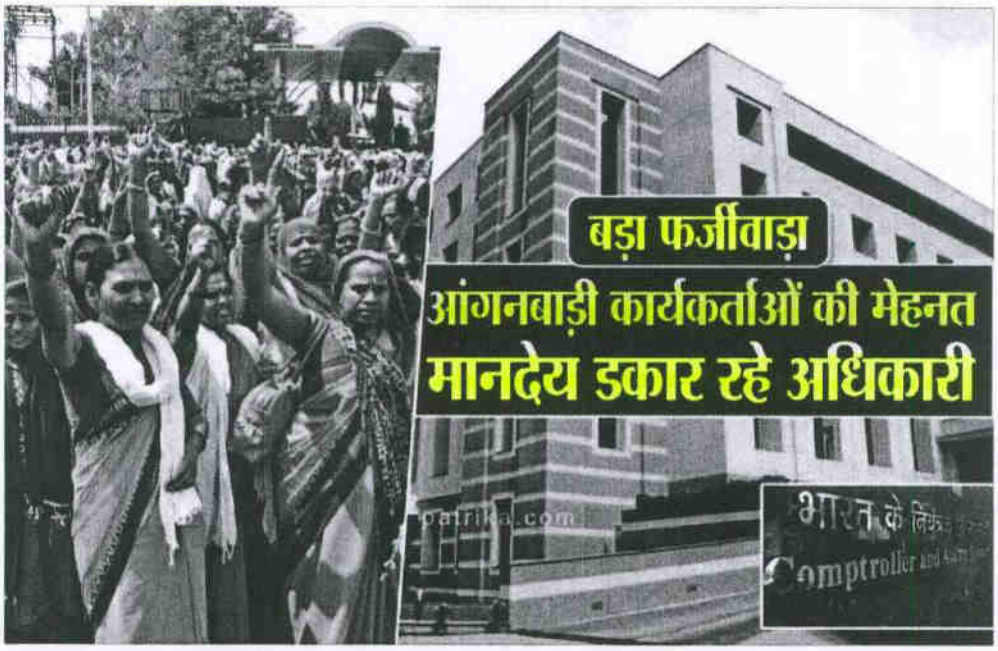

भोपाल. मध्यप्रदेश में अधिकारियों के एक और बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ है। ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में किया गया है जिसमें बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का करीब 3.19 करोड़ रुपए का मानदेय गड़बड़ी कर अधिकारियों ने अपने खातों में जमा कर ली। विधानसभा में पेश की गई कैग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2016 के बीच प्रदेश की राजधानी भोपाल और रायसेन जिले के परियोजना अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का मानदेय गलत तरीके से अपने खातों में जमा करवा लिया। साल 2014 से 2016 के बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय की करीब 3.19 करोड़ रुपए की राशि को डाटा एंट्री व कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ ही दूसरे 89 बैंक खातों में जमा कराया गया। जिन खातों में पैसा जमा कराया गया उनमें 9 खाते डाटा एंट्री व कप्यूटर ऑपरेटरों के थे और दो खाते परियोजना कार्यालयों में काम करने वाले दो अन्य लोगों के थे और एक खाता पीओ में काम करने वाले कर्मचारी की बेटी का भी था। बाकी खाते किन लोगों के थे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर पीओ का नाम दर्ज

कैग की जांच में ये भी पता चला है कि भोपाल की एक पीओ सुधा विमल का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रुप में दर्ज है जिसे मोतियापार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दर्शाया गया है इतना ही नहीं उसके खाते में बैरसिया, बरखेड़ी, चांदबड़ और गोविंदपुरा के साथ रायसेन के उदयपुरा परियोजना के पैसे जमा कराए जाने का खुलासा हुआ है। सितंबर 2016 से लेकर अगस्त 2018 तक भोपाल डीपीओ के द्वारा 44 बैंक खातों में 39.61 लाख रुपए जमा कराए जाने का भी जिक्र कैग की रिपोर्ट में है इनमें से 23 खातों में परियोजना अधिकारियों ने भी पैसा जमा कराया है।

भोपाल डीपीओ ने दो बार किया एक बिल का भुगतान

विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के डीपीओ ने बच्चों को दिए जाने वाले

फ्लेवर्ड दूध का भुगतान 4 लाख 73 हजार रुपए जिस तारीख और बिल क्रमांक से किया, उसी तारीख और क्रमांक से 14 लाख एक हजार रुपए का भी भुगतान हुआ। भोपाल और रायसेन के अलावा मुरैना, अलीराजपुर, विदिशा और झाबुआ में भी गड़बड़ी मिली है। यहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी व परियोजना अधिकारियों के दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मानदेय का 65 लाख 72 हजार गलत तरीके से निकाला गया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के नाम पर ऐसे खातों में जमा कराया गया है जो फर्मों के नाम पर हैं और कुछ खाते तो कर्मचारियों के परिजनों के हैं।

MP में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी कम्प्यूटर ऑपरेटर्स के खाते में डाली, CAG रिपोर्ट में खुलासा

Bhopal News in Hindi

भोपाल, रायसेन,विदिशा, मुरैना, अलीराजपुर और झाबुआ में गड़बड़ी सामने आई है

भोपाल. एमपी विधानसभा (MP Assembly) का एक दिन का सत्र बड़ा घमासान खड़ा कर गया. डेढ़ घंटे के सत्र में कैग (CAG) की रिपोर्ट आने के बाद अब मध्य प्रदेश में सियासी हल्ला हो रहा है.रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सैलरी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गयी. बस इस खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. कांग्रेस जिम्मेदार विभाग के मंत्री और उनके अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है इस मामले की पहले जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी.

कैग (CAG) के अनुसार मई 2014 से दिसंबर 2016 के बीच जब एमपी (MP) में शिवराज सरकार थी भोपाल, रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की करीब 3.19 करोड़ रु. की मानदेय राशि डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित दूसरे 89 बैंक अकाउंट में जमा करा दी.

बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में कई घोटाले हुए हैं. अब कैग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ हुए घोटाले को उजागर किया है. सरकार में फर्जीवाड़ा होता रहा, इसकी जांच होनी चाहिए. दोषी विभाग के मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस कर रही है. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा यदि ऐसा कोई मामला आया है तो उसकी जांच की जाएगी. जांच के बाद दोषियों खिलाफ कार्रवाई होगी.

फोटो

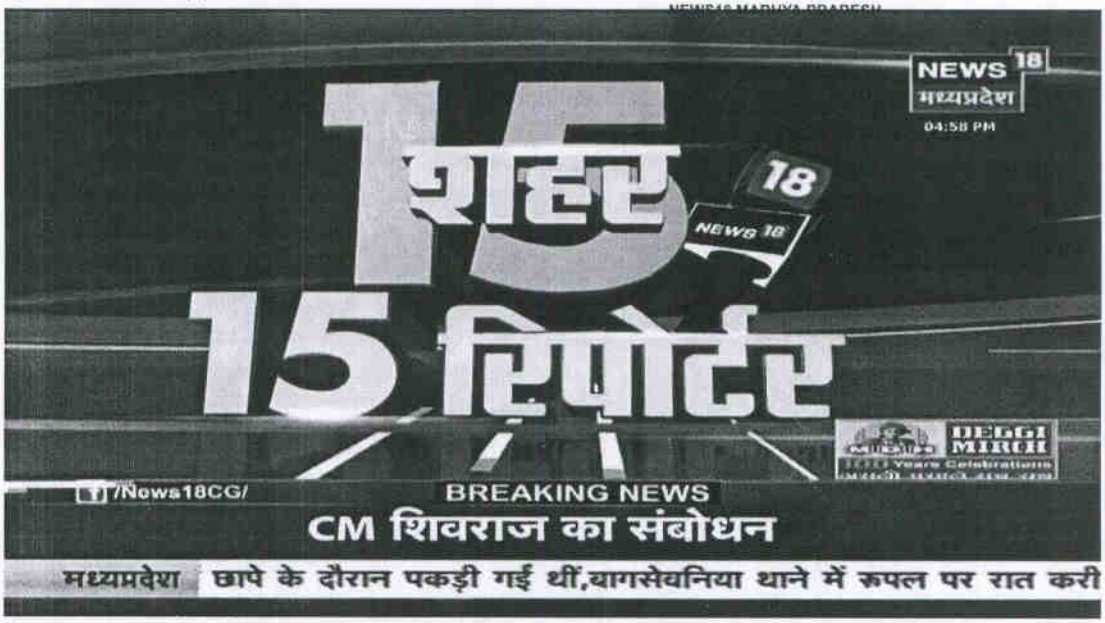

Birthday Deen Dayal Upadhyay : जनसंघ का वो कद्दावर नेता, जिसकी मौत आज भी रहस्य है

कांगड़ा में सड़क हादसा: बेटे के शव से लिपटकर रोते रहे परिजन, आरोपी कार चालक को पीटती रही भीड़

PHOTOS: कुल्हाड़ी से हमला कर की सास और साली की हत्या, फिर शवों से किया रेप

NEWS18 MADHYA PRADESH

ये है पूरा मामला...

-कैग के अनुसार मई 2014 से दिसंबर 2016 के बीच जब एमपी में शिवराज सरकार थी भोपाल, रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने

अकाउंट में जमा करा दी.

-विदिशा, मुरैना, अलीराजपुर और झाबुआ में भी गड़बड़ी सामने आई है. यहां जिला कार्यक्रम और परियोजना अधिकारियों के दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मानदेय का 65 लाख 72 हजार रुपए गलत तरीके से निकाला गया. बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो पैसा जिन खातों में जमा कराया गया वो फर्मों और कर्मचारियों के परिवारजनों के नाम पर थे.

CAG | CAG Report | madhya pradesh news

Promoted Content

This Watch surprises the whole country. The price? Ridiculous! (only $69)
News Gadget

Improve your PC's performance in a few clicks
pchelpsoft.net

Meet the Indonesian doctor who has rescued more than 1,000 stray and abandoned
CNA Lifestyle

1 Crore Life Cover + Regular Monthly Income @ 490/month*.
Term Life Insurance - Get Free

This Rs.1999/yr app, gives access to over 5000 magazine n papers. Buy
Magzter

What will become of China's Belt and Road initiative across Asia
CNA - Insight

Tokyo's new see-through toilets aim to enhance public spaces
CNA

Beware romance scams targeting seniors!
GreatCall.com

Recommended by

LIVE: कृषि बिल के खिलाफ किसानों का महासंग्राम, तेजस्वी ने निकाली ट्रैक्टर रैली

Live: रकुलप्रीत सिंह NCB दफ्तर के लिए निकलीं, कुछ देर में होगी पूछताछ

देश में कोरोना केस 58 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 86 हजार से ज्यादा मरीज

You Might Also Like

Better tools for quicker results.
Dell

BUSINESS DEALS ON PREMIUM TECH
Dell

Kia Sonet Urban SUV Starts @ 6.71 Lakh
Kia Motors India

Recommended by

छतरपुर : कर्ज से परेशान ज़िला सहकारी बैंक समिति के प्रबंधक ने की खुदकुशी, दो अफसरों पर लगाया आरोप

रास्ते में समिति प्रबंधक सुरेश कुमार नायक ने अपनी बेटी के मोबाइल फोन में अपनी आखिरी बात रिकॉर्ड की. उन्होंने सहकारी बैंक के दो लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया

छतरपुर.हरपालपुर में ज़िला सहकारी बैंक भदर्रा समिति प्रबंधक ने ज़हर खाकर खुदकुशी (Suicide) कर ली.प्रबंधक ने मौत से पहले वीडियो बनाया और सुसाइड नोट (Suicide note) छोड़ा है. उसमें उन्होंने समिति के अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. भदर्रा समिति प्रबंधक सुरेश कुमार नायक सहकारी बैंक में काम कर रहे थे.अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी.बैंक के दो लोग उन्हें निजी अस्पताल के बाहर छोड़कर चले गये.जब परिवार वालों को पता चला तो वह उन्हें पहले नौगांव अस्पताल लाये. लेकिन हालत गंभीर होने पर उन्हे झांसी मेडिकल

फोटो

Birthday Deen Dayal Upadhyay : जनसंघ का वो कद्दावर नेता, जिसकी मौत आज भी रहस्य है

ग्वालियर हलचल

सान्ध्य दैनिक

वर्ष	अंक	ग्वालियर	गुरूवार	पेज	मूल्य	R.N.I. No.
19	264	(मध्यप्रदेश)	24 सितम्बर 2020	12	3 रुपए	MPHIN/2001/5175

ग्वालियर हलचल को इन्टरनेट पर पढ़ें

www.gwaliorhulchal.com

शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1100 अंक टूटा, निफ्टी भी धड़ाम

नई दिल्ली, 24 सितम्बर(ए.)। शेयर बाजार की हालत एक बार फिर मार्च महीने जैसी हो गई है. बीते कुछ दिनों में शेयर बाजार में जबरदस्त बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1100 अंक की गिरावट के साथ 36,550 अंक के स्तर पर आ गया. निफ्टी की बात करें तो 350 अंक की गिरावट के साथ 10,800 अंक के नीचे लुढ़क गया. कारोबार के दौरान बीएसई इंडेक्स के सभी शेयर लाल निशान पर थे. कारोबार के (शेष पेज 4 पर)

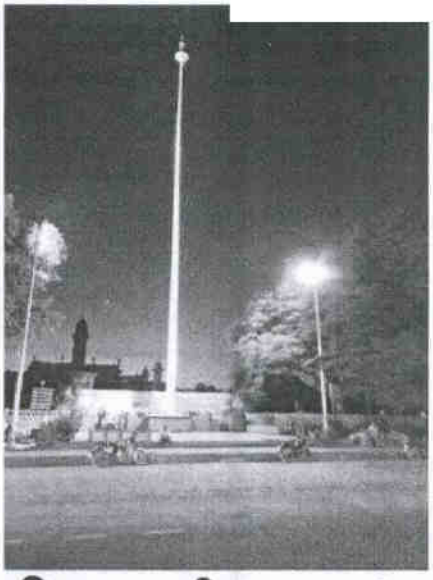

विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज गायब

ग्वालियर में फालका बाजार दुकानदार संघ के अध्यक्ष रामकिशोर गुप्ता(बब्बलू) ने यह फोटो ग्वालियर हलचल को उपलब्ध कराया है। उनका कहना है कि कटोरातााल रोड़ पर कुछ वर्ष पूर्व स्थापित किए विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज गायब है। श्री गुप्ता का कहना है कि जिस सामाजिक संस्था ने इस राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ को स्थापित किया था , उसे इसका रख-रखाव भी करना चाहिए था।

मालूम हो कि तत्कालीन ग्वालियर महापौर समीक्षा गुप्ता ने विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का अनावरण किया था।

समाचार संकलन: ग्वालियर हलचल

कंगना मामले में कोर्ट ने बीएमसी को फटकारा-तोड़ने में समय नहीं लगा-जवाब में क्यों?

मुंबई, 24 सितम्बर(ए.)। कंगना रनौत दफ्तर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. हाई कोर्ट ने मुंबई में गिरती इमारतों को लेकर BMC को फटकार लगाई है. हाईकोर्ट ने BMC से कहा है कि मानसून में आप टूटी इमारत इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं. कोर्ट ने BMC से कहा है कि वैसे तो आप तेज हैं लेकिन इस मामले में सुस्ती दिखाई.सुनवाई के दौरान BMC अफसरों और संजय राउत ने अपनी बात वकीलों के जरिए कही जबकि कंगना का पक्ष उनके वकील प्रदीप थोराट रख रहे थे. बीएमसी का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए दो दिन का समय चाहिए जिस पर जस्टिस कठावला भड़क गए. उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दे सकते.

कोर्ट ने कहा कि यूं तो आप बहुत तेज हैं लेकिन जब आप पर आरोप लगते हैं और जवाब मांगा जाता है तो आप पांव खींचने लगते हैं. कोर्ट कल दोपहर 3 बजे इस मामले की सुनवाई करेगा. बता दें कि जज याचिका के ठीक नहीं होने पर नाराजगी दिखाते नजर आए जिस पर कंगना का पक्ष रख रहे एडवोकेट वीरेन सराफ ने माफी मांगी और कहा कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा.

बता दें कि कंगना ने मुंबई में इमारत के गिरने के बाद इस मामले में सुबह ही ट्वीट किया था. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और बीएमसी. जब मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ रहे थे, उस वक्त उतना ध्यान इस बिल्डिंग पर दिया होता तो आज यह लगभग पचास लोग (शेष पेज 10 पर)

घरेलू नल कनेक्शन से जलापूर्ति की हो रही कारगर पहल,11 जिलों की नलजल योजना पर होंगे ढ़ाई अरब से अधिक खर्च

ग्वालियर हलचल संवाददाता

भोपाल ,24 सितम्बर(ए.)। सभी के घर नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति हो और किसी को अपनी जरूरत अनुसार जल के लिए यहाँ-वहाँ नही जाना पड़े इसके लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पूरी तत्परता से ग्रामीण क्षेत्र के लिये पेयजल की सुदृढ़ व्यवस्था पर कार्य कर रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर, मुरैना तथा सागर संभाग के 11 (शेष पेज 12 पर)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 5 करोड़ से अधिक का अनियमित व्यय किया

विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी जवाब-तलब

प्रदीप मांडरे

ग्वालियर हलचल

ग्वालियर/भोपाल,24 सितम्बर । भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अन्तर्गत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (इंडियन ऑडिट एण्ड एकाउण्ट डिपार्टमेंट) ने मध्यप्रदेश के विधि एवं विधायी कार्य (निर्वाचन) विभाग में 5 करोड़ , 77 लाख रूपयों का अनियमित व्यय पाया है। विधानसभा की पब्लिक एकाउण्ट कमेटी (लोक लेखा समिति)इस नियम विरुध्द कार्य पर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी, विधि एव विधायी कार्य विभाग के शीर्ष अधिकारी से जवाब-तलब करेगी।

मध्यप्रदेश विधानसभा में 21 सितम्बर को प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के मुताबिक भारत के निर्वाचन आयोग ने वोटिंग कम्पार्टमेंट के उपयोग पर एकरूपता के संबंध में सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नवम्बर 2016 में निर्देश जारी कर यह निर्धारित किया था कि वोटिंग कम्पार्टमेंट केवल स्टील ग्रे रंग की कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट (फ्लेक्स बोर्ड) से जो अपारदर्शी एवं पुन: उपयोग किये जाने योग्य है, बनाया जाना चाहिए।

चार जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा(फरवरी 2018 से मार्च 2018), एकत्रित जानकारी(नवम्बर 2018) एवं 15 जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वोटिंग कम्पार्टमेंट के उर्पाजन के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी (जनवरी 2019) से पता चला कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्यप्रदेश ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट के बजाय पी.वी.सी फोम(आईटम कोड-एसएमएम 169204) से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (एमपीएलयूएन)से क्रय करने के अनुदेश (फरवरी 2017 एवं अप्रैल 2017)जारी किये थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किये गए अनुदेशों (शेष पेज 12 पर)

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की कुलपति डॉ.संगीता शुक्ला ने आज बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी इन्टरनेशनल कम्युनिकेशन सेण्टर का कल 25 सितम्बर को लोकार्पण करेंगे।

अब 1 साल पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी

(पेज 12 पर)

नरोत्तम को अभी आगे बढ़ना है , सत्ता के नशे से दूर रहें

(पेज 4 पर)

घरेलू नल कनेक्शन से जलापूर्ति की हो रही कारगर पहल,11 जिलों की नलजल योजना पर होंगे ढ़ाई अरब से अधिक खर्च

पेज 1 का शेष

जिलों के लिए ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना में 2 अरब 52 करोड़ 80 लाख 39 हजार रूपये की (रेट्रोफिटिंग अन्तर्गत) स्वीकृति जारी की गई है।

ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना में ग्वालियर की 28, गुना की 10, अशोकनगर की 25 एवं शिवपुरी की 9 जल संरचनाएँ, मुरैना की 46 एवं भिण्ड जिले की 5 जल संरचनाएँ तथा सागर की 10, दमोह की 42, पन्ना की 25, छतरपुर की 16 एवं टीकमगढ़ की 29 जल संरचनाओं को शामिल किया गया है।

योजना में शामिल सभी ग्रामों में पूर्व में निर्मित पेयजल अधोसंरचना के उपयोगी अवयवों को शामिल करते हुए जल संरचनाओं पर क्रियान्वयन किया जाना है।

सभी 245 जल संरचनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद इनकी डिजाइन एवं ड्राइंग तैयार करवायी जाएगी। इन ग्रामीण नल-जल प्रदाय योजनाओं पर विभाग की जिला इकाइयों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

अब 1 साल पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी, अपनी सैलरी के हिसाब से समझें कैलकुलेशन

नई दिल्ली, 24 सितम्बर(ए.)। आकाश कुमार को एक निजी कंपनी में नौकरी करते करीब 5 साल होने वाले हैं. कुछ दिन पहले तक आकाश कुमार नौकरी बदलना चाहते थे लेकिन सहयोगी ने 5 साल पूरा कर ग्रेच्युटी लेने की सलाह दी है. आकाश ग्रेच्युटी के लिए अब 5 साल पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन नौकरीपेशा लोगों को आकाश की तरह इतने दिनों का इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, केंद्र सरकार के नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है. इस मंजूरी के बाद अब ग्रेच्युटी लेने के लिए 5 साल की लिमिट खत्म हो गई है. आसान भाषा में समझें तो आपको कंपनी हर साल ग्रेच्युटी देगी. अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्यरत रहना जरूरी था. ये नियम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा. बता दें कि ग्रेच्युटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है. इसके लिए लगातार 5 साल एक ही कंपनी में कार्यरत होना जरूरी होता है. हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेच्युटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है. ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होती है.

कैसे कैलकुलेट होती है रकम

कुल ग्रेच्युटी की रकम = (अंतिम सैलरी) × (15/26) × (कंपनी में कितने साल काम किया).

उदाहरण से समझिए

मान लीजिए कि कुंदन ने 7 साल एक ही कंपनी में काम किया. कुंदन की अंतिम सैलरी 35000 रुपये (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर) है. तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार होगा— (35000) × (15/26) × (7)= 1,41,346 रुपये. मतलब ये कि कुंदन को 1,41,346 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा.

कैलकुलेशन में 15/26 का मतलब

दरअसल, एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्यु?टी का कैलकुलेशन होता है. वहीं, महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी होती है. ग्रेच्युटी कैलकुलेशन की एक ?अहम बात ये भी है कि इसमें कोई कर्मचारी 6 महीने से ज्यादा काम करता है तो उसकी गणना एक साल के तौर पर की जाएगी. अगर कोई कर्मचारी 7 साल 7 महीने काम करता है तो उसे 8 साल मान लिया जाएगा और इसी आधार पर ग्रेच्युटी की रकम बनेगी. वहीं, अगर 7 साल 3 महीने काम करता है तो उसे 7 साल ही माना जाएगा.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 5 करोड़ से अधिक का अनियमित व्यय किया

विधानसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी जवाब-तलब

पेज 1 का शेष

के अनुपालन में इन 19 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने जुलाई 2017 से जून 2018 तक रू. 5.77 करोड़ व्यय कर एमपीएलयूएन से 32,063 वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किये थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमपीएलयूएन ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्य प्रदेश के अनुरोध (जनवरी 2017) पर पी.वी.सी फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट हेतु अगस्त 2016 से जुलाई 2017 के दौरान रू.1.134 प्रति वर्ग मीटर तथा नवम्बर 2017 से दिसम्बर 2018 के दौरान रू1078 प्रति वर्ग मीटर की दर से दर अनुबंध (रेट कॉन्ट्रेक्ट) किया था। दो बैलेट यूनिटों (बी.यू)हेतु एक वोटिंग कम्पार्टमेंट का पृष्ठ क्षेत्रफल 1.626 वर्ग मीटर है। इस प्रकार मध्यप्रदेश में एक वोटिंग कम्पार्टमेंट (दो बैलेट यूनिट) की प्रभावी दर इस अवधि के दौरान क्रमशः रू 1844 तथा 1753 थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भारत के निर्वाचन आयोग के अनुदेशों (नवम्बर 2016)के अनुसरण में मुख्य निर्वाचन अधिकारी , उत्तरप्रदेश ने कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट (फ्लैक्स बोर्ड)से बने एक , दो , तीन एवं चार बैलेट यूनिट वाले वोटिंग कम्पार्टमेंट के लिए क्रमशः रू135, रू150, रू165 तथा रू180 प्रति बैलेट यूनिट की दर तय की थी। इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश में भी एक बैलेट यूनिट के लिए प्रयुक्त वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर रू 222 प्रति वोटिंग कम्पार्टमेंट तय की गयी थी। स्पष्टतः मध्यप्रदेश में वोटिंग कम्पार्टमेंट की दर उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की तुलना असाधारण रूप से अधिक थी।

लेखापरीक्षा में यह महसूस किया गया कि चूंकि कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 के परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' में सम्मिलित नहीं थी तथा उक्त सामग्री एम.पी.एल.यू.एन. दर अनुबंध में भी उपलब्ध नहीं थी, अतः क्रय में प्रतिस्पर्धात्मक दरों को सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उर्पाजन नियम 2015 के नियम 11.2 के अनुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित कोरुगेटिड प्लास्टिक शीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किए जाने चाहिए थे। केन्द्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों का , प्रावधानों का पालन न होने के परिणामस्वरुप 5.77 करोड़ रूपये का अनियमित व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी , राजस्थान द्वारा अनुमोदित दो बैलेट यूनिटों हेतु वोटिंग कम्पार्टमेंट की दरों की तुलना में 5.06 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा यानी सीएजी की टीम ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी , मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव , विधि एवं विधायी कार्य(निर्वाचन)के इस स्पष्टीकरण(उत्तर) को खारिज कर दिया कि पी.वी.सी. फोमशीट से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट निर्धारित वोटिंग कम्पार्टमेंट जैसे ही हैं तथा क्रय में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

लेखापरीक्षा ने कहा- उत्तर स्वीकार नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में वोटिंग कम्पार्टमेंट कोरूगेटिड प्लास्टिक बोर्ड से ही बनाये जाने चाहिए थे, जबकि विभाग द्वारा पी.वी.सी. फोम से बने वोटिंग कम्पार्टमेंट क्रय किए गये जो निर्धारित सामग्री से कई ज्यादा महंगे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी,मध्यप्रदेश ने भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशों का उल्लंघन किया।

ग्वालियर हलचल ने प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-1) मध्यप्रदेश , ग्वालियर कार्यालय के प्रवक्ता व उपमहालेखाकार जितेन्द्र तिवारी से पूछा कि उपरोक्त रिपोर्ट पर विधानसभा में क्या कार्रवाई हुई है?

वह बोले-अब आगे विधानसभा की पब्लिक एकाउण्ट कमेटी (पीएसी)लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन का अध्ययन करेगी। इसके अन्तर्गत प्रधानमहालेखाकार और संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव ,विभाग प्रमुख, कलेक्टर इत्यादि को बुलाया जाता है। पूछा जाता है कि रिपोर्ट में जो दर्शाया गया है , उस पर क्या एक्शन लिया गया, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

यह पूछे जाने पर कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा किए अनियमित व्यय का मामला केन्द्रीय चुनाव आयोग से जुड़ा है, क्या वहां के स्तर पर कार्रवाई नहीं होती? प्रधान महालेखाकार कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक केन्द्रीय चुनाव आयोग एक्शन लेता है, नहीं लेता है , वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे।

भोपाल, 24 सितम्बर(ए.)। किसानों द्वारा किसान हितैषी फैसलों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री चौहान का पुष्प-माला और पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। यह कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग और सीमित किसानों की भागीदारी के साथ आयोजित हुआ।

दैनिक भास्कर, प्रथम पृष्ठ, दिनांक 24.09.2020 (गुरूवार)

कैग ने पकड़ा घोटाला : 2014 से 2016 के बीच भोपाल, रायसेन में हुआ खेल

अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटरों के 89 खातों में डाला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा

पॉलिटिकल रिपोर्टर. भोपाल | नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने पोषण आहार मामले में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी है। कैग ने बताया कि मई 2014 से दिसंबर 2016 के बीच भोपाल, रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की करीब 3.19 करोड़ रु. की मानदेय राशि डाटा एंट्री व कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित अन्य 89 बैंक खातों में जमा करा दी। भोपाल की एक पीओ सुधा विमल मोतियापार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में दर्ज थीं। उनके खाते में बैरसिया के कई, बरखेड़ी, चांदबड़, गोविंदपुरा के एक-दो और रायसेन के उदयपुरा के परियोजना अधिकारियों का पैसा जमा था।

मानदेय 6 हजार रुपए, खाते में एक लाख

कैग के मुताबिक वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 के दौरान आंगनबाड़ी महिलाओं को 6 हजार रुपए मानदेय मिलता था। लेकिन उपरोक्त बैंक खातों में एक लाख 13 हजार रुपए तक के भुगतान मानदेय के रूप में किए गए। कुल 89 बैंक खातों में 9 डाटा एंट्री व कंप्यूटर ऑपरेटरों हेमंत पालीवाल, जयश्री उदय, ललित नागर, सुरेंद्र कुमार मौर्य, आशीष प्रजापति, लता यादव, माया नागले, राहुल खाटरकर और दीपक शुक्ला के एवं दो खाते परियोजना कार्यालयों (पीओ) में काम करने वाले लोगों दिलीप जेठानी व काशी प्रसाद और एक खाता गोविंदपुरा पीओ में काम करने वाले एक कर्मचारी की बेटी प्रतिमा लोकवानी का था।

शेष | पेज 4 पर

दैनिक भास्कर, चतुर्थ पृष्ठ, दिनांक 24.09.2020 (गुरूवार)

अफसरों ने कंप्यूटर ऑपरेटरों के...

बाकी बैंक खाताधारकों की पहचान ही नहीं हो सकी। सितंबर 2016 से लेकर अगस्त 2018 तक भोपाल के जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) ने 44 बैंक खातों में 39.61 लाख रुपए कपटपूर्ण तरीके से जमा किए। इसमें से 23 खातों में परियोजना अधिकारियों ने भी पैसा जमा कराया।

Hide Clips | Clip | Page 2 of 18 | Zoom | Searc

FREE PRESS www.freepressjournal.in
THURSDAY | SEPTEMBER 24, 2020 | BHOPAL / INDORE

Villagers protest power cuts

HOSHANGABAD: The villagers handed over a memorandum to the discom office on Wednesday. They complained of frequent power cuts right after the flood situation in Ghanabadh, Barkhedi and Bandrabhan villages. A villager Shivraj Chandrol said that all three villages have lost power after flood. Farmer Rambharose Gaur said that they get only a few hours of power supply in a day.

CAG SMACKS OF PROCEDURAL, FINANCIAL IRREGULARITIES IN PURCHASE OF 'VOTING COMPARTMENT' FOR ASSEMBLY ELECTIONS

CEO-MP violated purchase norms, caused over Rs 5 cr financial loss, says CAG report

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

The CAG report has found the Madhya Pradesh Chief Electoral Officer guilty of sidelining the instructions of the Election Commission of India in purchase of 'Voting Compartment' and thus causing loss of over Rs 5 crore to the exchequer. The Comptroller and Auditor General (CAG) smacks of financial irregularity in the purchase process followed in Madhya Pradesh for the Assembly election 2018.

The CAG has come across various financial and procedural irregularities into the procurement of the voting compartment done on the orders of the CEO MP.

The Election Commission of India had asked the CEO to purchase the voting compartments. It was specified that the compartment shall be of 'steel gray colour corrugated plastic sheet'. The CEO was also instructed to follow the procurement store rule.

ECI had instructed for 'steel grey colour corrugated plastic sheet compartment, the MP-CEO ordered for PVC Foam fitted compartment

The CEO issued the orders to the district collectors and the election officer to purchase the PVC Foam fitted voting compartment, in place of 'steel gray colour corrugated plastic sheet' from the MP Laghu Udyghyog Nigam (MP-LUN). The 19 districts procured the item from the MP-LUN between July 2017 and June 2018.

The state Uttar Pradesh purchased the 'steel gray colour corrugated plastic sheet' in four ranges Rs 135, Rs 150, Rs 165 and Rs 180. The state Rajasthan had procured the one ballot unit for Rs 222. However, here in home state the CEO-MP procured the units in two different ranges -Rs 1,844 and Rs 1753.

The ECI had made the mandatory to purchase only the 'steel gray colour corrugated plastic sheet', but the CEO-MP ignored the specifications and went ahead with procuring the 'PVC Foam' compartments.

When the CAG asked for an explanation from the CEO-MP, the authorities denied any irregularity in procurement claiming that the PVC Foam was as good as is as equal to the 'steel gray colour corrugated plastic sheet'.

The CAG found the answer unsatisfactory and quoted that the CEO had failed to follow the instructions of the ECI regarding the procurement procedure. The CEO should have called the tenders, e-tenders for the procurement, but the process was skipped. In the process, sum of Rs

Rs 5.06 crore was wasted if compared to state Rajasthan, said the CAG report.

2 hospital staffers killed as dumper hits bike

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

A man and a woman were killed, while another woman survived after the bike they were riding was hit by sand laden dumped in Kolar on the intervening night of Tuesday and Wednesday. The speeding dumper ran over them killing the two persons on the spot. Another woman flung in the air and escaped with injuries.

All of them were staffers in a private hospital and were heading towards their duty when the tragedy struck around 12 at midnight. The woman Pinki Ravania, who survived in the accident, is wife of the 40 year-old man Govind Ravania who was killed on the spot. The other woman who lost life was identified as Laxmi Bai.

Kolar police have seized the dumper while the driver is on the run. According to police, the deceased were residents of Bairagarh Chichli and worked in a private hospital. They were heading for their duty on the bike. Govind was riding the bike and the two women were riding pillion.

As they reached near D mart at Gehukheda, the speeding dumped coming from behind attempted to overtake them. In the attempt, it hit them from behind. Due to the collision the bike got stuck into the lower portion of the dumper and two victims came under its wheels. Both of them died on the spot. The third person Pinki survived. The dumper driver tried to flee and ran for a few metres with the bike still stuck under, but left the vehicle midway and ran away. SHO Kolar Sudheer Arjuria said a case has been registered against the driver.

3,000 guest scholars payless since July

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

More than 3,000 guest scholars from across the state are working without honorarium since July. In fact, they have not received regular pay for past several months. In July, they received pay for May and June after a gap of about three months. Before that, they got honorarium of March and April in May.

"At this time of pandemic when almost everybody is facing financial crisis, it is really hard to find people from whom we can borrow," said guest scholars' association convener DP Singh.

Many guest scholars find it hard to commute to their colleges, especially when

Ekant Club members want open gym at park, write to minister

OUT STAFF REPORTER
BHOPAL

Ekant Club, an organisation of the city residents who take their morning and evening walks and exercise in the sprawling park located on Link Road Number 3, has demanded setting up an open gym at Ekant Park. With all fitness centers and gyms being closed due to pandemic, the club members believe that opening a gym at the park would facilitate visitors to exercise and thus boost their immunity. The members of the club have written a letter to urban development minister Bhupendra Singh mentioning their demand of open

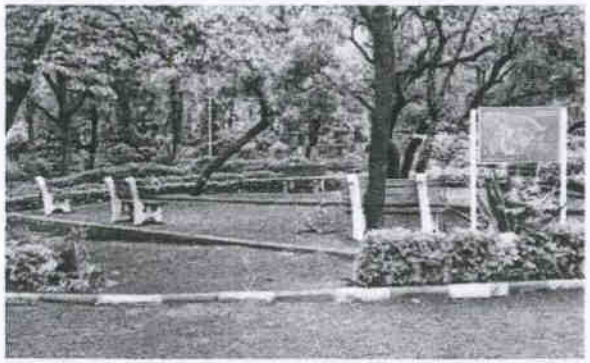

huge – in fact it is the everyone wants to boost setting up of an open gym

45-yr-old hangs self, no suicide note found

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

A 45-year-old man allegedly committed suicide by hanging himself at his house on Tuesday evening. No suicide note was recovered. He was found hanging at 6 am by his wife. He worked in a society of BHEL. According to Piplani police, the deceased was identified as Ramswaroop Newaria, a resident of 100 quarters.

Investigation officer ASI ASI Manoj Kacchwa said the deceased went to sleep on previous night but when his wife woke up on Wednesday, she spotted the body in the kitchen. His sons and wife took him to a nearby private hospital where doctors referred him to Hamidia Hospital. The doctors there declared him brought dead.

9 booked for selling reputed brands' duplicate accessories

OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

The business of making duplicate accessories is flourishing in the city. The police carried out raids at two places on Wednesday to curb such activities and have registered cases against nine shopkeepers involved in the business.

The accused sold accessories like glass guard, i-pad Philips cover, Bluetooth speaker, batteries watch glass, mobile cover and wireless kit at cheaper rates. The representatives of technology giant Apple and Kent RO had filed a complaint with police that local made products are being sold under their company's name. The raids were carried out in MP Nagar area and Katara Hills where duplicate parts of Apple were sold to customers at lesser rate. During the raid in MP Nagar, police seized parts and accessories of i-phone and i-pad, which were sold at shopping complex from the basement of Jyoti Talkies. Police registered case against eight shopkeepers for possessing and selling parts of Apple. In Katara Hills, the police seized 132 pieces of duplicate filter of Kent RO from the possession of a man named Rupuesh Chowdhary. The total cost of filters was pegged at Rs 1.14 lakh, said Katara Hills police. The police have booked all the accused for illegally using symbols of reputed firms.

Srikanth takes charge as Canara Bank Bhopal Circle Head

Top Clips

THE FREE PRESS JOURNAL

BHOPAL

Updated on : Friday, September 25, 2020, 5:00 AM IST

Madhya Pradesh: CAG report blames health department for failing to provide labs, Rs 2.21 crore go down the drain

By Staff Reporter

The CAG examined the documents of the seven hospitals in Balaghat, Chhatarpur, Guna, Khandwa, Khargone, Mandsaur and Ratlam.

The laboratories were to start in 2016 but could not become operational till 2019. The guarantee of equipment ended in 2018

Due to carelessness of seven district health department officials, the equipment of blood component separation units became a scrap. The Comptroller and Auditor General (CAG) has found in its report tabled in the assembly on September 21.

In 2014, the state blood transfusion council had decided to upgrade blood banks in 11 districts where blood component separation units were to be installed. Each unit needs 50 square metres of area for the installation. It was stated that if the district hospitals have no space, it could be installed in one of the rooms.

The CAG examined the documents of the seven hospitals in Balaghat, Chhatarpur, Guna, Khandwa, Khargone, Mandsaur and Ratlam. These seven hospitals were given Rs 35.80 lakh adding the amount to Rs 2.21 crore. The procurements were scheduled to take place in 2015- 2016. It was also stated that the amount would lapse in 2016-17 if not used for the purpose.

The district authorities had procured equipment in time but failed to install within the guarantee period. The laboratories were to start in 2016 but could not become operational till 2019. The guarantee of the equipment ended in 2018.

The CAG found that the health department failed to set up infrastructure for the lab and did not provide training to lab technicians. Worse, the department did not obtain licence from FDA to run the lab. The CAG reports that investment worth Rs 2.21 crore was wasted and also failed to provide service to people.

ALSO READ

CEO-MP violated purchase norms, caused over Rs 5 cr loss, says CAG report

(To download our E-paper please** click here**. The publishers permit sharing of the paper's PDF on WhatsApp and other social media platforms.)

RECENT STORIES

Coronavirus in Pune district: With 78 patients succumbing to COVID-19, death toll crosses 6,000...

LIVE Bharat Bandh Latest Updates: Tejashwi Yadav drives a tractor as he joins the protest

Who's next? NCB raids underway at multiple locations in Mumbai

Coronavirus in Pune: Will there be another lockdown amid rising COVID-19 cases?

Coronavirus latest updates: India's COVID-19 tally crosses 58-lakh mark, records 86,05...

पीपुल्स समाचार, भोपाल, दिनांक 25.09.2020
शुक्रवार, पृष्ठ संख्या-07

सीएजी ने सरकार की पोल खोली: कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने विधानसभा में प्रस्तुत की गई सीएजी की रिपोर्ट में

शिवराज सरकार के घोटालों की सूची बताते हुए कहा है कि विगत कई सालों से शिवराज सरकार जिस भ्रष्टाचार और लूट खोरी का समंदर बनी हुई थी, उसका सीएजी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिए जाने वाले फ्लेवर्ड दूध को भी भ्रष्ट शासन प्रशासन ने लूट लिया है। गुप्ता ने कहा की न्यूनतम मानदेय पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं यानि भाँजियों का मानदेय भी लूट लिया गया। साथ ही देवास में 361 तालाब गायब है। इन बलराम तालाबों को बनाने के लिए वहां के कलेक्टर साहब का शिवराज सिंह ने सम्मान भी किया था।

CAG REPORT IN MP

CAG रिपोर्ट में खुलासा: मुरैना और श्योपुर के तत्कालीन कलेक्टरों ने की थी अवैध भर्तियां

CAG की रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी 2016 से मार्च 2018 के बीच मुरैना और श्योपुर जिले के कलेक्टरों ने सहायक ग्रेड-3 और सेवा कर्मचारियों के पदों पर अवैध भर्ती की थी.

CAG मुख्यालय

Share:

Written By:
जी मीडिया ब्यूरो

Updated:
Sep 25, 2020, 01:25 PM IST

खास बातें

1. 20 पदों पर अवैध नियुक्तियों की खुली पोल
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसे अधिकारियों के खाते में डाले जाने का मामला आ चुका है सामने
3. इस रिपोर्ट में जानिए, CAG क्या है?

भोपालः मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव की तैयारियों के बीच देश की स्वतंत्र जांच संस्था पूरी तरह एक्शन में है. कुछ दिनों पहले CAG ने प्रदेश विधानसभा में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी. CAG, जिसे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कहते हैं, जो देश की एक स्वतंत्र जांच संस्था है. इस रिपोर्ट में प्रदेश सरकार का पूरा लेखा-जोखा सामने आया है. CAG की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि मुरैना और श्योपुर कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-3 के पदों पर अवैध नियुक्तियां की, जिससे लगभग 76.12 लाख रुपये का अनियमित व्यय हुआ है.

CAG रिपोर्ट में खुला फर्जीवाड़ाः अधिकारियों- कर्मचारियों के खाते में जा रहा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा...

20 पदों पर अवैध नियुक्तियों की खुली पोल

CAG की रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी 2016 से मार्च 2018 के बीच मुरैना और श्योपुर जिले के कलेक्टरों ने अलग-अलग अवधि में कर्मचारियों की अवैध भर्ती की थी. तत्कालीन मुरैना कलेक्टर विनोद शर्मा और श्योपुर कलेक्टर विनोद सोलंकी ने सहायक ग्रेड-3 और सेवा कर्मचारियों के 20 पद अवैध नियुक्तियां की थी. ये भर्तियां नियमों को ताक पर रख कर की गई थी. यहां वेतन एवं भ रूप में लगभग 76.12 लाख रुपये का खर्च किया गया, जिसकी आधिकारिक जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास नहीं मिली है.

LIVE TV

'शिव-ज्योति एक्सप्रेस' से होगा मध्य प्रदेश का 'विकास'- सिंधिया

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पैसे अधिकारियों के खाते में डाले गए

CAG ने बीते 21 सितम्बर को विधानसभा सदन में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2016 के बीच भोपाल और रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ और सहायिकाओं को मिलने वाले मानदेय में 3.19 करोड़ रुपए को डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटरों के खाते में जमा करा दिए. ऐसे 89 खातों की जानकारी CAG की रिपोर्ट में सामने आयी थी.

`क्यों लगाऊं मास्क`, विवाद हुआ तो गृहमंत्री बोले-`माफी दे दो लगाऊंगा मास्क` फिर बिना मास्क नजर आए नरोत्तम

CAG क्या है?

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, जिसे अंग्रेजी में comptroller and Auditor general of India कहते है. यह एक स्वतंत्र संस्था और इसके अधिकारियों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. यह संस्था देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को अपनी जांच रिपोर्ट भेजती है. CAG प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इस कार्यकाल से पहले अगर वे 65 वर्ष की उम्र पार कर लेते है तो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है. वर्तमान में CAG का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और गिरीश चंद्र मूर्मू इसके 14वें नियंत्रक के रूप में काम कर रहे है.

WATCH LIVE TV

Also Watch

LIVE TV

स्वदेश, ग्वालियर, दिनांक 28/09/2020 (सोमवार)

दो हजार में खरीदे 2 सौ के बूथ

प्रशासनिक संवाददाता ■ भोपाल

वोटिंग कंपार्टमेंट के नाम पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा अनियमित्ता किये जाने का मामला सामने है। बीते चुनावों में जनता के पैसे की गई इस बंदरबांट का का खुलासा सीएजी ने किया है। इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों में व्यय की गई राशि का हवाला देते हुए न केवल 5 करोड़ से अधिक राशि की गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह भी कहा गया है कि जो 200 रूपए की लागत में मिलने वाले कंपार्टमेंट करीब 2 हजार रूपए में अनियमित व्यय करते हुए लिये गए हैं।दरअसल यह गड़बड़ी प्रदेश के 19 जिलों में किये गए आकस्मिक लेखा परीक्षण के बाद सामने आई। बताया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्लास्टिक शीट के बजाय पीवीसी फोम से बने वोटिंग कंपार्टमेंट क्रय करने के निर्देश दिये थे। खरीदी के माध्यम बने मप्र लघु उद्योग निगम ने दो वैलेट यूनिट की दर एक हजार 844 निर्धारित करते हुए 19 जिलों को 32 हजार 63 वोटिंग कंपार्टमेंट मुहैया भी करा दिये। जबकि उत्तर प्रदेश में यही कंपार्टमेंट 150 रूपए और राजस्थान में 222 रूपए में क्रय की गई है। इतना ही नहीं इस मामले में सीएजी ने स्पष्ट किया है कि वह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ ही प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य के इस उत्तर को भी स्वीकार नहीं करता है कि क्रय में किसी तरह की कोई अनियमित्ता नहीं की गई है।

क्या है वोटिंग कंपार्टमेंट

निर्वाचन के समय मत की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बैलेट यूनिटों को ढ़कने के लिए यह वोटिंग कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं।

5 करोड़ में हुआ 71 लाख का काम

बताया जाता है कि सभी 15 जिलों में वोटिंग कंपार्टमेंट की आपूर्ति प्रोग्रेसिव कंन्सलटेंट और लेजर ग्राफिक जैसी फर्मों से कराई गई है। अपनाए गैर जिम्मेदाना रवैये के कारण इनको 5 करोड़ 76 लाख 98 हजार रूपए का भुगतान किया गया। यदि खरीद प्रक्रिया में मितव्यिता बरते जाने के बाद यह आपूर्ति 71 लाख 17 हजार रूपए जैसे कम व्यय पर की जा सकती थी।

उपचुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट ने MP की सियासत में मचाया घमासान, बड़े भ्रष्टाचार के संकेत

Bhopal News in Hindi

कैग ने मध्य प्रदेश में बड़े भ्रष्टाचार के संकेत दिए हैं.

विधानसभा (Assembly) में एक दिन के सत्र के दौरान कैग (CAG) की रिपोर्ट आने के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सियासी घमासान शुरू हो गया है.

NEWS18 MADHYA PRADESH
LAST UPDATED: SEPTEMBER 28, 2020, 11:22 AM IST

SHARE THIS:

मनोज राठौड़

भोपाल. विधानसभा (Assembly) में एक दिन के सत्र के दौरान कैग (CAG) की रिपोर्ट आने के बाद अब मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सियासी घमासान शुरू हो गया है. आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सैलरी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के खुलासे के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. कांग्रेस जिम्मेदार विभाग के मंत्री और उनके अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है. जबकि बीजेपी का कहना है कि इस मामले की पहले जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. उपचुनाव (By-Election) से पहले एमपी की सियासत में घमासान मच गया है.

पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कैग की रिपार्ट को लेकर बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में कई घोटाले हुए हैं. अब कैग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ हुए घोटाले को उजागर किया है. सरकार में फर्जीवाड़ा होते रह हैं. इसकी जांच होनी चाहिए. दोषी विभाग के मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस कर रही है. वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले में कहा कि यदि ऐसा कोई मामला आया है तो उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद दोषियों खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

Mask न पहनने वाले मंत्री का U Turn, कहा- खुद भी पहनूंगा, दूसरों से ...

ये है पूरा मामला

कैग के अनुसार मई 2014 से दिसंबर 2016 के बीच भोपाल, रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की करीब 3.19 करोड़ रु. की मानदेय राशि डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटरों समेत दूसरे 89 बैंक अकाउंट में जमा करा दी. विदिशा, मुरैना, अलीराजपुर और झाबुआ में भी गड़बड़ी सामने आई है. यहां के जिला कार्यक्रम अधिकारी और परियोजना अधिकारियों के दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मानदेय का 65 लाख 72 हजार गलत तरीके से आहरण किया गया. बाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के नाम पर जिन खातों में यह पैसा जमा कराया गया वो फर्मों के नाम पर और कर्मचारियों के परिजनों के नाम पर थे.

फोटो

एक ही टीशर्ट और सैंडिल बार-बार पहनने पर ट्रोल हुए मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी, इस फोटो के जरिए दिया मुंहतोड़ जवाब

IPL 2020: सुरेश रैना को पीछे छोड़ने की तैयारी में रोहित शर्मा, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ नाम करेंगे बड़ा रिकॉर्ड!

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'बबीता जी' को फैन ने बताया अप्सरा, तारीफों के बांधे पुल

टॉप स्टोरीज

हाथरस केस को SC ने बताया शॉकिंग,UP सरकार से मांगी गवाहों की सुरक्षा की जानकारी

हल्दी-जीरा खाने से लेकर योगाभ्यास तक- कोरोना से बचने के लिए नई गाइडलाइन जारी

कोरोना के कारण पति की हुई मौत तो पत्नी के खिलाफ केस दर्ज, लापरवाही का आरोप

बड़ी खबर- माउंटेन ड्यू टाइटल की लंबी कानूनी लड़ाई हार गई PepsiCo

पचुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट ने MP की सियासत में मचाया घमासान, ... | सामने आई कांग्रेस की अंतर्कलह, विधायक बोले- पार्टी के अंदर लोकतंत्र है... | अभिनेता अनुपम खेर ने सीएम शिवराज सिंह को शूटिंग देखने का दिया न्यौता

नवप्रभात, ग्वालियर दिनांक 29/09/2020 (मंगलवार)

उपचुनाव से पहले कैग की रिपोर्ट से मची खलबली

भोपाल। विधानसभा में एक दिवसीय सत्र में कैग की रिपोर्ट आने के बाद अब प्रदेश में खलबली मच गई है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सैलरी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के खुलासे के बाद भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं। कैग रिपोर्ट में बड़े भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं। कांग्रेस जिम्मेदार विभाग के मंत्री और उनके अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि इस मामले की पहले जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कैग की रिपोर्ट को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में कई घोटाले हुए हैं। अब कैग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ हुए घोटाले को उजागर किया है। सरकार में फर्जीवाड़ा होते रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। दोषी विभाग के मंत्री और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कांग्रेस कर रही है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले में कहा कि यदि ऐसा कोई-मामला सामने आया है, तो उसकी जांच की जाएगी, जांच के बाद दोषियों खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

दिनांक - 11.01.2019
नवभारत
पेज नं - 12

आबकारी और खनिज के अफसरों को कटघरे में में खड़ा किया कैग ने

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 10 जनवरी। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने राज्य शासन के आबकारी और खनिज विभाग के अफसरों को कटघरे में खड़ा किया है। इन अधिकारियों पर राजस्व वसूली में शासन को हानि पहुंचाने और लक्ष्य से कम वसूली करने का मामला सामने आया है।

कैग की रिपोर्ट ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक के ब्यौरे को राज्य विधानसभा के पटल पर रखा है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शासन को आबकारी में 1,086.65 करोड़ के उत्पाद शुल्क से वंचित रहना पड़ा क्योंकि विभाग अनाज से अलकोल के उत्पादन में मौजूद स्टार की मात्रा को नियोजित कीडवन एवं आसवन की तकनीक निर्धारित करने में विफल रहा, वहीं सीरे से एल्कोहल उत्पादन के लिए नियोजित नहीं प्रौद्योगिकी में संशोधन करने की विफलता के चलते 82.54 करोड़ के आबकारी शुल्क से भी शासन

सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

को वंचित रहना पड़ा। महालेखाकार कार्यालय के डीएजी जितेन्द्र तिवारी के अनुसार इस रिपोर्ट में शासन के आबकारी, रेत, खनिज, जल व अन्य कई विभागों में राजस्व वसूली को लेकर जानकारी पटल पर रखी गई है। बताना होगा कि कैग की रिपोर्ट में वैट अधिनियम के तहत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों के निर्धारण में भी रुचि न लेने के चलते कम कर वसूल हो सका।

इसी तरह जलकर में भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बेरुखी सामने आई जिसके कारण अनूपपुर में 271 करोड़ की वसूली के लिए कोई प्रयास ही नहीं किए गए।

रेत खनन में मिली करोड़ों की चपत

कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रेत खनन में शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुई। बालाघाट और उज्जैन के कलेक्टरों ने 31 रेत खदानों में रेत की मात्रा को आरक्षित मूल्य में निर्धारित करने में विफलता के चलते 3.37 करोड़ की रॉयल्टी कम मिली जबकि व्यापारिक खदानों से आय के रजिस्टर संधारन में जिला खनिज अधिकारियों की विफलता रही और इसका परिणाम 9 जिलों में 48 ठेकेदारों से 1.38 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी, वही 2.35 करोड़ का ब्याज भी कम मिला। दूसरी तरफ मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम ने शासन को 136.69 करोड़ की रॉयल्टी नहीं दी क्योंकि शासन के साथ निगम के लीज अनुबंध में ठेकेदार से रॉयल्टी की पूरी राशि जमा कराना तय नहीं था। इसी तरह 18 जिला खनन कार्यालयों में 62.50 करोड़ की रॉयल्टी 58 पट्टेदारों और 11 ठेकेदारों से कम वसूल हुई।

दिनांक - 11.01.2019
नई दुनिया
पेज नं - 09

कैग रिपोर्ट : 40 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान

भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो

विधानसभा के पटल पर गुरुवार को रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने सरकार के वित्तीय प्रबंधन की कमियां उजागर कर दी हैं। कैग ने बताया है कि सरकार वाटर टैक्स, वैट, खनन की रॉयल्टी सहित कई तरह के टैक्स वसूल नहीं कर पाई। वहीं सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश से भी सरकार लाभ नहीं कमा पाई। इससे सरकार को 40 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कैग ने कहा कि राजस्व वसूली पर निगरानी रखने के लिए सरकार के पास कोई प्रणाली ही नहीं थी। विभागों के पास पुराने बकाया का कोई डेटा बेस नहीं था। कैग के मुताबिक राज्य सरकार 21 हजार 576 करोड़ रुपए विभिन्न संस्थाओं से नहीं वसूल सकी है।

12 संस्थानों ने नहीं दिया 20 हजार करोड़ का गारंटी शुल्क: कैग ने बताया है कि 12 संस्थानों ने राज्य सरकार को 20 हजार 596 करोड़ रुपए गारंटी शुल्क के रूप में नहीं चुकाए हैं। कैग ने राज्य सरकार से कहा है कि सरकार की गारंटी का लाभ लेने वाली ये संस्थाएं जब तक पूरा शुल्क नहीं चुकातीं, तब तक सरकार इन्हें गारंटी देना बंद कर दें। इसके साथ ही मप्र विद्युत पारेषण कंपनी और मप्र पुलिस आवास निगम को दी गई गारंटी शुल्क की जांच की जाए, इन्होंने जरूरत से ज्यादा गारंटी शुल्क चुका दिया।

1627 करोड़ रुपए के वाटर टैक्स में अनियमितता

कैग ने कहा है कि जल संसाधन विभाग में जल कर को लेकर 1627 करोड़ रुपए की अनियमितताएं हुई हैं। विभाग यह कर वसूल नहीं सका। इसमें उद्योगों, स्थानीय निकायों और किसानों से लगभग 1489 करोड़ रुपए वसूले जाने थे।

रेत खनन में 605 करोड़ रुपए का नुकसान: कैग ने बताया है कि रेत खनन से सरकार को 2016-17 में 3168 करोड़ रुपए की कमाई होनी थी, लेकिन सिर्फ 2610 करोड़ रुपए का राजस्व ही मिला। इससे सरकार को 605 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कैग ने कहा कि रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पर्याप्त जांच चौकियां स्थापित नहीं की गईं।

1 हजार करोड़ का वाणिज्यिक कर कम वसूला: कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने 1030 करोड़ रुपए के कर का कम निर्धारण किया है। इससे सरकार के खजाने पर असर पड़ा है।

सार्वजनिक उपक्रमों से 3600 करोड़ पानी में

कैग ने बताया है कि राज्य सरकार ने मार्च 2017 तक 72 सार्वजनिक उपक्रमों में 81 हजार 529 करोड़ रुपए का निवेश किया था। पिछले तीन साल में 57 सार्वजनिक उपक्रमों में निवेश करने की वजह से सरकारी खजाने का 3672 करोड़ रुपए बेकार चला गया। कैग ने कहा है कि जिन निगम-मंडलों की बैलेंस शीट अपडेट नहीं है, सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देना बंद करे। इसके साथ ही घाटे में चल रहे निगम-मंडलों की बिना देरी किए समीक्षा करें।

दिनांक 11.01.2019
दैनिक भास्कर पेज नं.- 04

dainikbhaskar.com

दैनिक भास्कर, ग्वालियर, गु

विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में खुलासा

पीएसयू के कारण साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में निवेश से 5625.52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रेत खदानों की नीलामी और रॉयल्टी में गड़बड़ी, जलकर बकाया, आबकारी नीति में कमी, जांच में लापरवाही से करों के कम निर्धारण से भी सरकार को करोड़ों रुपए की हानि पहुंची है। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 की स्थिति में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सबसे ज्यादा 2766 करोड़ रुपए के घाटे में है। पूर्व और पश्चिम क्षेत्र की कंपनियां भी एक हजार करोड़ से ज्यादा के नुकसान में हैं। खनिज निगम सबसे ज्यादा 91.81 करोड़ के फायदे में रहा।

इस तरह नुकसान : रेत खनन में रॉयल्टी व नीलामी में गड़बड़ी

कलेक्टरों द्वारा रेत का अनुमान लगाए बिना बालाघाट और उज्जैन जिले की 31 खदानों की नीलामी में 3.37 करोड़ रुपए कम राजस्व मिला। नौ जिलों में 48 ठेकेदारों से अनुबंध राशि 1.38 करोड़ रुपए कम और 2.35 करोड़ रुपए कम ब्याज की प्राप्ति हुई। 18 जिला खनन कार्यालयों में 58 पट्टेदारों और 11 ठेकेदारों से 60.5 करोड़ रुपए कम रॉयल्टी वसूली गई। खनन निगम ने शासन को 136.69 करोड़ रुपए की रॉयल्टी नहीं दी, क्योंकि लीज अनुबंध में पूरी राशि जमा करना निर्धारित नहीं था। रॉयल्टी की निगरानी ठीक नहीं होने से 20 लाइसेंस धारकों से 8.11 करोड़ रुपए कम मिले और 42 लाइसेंस धारकों ने 8.12 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का भुगतान ही नहीं हुआ। देर से किराया या रॉयल्टी देने वाले 153 पट्टेदारों से ब्याज वसूलने में विफलता के कारण 13.91 करोड़ रुपए कम मिले। जिला कलेक्टर 218 पट्टेदारों से 2.92 करोड़ रुपए वसूलने में असफल रहे। इसी तरह विभाग 13 ठेकेदारों से 1.61 करोड़ रुपए नहीं वसूल पाया।

उद्योगों पर जल कर का 500 करोड़ से ज्यादा बकाया

कैग ने जांच में पाया कि जल संसाधन विभाग ने उद्योगों, घरेलू कनेक्शन और किसानों से 1627.54 करोड़ रुपए का बकाया नहीं वसूला। इसमें उद्योगों पर 506.34 करोड़ रुपए बकाया था।

जांच में चूक से वैट का नुकसान

अधिकारियों ने बिल्डरों और ठेकेदारों के खातों, खरीदी, टीडीएस आदि की जांच की, लेकिन इसमें उनसे चूक हुई। चूक के कारण 125 प्रकरणों में टर्नओवर 872.97 करोड़ रुपए कम निर्धारित हुआ। इससे वैट 226.13 करोड़ रुपए कम लगा।

शराब उत्पादन के मानदंड में कमी से करोड़ों का नुकसान

शराब उत्पादन के मानदंड निर्धारित नहीं होने या निम्न मानदंड होने से सरकार को 1192.12 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब परिवहन के शुल्क निर्धारण में गड़बड़ी के कारण सरकार को 100.62 करोड़ की हानि हुई।

स्वदेश
दिनांक-11.01.2019
पेज नं.- 12

सरकार के लिए खुद के उपक्रम बने 'सफेद हाथी'

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

69 सरकारी कंपनियों में से 17 बनीं घाटे का सौदा

आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश में सरकार के लिए खुद के उपक्रम ही सफेद हाथी बने हुए हैं। सरकार के 69 उपक्रमों में से 17 उपक्रम तो पूरी तरह से अकार्यशील बने हुए हैं। इन पर हर साल करोड़ों रुपए की राशि व्यय की जा रही है। सरकारी उपक्रमों की यह स्थिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन (सीएजी) में सामने आई है। राज्य सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में जहां सरकार की चिंता खजाने को भरने की है तो वहीं अपने कर्मचारियों के लिए वेतन देना भी सरकार की चिंता का कारण बन सकता है। दरअसल प्रदेश में सरकार के लिए खुद के उपक्रम ही सिरदर्द बने हुए हैं। कई मौकों पर सरकार द्वारा उपक्रम खोलने की घोषणाएं की गईं और इन्हें खोला भी गया, लेकिन इनकी सार्थकता कहीं भी सिद्ध नहीं हुई और यह सरकार के लिए सफेद हाथी बन गए।

महालेखाकार की अनुशंसाएं भी नहीं सुनी

घाटे में चल रहे उपक्रमों को लेकर महालेखाकार ने भी अनुशंसाएं की थी। इसमें कहा गया था कि अकार्यशील उपक्रमों के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी हानि होती है। इसलिए राज्य सरकार सभी घाटे में चल रहे अपने उपक्रमों की कार्यपद्धति को देखे और जरूरत न हो तो इन्हें बंद करने की कार्रवाई करे। इसके अलावा अकार्यशील उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य शासन के दूसरे विभागों में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्तियों पर भेजें।

ये है उपक्रमों की स्थिति

वर्ष 2016-17 के दौरान मध्यप्रदेश में 13 उपक्रम गठित किए गए। बाद में तीन को बंद कर दिया गया। 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में प्रदेश में 54 उपक्रम ही कार्यशील थे और 18 अकार्यशील रहे। इन 57 उपक्रमों को लेकर महालेखाकार की रिपोर्ट में बताया गया कि 29 ने 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया तो वहीं 19 उपक्रमों ने 5625.52 करोड़ रुपए का घाटा दिया। इसी तरह 9 उपक्रम ऐसे रहे, जिनमें न तो फायदा हुआ और न ही घाटा हुआ। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 6.72 प्रतिशत थी। जबकि तीन वर्षों के दौरान 57 उपक्रमों में निवेश करने के कारण सरकारी कोष को करीब 3672 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा।

ये है कर्मचारियों की स्थिति

31 मार्च 2017 की स्थिति में राज्य के उपक्रमों में 62 हजार 34 कर्मचारी थे। इनमें 54 कार्यशील उपक्रमों में 61 हजार 745 व 18 अकार्यशील उपक्रमों में 289 कर्मचारी थे। 18 अकार्यशील उपक्रमों में पिछले तीन वर्षों से कोई भी गतिविधियां नहीं हुईं। 31 मार्च 2017 की स्थिति में इनमें करीब 991 करोड़ का निवेश हुआ।

दिनांक - 11.01.2019

पीपुल्स समाचार पेज नं. - 07

www.peoplessamachar.co.in पीपुल्स समाचार

कैग रिपोर्ट में खुलासा: शिवराज सरकार में हुआ करोड़ों का घोटाला

तीन वर्षों में निगम, मंडलों ने लगाई सरकार को 5625 करोड़ की चपत

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

■ 25 उपक्रमों ने 187 करोड़ के लाभ पर 37.49 करोड़ घोषित नहीं किए

सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर कैग द्वारा विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार के 72 सार्वजनिक उपक्रमों में से 36 ने तो वर्ष 1990 से आडिट ही नहीं कराया गया, जबकि बीते तीन वर्षों में इन निगम-मंडलों ने सरकार को 5 हजार 625 करोड़ की चपत लगाई है। साथ ही 25 सार्वजनिक उपक्रमों में वर्ष 2016-17 में उनके लाभांश का 37.49 करोड़ रुपए घोषित ही नहीं किया। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जिन 36 उपक्रमों द्वारा आडिट नहीं कराने का उल्लेख किया है, उसमें गबन और राशि का दुरुपयोग किए जाने की संभावना जताई है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने सार्वजनिक उपक्रमों की 31 मार्च 2017 की रिपोर्ट गुरुवार को विधानसभा की पटल पर रखी गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अनेक गबड़बड़ियों की तरफ इंगित किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर राज्य शासन ने ऐसे तीन कार्यशील उपक्रम जिनके वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लेखे

बिजली खरीदी सहित अन्य में 56 करोड़ की हानि

कैग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 8.39 करोड़ के स्वतंत्र अभियंता शुल्क न वसूले जाने और 12 रियायत ग्राहियों से देरी से हुई वसूली से 4 करोड के ब्याज न लगाए जाने तथा महंगी बिजली की खरीदने की वजह से 27.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, 6.70 करोड़ के दंडात्मक जल प्रभार का परिहार्य व्यय, जल प्रभार पर 1.66 करोड़ का परिहार्य व्यय और सक्रिय वित्तीय प्रबंधन की कमी से 9.79 करोड़ की ब्याज आय की हानि हुई है।

बकाया थे, को वर्ष 2016-17 के दौरान 120.93 करोड़ की बजटीय सहायता और एक अकार्यशील उपक्रम को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई। यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार मप्र राज्य के विभाजन के 17 वर्ष बाद भी 36.98 करोड़ की अंश पूंजी व ऋण वाली छह उपक्रमों की संपत्तियों और देनदारियों का विभाजन मप्र और छत्तीसगढ़ के बीच नहीं हुआ। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियां उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी।

'6270 करोड़ की चपत लगी: कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वाणिज्य कर, उत्पाद शुल्क , वाहन कर , जलकर में घोटाले की बात सामने आई है। जिससे प्रदेश के खजाने पर 6270 करोड़ की चपत लगी है।

सरकार बकाया लाभांश जमा कराने दे आदेश

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार को लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को लाभांश नीति लागू होने की दिनांक जुलाई 2005 से बकाया राशि 474.46 करोड़ को सरकारी खाते में जमा कराने के आदेश निगम-मंडलों को देना चाहिए।

घाटे में चल रहे निगमों को बंद करे सरकार

सीएजी का मत है कि भारत सरकार द्वारा मप्र सड़क परिवहन निगम के पुनर्गठन की सलाह देने के दस वर्ष व्यतीत होने के बावजूद पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया है। मप्र सरकार अविलंब से समीक्षा करे कि क्या निगम का पुनर्गठन किया जा सकता है। साथ ही घाटे में चल रहे अक्रियाशील उपक्रमों के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी नुकसान होता है, इसलिए घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्यपद्धति का परीक्षण कर उन्हें बंद कर देना चाहिए।

दिनांक - 11.01.2019
पत्रिका पेज नं- 03

पत्रिका . ग्वालियर, शुक्रवार, 11 जनवरी, 2019
patrika.com

कैग की रिपोर्ट में खुलासा : बाजार मूल्य का किया गलत निर्धारण

उप पंजीयकों ने सरकार को पहुंचाया 2.70 करोड़ का नुकसान

ग्वालियर सहित कई जिलों के पंजीयक इसमें शामिल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. ग्वालियर, मुरैना दतिया सहित एक दर्जन से अधिक जिलों के उप पंजीयकों ने रजिस्ट्री कराने में बाजार मूल्य का गलत निर्धारण कर शासन को 2.70 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाई है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

गलत दरों से पहुंचाया शासन को 1.22 करोड़ का नुकसान

लेखा परीक्षा ने ग्वालियर सहित 23 उप पंजीयक कार्यालयों के अप्रैल 2010 एवं मार्च 2016 के मध्य के 41674 रजिस्ट्रियों की नमूना जांच की और पाया कि 46 विलेखों में मुख्तारनामा के गलत वर्गीकरण, बिल्डर अनुबंधों को अनियमित तौर पर मुख्तारनामा मानकर रजिस्ट्रियां की गई। इस प्रकार उप पंजीयकों ने पंजीयन के लिए अविधिवत मुद्रांकित रजिस्ट्रियों को स्वीकार किया। जिससे 1.22 करोड के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण का नुकसान शासन को पहुंचाया गया। इन मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद भी शासन द्वारा दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। इस राशि में से मात्र 5.95 लाख रुपए ही वसूल किए जा सके।

कैग की रिपोर्ट में कहा गया है जिला कलेक्टर द्वारा अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए हर साल बाजार मूल्य निर्धारित किया जाता है। उसी के अनुरूप उप पंजीयकों को बाजार मूल्य का निर्धारण करना चाहिए लेकिन ग्वालियर सहित एक दर्जन से अधिक जिलों के उप पंजीयकों ने गाइड लाइन की धज्जियां उड़ा दी। केग ने पाया कि इन कार्यालयों ने अप्रैल 2009 और मार्च 2016 के मध्य 44,111 रजिस्ट्रियों में जिन 140 रजिस्ट्रियों की नमूना जांच की जिसमें पाया गया कि इन संपत्तियों का पंजीकृत मूल्य 72.34 करोड़ था जबकि गाईड लाइन के अनुसार संपत्तियों का बाजार मूल्य 114.12 करोड़ रुपए था। उप पंजीयकों ने व्यवसायिक जमीन को व्यावसायिक सह आवासीय भूमि, राज्य/राष्ट्रीय मार्गों से लगी मूल्यवान संपत्तियों को ऑफ रोड संपत्ति, विकसित प्लॉटस को कृषि भूमि इत्यादी के रुप में मानते हुए गलत तरीके से जमीन के बाजार मूल्य का निर्धारण किया। उप पंजीयकों ने इन संपत्तियों से 6.83 करोड़ के शुल्क के स्टान पर मात्र 4.48 करोड़ का स्टाम्प शुल्क लगाया। इस प्रकार सरकार को 2.70 करोड का चूना लगाया। कैग की आपत्ति के बाद 40 लाख रुपए की वसूली भी हुई थी। शासन इनकी जांच के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने में असफल रहा है।

11 जनवरी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट म.प्र विधानसभा में पेश -

अरबों रूपये के राजस्व से वंचित हुआ आबकारी विभाग,रेत खनन में भी करोड़ो की रॉयल्टी कम मिली

पेज 1 का शेष

मध्यप्रदेश राज्य राजस्व पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 2017 के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु-

अभिलेखों की अनिवार्य जांच नही की गई-

मध्यप्रदेश वैट अधिनियम के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के समय अंकेक्षित लेखों,क्रय की गई सामग्री के विवरण,टी.डी.एस. प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे अभिलेखों की अनिवार्य जांच नहीं किए जाने से 125 प्रकरणों में 872.97 करोड़ के टर्न ओवर का अवनिर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप 58.04करोड़ के कर एवं 168.09 करोड़ शास्ति का कम आरोपण हुआ

खनिज अधिकारियों की विफलता-

व्यापारिक खदानों से आय के रजिस्टर के संधारण में जिला खनिज अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप नौ जिलों में 48 ठेकेदारों से 1.38 करोड़ की अनुबंध राशि की कम वसूली हुई, रू.2.35 करोड़ के ब्याज की कम प्राप्ति हुई।

दो कलेक्टरों ने तीन करोड़ से ज्यादा की रेत रॉयल्टी को नुकसान पहुंचाया

बालाघाट और उज्जैन जिला कलेक्टरों द्वारा 31 रेत खदानों में रेत की अनुमानित मात्रा को आरक्षित मूल्य के रूप में निर्धारित करने में विफलता के परिणामस्वरूप 3.37 करोड़ की रॉयल्टी कम प्राप्त हुई।

राजकोषीय घाटा कम बताया गया-

निक्षेप निधी का गठन न होने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 635.72 करोड़ का अंशदान नहीं किया(31मार्च 2016 की स्थिति में बकाया देयताएं 1,27,144.43 करोड़ का 0.50 प्रतिशत)। इसके कारण 2016-17 में 635.72 करोड़ रूपये से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम बताया गया।

मध्यप्रदेश शासन के विभाग सहायता नुदान 18,080.10करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं।

आरटीओ अफसरों ने वाहन कर कम जमा कराए-

5,559 वाहन स्वामियों द्वारा अक्टूबर 2010 से मार्च 2016 की अवधि का वाहन कर या तो कम जमा किया या जमा नहीं किया। परिवहन प्राधिकारियों(आरटीओ) ने वसूली योग्य राशि के मांग पत्र जारी नहीं किए तथा कर न जमा करने के लिए मोटर वाहनों को जब्त एवं निरूद्ध करने की कार्यवाही नहीं की, परिणामस्वरूप लम्बित राशि पर 20.28 करोड़ का कर एवं 11.65 करोड़ की शास्ति वसूल नहीं की गई।

गलती के कारण 10 करोड़ का कम राजस्व मिला-

1,532निजी सेवा वाहनों पर वाहन कर त्रुटिपूर्ण ढंग से शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों के लिए लागू दर से लगाया गया, परिणामस्वरूप 10.53 करोड़ रूपये के कम राजस्व की प्राप्ति हुई।

2015 -16 की तुलना में मध्यप्रदेश में राजस्व प्राप्तियां 17,796करोड़(17प्रतिशत)से बढ़ीं, लेकिन बजट अनुमानों से 2,788 करोड़ कम थीं।2015-16 की तुलना में राजस्व व्यय 19,766 करोड़ (20 प्रतिशत)से बढ़ा, लेकिन बजट अनुमानों से 3,048करोड़ से कम था।

ठेकेदारों को 13 करोड़ का अनियमित भुगतान-

पेंच व्यपवर्तन परियोजना, मध्यप्रदेश शासन(म.प्र.शा)के जलसंसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी)के मुख्य अभियंता ने अनधिकृत रूप से तीन टर्न की ठेकों में ,ठेकेदारों के पक्ष में भुगतान अनुसूची को संशोधित किया, परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 13.41रूपये का अनियमित भुगतान हुआ।

कार्यालय महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा), मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने विधानसभा में प्रस्तुत किए गए मध्यप्रदेश राज्य राजस्व पर उपरोक्त प्रतिवेदन को प्रेस/मीडिया के लिए भी जारी किया है।

ग्वालियर हलचल
दिनांक 11 जनवरी 2019
पेज नं० - 3

11 जनवरी

ग्वालियर हलचल

सान्ध्य दैनिक

वर्ष	अंक	ग्वालियर	शुक्रवार	पेज	मूल्य	R.N.I. No.
18	14	(मध्यप्रदेश)	11 जनवरी 2019	12	3 रुपए	MPHIN/2001/5175

ग्वालियर हलचल को इन्टरनेट पर पढ़ें

www.gwaliorhulchal.com

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट म.प्र विधानसभा में पेश -

अरबों रूपये के राजस्व से वंचित हुआ आबकारी विभाग,रेत खनन में भी करोड़ो की रॉयल्टी कम मिली

प्रदीप मांढरे
ग्वालियर हलचल

ग्वालियर,11जनवरी।भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मध्यप्रदेश के राजस्व पर अपनी 2017ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। इसमें कहा गया है कि आबकारी विभाग अनाज से अल्कोहल के उत्पादन में अनाजों में मौजूद स्टार्च की मात्रा व आसवकों द्वारा नियोजित किन्वन एवं आसवन की तकनीक पर विचार करते हुए, उचित या कोई मानक निर्धारित करनें में विफल रहा, जिससे शासन को न्यूनतम 1,086.65 करोड़ उत्पाद शुल्क से वंचित रहना पड़ा।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आगे कहती है-देशी मदिरा के उत्पादन की वास्तविक कीमत का विश्लेषण किए बिना देशी मदिरा की निविदा प्रक्रिया में केवल राज्य के मदिरा निर्माताओं को भाग लेने की अनुमति के फलस्वरूप कम प्रतिस्पर्धा व आसवकों के मध्य गुटबंदी हुई और आसवकों को 653.08करोड़ रूपये का अनुचित लाभ मिला।

महालेखा परीक्षक ने ऑडिट में पाया कि आसवनी परिसर से बाहर की तुलना में आसवनी परिसर में ईएनए/आरएस के परिवन के लिए शासन द्वारा असममित परिवहन शुल्क का निर्धारण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माताओं के एक वर्ग को वर्ष 2012-2017 के दौरान अनुचित लाभ पहुचा और 100.84करोड़ रूपये के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

(शेष पेज 3 पर)

हेडमास्टर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को कहा डाकू, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

जबलपुर, 11 जनवरी(ए.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को डाकू कहने पर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया गया. यह घटना जबलपुर के सरकारी स्कूल की है. यहां शासकीय कनिष्ठ बुनियादी प्राथमिक शाला जबलपुर के हेडमास्टर मुकेश तिवारी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ को डाकू कहते दिखाई दिए थे. वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए कलेक्टर छवि भारद्वाज ने हेडमास्टर मुकेश तिवारी को निलंबित करने का आदेश दिया और तुरंत इसका पालन करने (शेष पेज 4 पर)

लोकतांत्रिक देश की राजधानी को कमजोर कर रहे हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस भेजा है।

नेता आ रहा है कि मोहन ने आय के साथ राजभवन की संभावना को देखते हुए इस्तीफा दिया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुभवी पुराने कार्यकर्ताओं को कमान (शेष पेज 4 पर)

है। बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान ने हार के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति में जाने से इनकार करते हुए प्रदेश की राजनीति करने का ही तय किया था, हालांकि हाईकमान ने उनकी इस मंशा को दरकिनार करते हुए उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी सौंपी है।

उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर बीजेपी ने परंपरा तोड़ना शुरू किया था, इसलिए हमें डिप्टी स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करना पड़ा. (शेष पेज 4 पर)

द्वितीय अनुपूरक को लेकर प्रस्ताव रखा। जब इस पर बोलने के लिए कोई आगे ही नहीं आया तो द्वितीय अनुपूरक बजट को मंजूरी देते हुए (शेष पेज 4 पर)

मेरीकॉम बनीं विश्व की नंबर एक मुक्केबाज

दिल्ली। 6 बार की विश्व चैंपियन भारत की एमसी मेरीकॉम ने अपने नाम एक और विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर ली है. मैग्नीफिसेंट मैरी के नाम से मशहूर मेरीकॉम अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की ताजा रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई हैं. मेरीकॉम ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता. वे इस वर्ग में उनका रिकॉर्ड छठा खिताब था. ताजा रैंकिंग में

मेरीकॉम के 1700 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है. मेरीकॉम की नजरें अब 2020 टोक्यो ओलंपिक पर है. लेकिन इसमें उन्हें 51 किलोग्राम भार वर्ग में खेलना होगा क्योंकि ओलंपिक में 48 किलोग्राम भार वर्ग की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शामिल नहीं है.

लालू को झटका, रांची हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

रांची। रांची हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में दोषी ठहराए जा चुके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी. लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और रांची के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं. स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स में उपचाराधीन हैं. पिछले हफ्ते रांची हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. उनकी पार्टी राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा, हमलोगों को इस बात से सदमा लगा है. हमें उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आ जाएंगे. इस समय पार्टी और परिवार को उनकी जरूरत है. बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.

40 लाख सालाना टर्न ओवर वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति

दिल्ली।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ा तोहफा दिया है। ताजा फैसले के मुताबिक, अब 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल गई है। पहले यह सीमा 20 लाख रुपये की थी। इसी तरह जीएसटी काउंसिल ने पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों की कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट की सीमा 10 लाख रुपये से दोगुना कर 20 लाख रुपये सालाना टर्नओवर करने का ऐलान किया। जीएसटी छूट की सीमा बढ़ने से कई छोटे-छोटे उद्यमों को कानूनी पचड़ों से मुक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन इससे टैक्स चोरी की घटनाएं भी बढ़ने की आशंका पैदा होगी क्योंकि तब कई उद्योग टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में ही नहीं आएंगे। (शेष पेज 4 पर)

बढ़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन से मुक्ति का दायरा

जेटली ने कहा, पहले 20 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले उद्यमों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट मिली थी। हालांकि, उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए छूट की सीमा 10 लाख रुपये थी। लेकिन, छोटे राज्यों ने अपने-अपने कानून बना लिए और यह सीमा 20 लाख रुपये कर ली थी। अब हमने इसे दोगुना कर क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपये कर दी।

दो सीनियर आईएएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाएंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस अफसर विवेक अग्रवाल और राधेश्याम जुलानिया को सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर भेजने की तैयारी कर ली है. सीएम कमलनाथ ने फाइल पर साइन कर दिया है अब दिल्ली से मंजूरी का इंतजार है. दोनों ही अफसर कई बार चर्चा में आ चुके हैं. मध्य प्रदेश में नयी सरकार के सत्ता में आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों का दौर चला. अब इसके बाद विवादित अफसरों की बारी आयी है. (शेष पेज 4 पर)

नई गन्ना नीति बनेगी : यादव

भोपाल। प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के हित में नवीन गन्ना नीति बनाई जायगी। कृषि मंत्री सचिन यादव ने आज किसान भवन में नरसिंहपुर जिले से आये गन्ना उत्पादक किसानों से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। मंत्री श्री यादव ने किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने बताया कि किसानों को गन्ना विक्रय उपरान्त नियमानुसार अधिकतम 14 दिन में भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

एम. गोपाल रेड्डी अपर मुख्य सचिव जनसम्पर्क

भोपाल। राज्य शासन ने एम. गोपाल रेड्डी प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर को अपर मुख्य सचिव जनसम्पर्क विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम पदस्थ किया है। पी. नरहरि सचिव जनसम्पर्क एवं विमानन विभाग तथा आयुक्त जनसम्पर्क अब प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश माध्यम के प्रभार से मुक्त होंगे। एक अन्य आदेश में राज्य शासन ने नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को सचिव अध्यात्म विभाग पदस्थ किया है।

बैठक से निकाले गए पीसीएस अफसर का ट्वीट

'खान' सरनेम भूत की तरह मेरे पीछे लगा है

भोपाल।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक में प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा बैठक से बाहर किए जाने पर विभाग के उपसचिव नियाज अहमद खान ने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि खान सरनेम का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, ये भूत की तरह मेरे पीछे लगा है। सत्रह साल की नौकरी में उनके दस जिलों में उन्नीस बार ट्रांसफर हुए हैं। खान सरनेम होने के कारण उनसे ऐसा व्यवहार हुआ है। एक साल से उन्हें सरकारी मकान तक आवंटित नहीं हुआ है। नियाज अहमद खान अब तक पांच पुस्तकें लिख चुके हैं। नियाज अहमद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम और बॉलीवुड अदाकारा मोनिका बेदी की लव स्टोरी के दफन राज नॉवेल काफी चर्चा में रहा था। उन्होंने तीन तलाक पर भी उपन्यास लिखा था। इसके बाद मुस्लिम समाज में भी उनका विरोध हुआ था। नियाज का कहना है कि वे अब अपने ऊपर छठा नॉवेल लिखेंगे, जिसमें उनके साथ सरकारी नौकरी में जो हुआ उसका खुलासा करेंगे। गुना में ओडीएफ घोटाला उजागर करने के बाद शिवराज सरकार ने उन्हें मंत्रालय में पदस्थ कर दिया था। पीएचई की बैठक में बुधवार को अधिकारी उस समय सकते में आ गए, जब प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल ने उपसचिव नियाज अहमद को बैठक से निकल जाने के लिए कह दिया। अहमद ने इसकी शिकायत मुख्य सचिव से की है। मंत्रालय में पीएचई की समय सीमा बैठक थी। इसमें अग्रवाल के साथ विभाग के बारह अधिकारी शामिल थे।

मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता

अहमद ने पत्र लिखकर पीएस की शिकायत सीएस से की है। उन्होंने अग्रवाल के साथ काम करने में असमर्थता जताई है। अहमद का कहना है कि पीएस हमेशा अपमान करते हैं। आज भी उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता।

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

प्रदेश में हुआ करोड़ों का घोटाला

भोपाल। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है. वाणिज्यिक कर, उत्पाद शुल्क, वाहन कर, स्टॉम्प पंजीकरण शुल्क, खनन, जल कर में ये घोटाला किया गया. इस वजह से प्रदेश के सरकारी खजाने को कुल मिलाकर 6270.37 करोड़ का नुकसान हुआ. कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शिवराज सरकार के दौरान प्रदेश की पेंच परियोजना में करीब 376 करोड़ की अनियमितता की गयी. (शेष पेज 4 पर)

All Right Riserved © Copyright 2010-11

दिनांक - 12.01.2019

नई दुनिया

पेज नं० - 04

कैग की रिपोर्ट :शहर में 200 बसें स्कूल कोटे में, आरटीओ अफसर नहीं दे सके जवाब

प्रदेश में 1532 प्राइवेट बसों का स्कूल कोटे में पंजीयन, 10.53 करोड़ की टैक्स चोरी

ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि

बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग के अफसरों ने प्रदेशभर में 1532 प्राइवेट बसों का रजिस्ट्रेशन स्कूल कोटे में कर दिया। इससे शासन को 10.53 करोड़ की चपत लगी है। ऑडिट रिपोर्ट में घोटाला पकड़ में आने के बाद अफसरों ने संस्था के नाम दर्ज वाहनों का उपयोग शैक्षणिक संस्था में होने का हवाला दिया, जबकि 479 वाहन जो व्यक्तिगत नाम से दर्ज थे, उस मामले में विभाग ने चुप्पी साध ली। इसी प्रकार की गड़बड़ी ग्वालियर जिले में भी हुई है। यहां भी करीब 200 बसों का रजिस्ट्रेशन स्कूल कोटे में किया गया है। ऑडिट की आपत्ति के बाद परिवहन विभाग ने नोटिस जारी करके खुद को बचाने का प्रयास किया तो बस ऑपरेटर न्यायालय की शरण में पहुंच गए हैं।

ये हैं बस पंजीयन के नियम

प्राइवेट बस: ड्राइवर के अतिरिक्त 6 से अधिक व्यक्ति के बैठने की क्षमता वाले वाहन का उपयोग यदि कारोबार के लिए किया जाता है तो 450 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से) में जमा किया जाना चाहिए।

स्कूल बस: स्कूल कॉलेज या शैक्षणिक संस्था में उपयोग होने वाली बसों के लिए 30 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही (अक्टूबर 2014 से) टैक्स जमा होता है।

अफसरों के कारण शासन को कितना नुकसान

- **परिवहन विभाग के अफसरों की गलती के कारण शैक्षणिक सोसाइटी, समितियों और न्यास से 7.12 करोड़, निजी व्यक्तियों से 3.41 करोड़ को मिलाकर कुल 10.53 करोड़ टैक्स कम प्राप्त हुआ है।**
- **कितने वाहनों का कम जमा हुआ टैक्स:** ऑडिट टीम ने जांच में 1532 वाहनों पर शैक्षणिक संस्था के वाहन के लिए निर्धारित दर से वाहन कर लगाया गया था। इनमें से 1053 वाहन शैक्षणिक सोसाइटी, समितियों और न्यासों के नाम पंजीकृत थे, जबकि 479 वाहन व्यक्तिगत नामों पर रजिस्टर्ड थे।
- **इन जिलों के रिकॉर्ड की हुई जांच:** ग्वालियर, आगर, मालवा, बालाघाट, बड़वानी, देवास, नीमच, उमरिया, भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, मुरैना, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगौन, मंदसौर, रीवा और सतना के रिकॉर्ड की ऑडिट टीम ने जांच की है।
- **कितने वाहनों के दस्तावेज खंगाले:** प्रदेश में अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 के बीच 18 कार्यालयों में कुल 5 हजार 723 वाहनों के पंजीयन किए गए थे। इस दौरान अप्रैल 2013 से मार्च 2016 के बीच के रिकॉर्ड भी खंगाले गए।

479 वाहन के कम जमा टैक्स पर फंसा विभाग

1053 वाहनों के लिए तो परिवहन विभाग ने यह कहकर खुद को बचा लिया कि वाहनों का स्वामित्व संस्था के प्राचार्य को लीज अनुबंध के माध्यम से दे दिया जाएगा। हालांकि ऑडिट टीम इससे संतुष्ट नहीं थी। जबकि 479 वाहनों का व्यक्तिगत नाम से रजिस्ट्रेशन होने पर भी स्कूली बस कोटे में रजिस्ट्रेशन करने के मामले में विभाग बुरी तरह फंस गया है। विभाग ऑडिट टीम को इस मामले में कोई जवाब नहीं दे सका है।

ऑडिट की आपत्ति के बाद जारी किए नोटिस

ग्वालियर जिले में भी करीब 200 वाहनों का स्कूल कोटे में रजिस्ट्रेशन कर टैक्स कम वसूला गया है। ऑडिट की आपत्ति के बाद नोटिस जारी किए गए हैं, इसके बाद कुछ स्कूल संचालकों ने न्यायालय की शरण भी ली है। कुल मिलाकर फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में चला गया है।

क्यों फंसा विभाग: मद्रास हाईकोर्ट ने इसी प्रकार के एक मामले में ट्रस्ट के नाम गाड़ी होने पर सामान्य टैक्स वसूली के निर्देश दिए थे। इसी को आधार बनाकर ऑडिट ने परिवहन विभाग में इस घोटाले को पकड़ा है।

अब क्या: ऑडिट की आपत्ति के बाद स्कूल संचालक अपनी बसों को लीज अनुबंध के आधार पर प्रिंसीपल के नाम रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। इससे की वह अधिक टैक्स जमा करने से बच सकें। परिवहन विभाग के मुताबिक अब नए स्कूली वाहनों का पंजीयन करते समय ही प्राचार्य से अनुबंध का पत्र भी लिया जा रहा है।

> संस्थाएं, समितियां या ट्रस्ट ही स्कूल का संचालन करते हैं। इनके बायलॉज में स्कूल संचालन भी शामिल होता है। समिति के अकाउंट से खरीदी गई बस का स्कूल कोटे में पंजी किया था। ऑडिट ने इसी पर आपत्ति जाहिर की थी। मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्णय के आधार पर वह सामान्य टैक्स जमा कराने की बात कर रहे हैं।
>
> एमपी सिंह, आरटीओ

दिनांक 12.01.19
स्वदेश
पेज नं. 07

सरकार ने पूर्व सरकार को घेरने की तैयारी की

राजनीतिक संवाददाता ■ भोपाल

कांग्रेस सरकार ने अब प्रदेश के 57 सार्वजनिक उपक्रमों से राज्य के सरकारी खजाने को पिछले तीन सालों में 3 हजार 672 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान की जांच करने के लिए पूर्व भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी की है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा सरकार में निवेश की तलाश में मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और अफसरों ने विदेश यात्राओं पर 9 करोड़ 97 लाख रुपए से अधिक राशि खर्च कर डाली है।

महानियंत्रक लेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रमों में जमकर आर्थिक अनियमितताएं हो रही है। प्रदेश के 57 सार्वजनिक उपक्रमों में 6.72 प्रतिशत औसत ऋण लागत से कर्ज लिया था इसमें सरकार को लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले तीन सालों में ही 3 हजार 672 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।पंद्रह उपक्रमों के लेखे फाइनल नहीं हो पाए है उनकी हानि को मिलाकर यह नुकसान और अधिक हो जाएगा। इधर सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है वहीं प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को प्रदेश और बाहर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरु किए गए मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कारपोरेशन के अनुदान से पिछले तीन सालों में पूर्व मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और अफसरों ने पंद्रह बार विदेश यात्राएं की। इस पर 897 लाख रुपए खर्च हुए है। विदेश यात्राओं पर हुए इस खर्च को ना तो शासन के बजट के माध्यम से किया गया ना ही राज्य शासन के खातों में इसे दर्शाया गया इस खर्च की कोई समीक्षा भी सरकार ने नहीं करवाई। कंपनी के 2015-16 से 2017-18 के बीच के लेखों की जांच में यह खुलासा हुआ है।

जुलाई 15 से अक्टूबर 17 के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जापान एवं कोरिया(चीन)तथा अमेरिका के लिए तीन विदेशी दौरों पर अधिकारियों के अनुमोदन के बिना 21 लाख रुपए अधिक खर्च किए। मार्च 16 में डेस्टिनेशन मध्यप्रदेश इन्वेस्टमेंट अभियान मद में प्राप्त सहायता अनुदान से 7 करोड़ 8 लाख रुपए कंपनी के पास उपलब्ध था लेकिन उपयोगिता प्रमाणपत्र पूरी राशि के दे दिए गए।

दिनांक 12.01.19
स्वदेश
पेज नं. 07

दिनांक 12-01-2019
पत्रिका पेज न०-12

कैग रिपोर्ट : भाजपा राज के जाते ही खुलने लगे घोटाले

करोड़ों में चारपाई तक नहीं मिली, ठेकेदारों पर जमकर बरसी कृपा

भोपाल @ पत्रिका. कैग रिपोर्ट ने मध्यप्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार के 9500 करोड़ से ज्यादा के घोटालों का खुलासा किया है। कमलनाथ सरकार ने इनकी जांच कराने का ऐलान कर दिया है। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में विभिन्न विभागों में अरबों का घोटाला हुआ है। इसमें कहीं करोड़ों आने के बाद छात्रों को चारपाई तक नहीं मिली, तो कहीं सरकारी खजाने को चपत लगाकर ठेकेदारों पर मेहरबानी की गई। ऐसे कई घोटाले कैग ने उजागर किए हैं। ऐसे जानिए, किस-किस तरह के हुए घोटाले...

टर्नओवर में ही 873 करोड़ की हेर-फेर

आबकारी विभाग ने सॉफ्टवेयर पर 2.16 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि इसका बजट 2.05 करोड़ था। जो सॉफ्टवेयर बना वो अधूरा था। इसके अलावा 125 प्रकरणों में 872 करोड़ का टर्नओवर कम बताया गया। इसमें 226.13 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी गई। खनन विभाग में 67.03 करोड़ करोड़ रुपए ठेकेदारों से लेना थे, लेकिन छोड़ दिए गए।

6270 करोड़ की चपत

वाणिज्य कर विभाग में तो घोटालों की ये स्थिति रही कि कैग ने जानकारी मांगी तो 8042 प्रकरणों में दस्तावेज ही पेश नहीं किए गए। इसके चलते कैग ने घोटाले की आशंका जताई है। वहीं, 6270.37 करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क, वाहन कर, भू-राजस्व व स्टाम्प-पंजीकरण, खनन और जलकर में कम पाए गए। वाणिज्यकर विभाग खुद 3081 करोड़ रुपए की कम वसूली मान चुका है। इसमें कैग के ऐतराज के बाद ही 5.15 करोड़ रुपए वसूले गए।

डेढ़ अरब में छात्रों को चारपाई तक नहीं मिली

आदिम जाति कल्याण विभाग में 147 करोड़ की मिली है। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिना क्षमता विकसित किए ही 330 छात्रावासों का उन्नयन 2012 में किया। इनमें 247 में न तो शौचालय थे और न ही बच्चों के सोने के लिए जगह थी। एक चारपाई पर दो-दो बच्चों को सुलाया गया। 41 आवासीय विद्यालयों में 3674 बच्चों के विरुद्ध केवल 2094 चारपाई उपलब्ध कराई गई थी।

ओंकारेश्वर व पेंच परियोजना में 572 करोड़ का घोटाला

ओंकारेश्वर और पेंच परियोजना में 572 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। ओंकारेश्वर सागर परियोजना की नहर प्रणाली से धार, खरगोन और खंडवा जिलों के 1.47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की क्षमता विकसित करनी थी। अब तक 3075 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के बाद भी एक चरण का काम पूरा नहीं हुआ है। अफसरों ने ठेकेदारों से 85 करोड़ का जुर्माना भी नहीं वसूला। ऊपर से 60 करोड़ का कर्ज ठेकेदारों को देकर इसमें से 55 करोड़ समायोजन सामग्री मूल्य वृद्धि के विरुद्ध खर्च किए। ठेकेदारों को 101 करोड़ का अनियमित भुगतान किया। पेंच परियोजना में 263 करोड़ रुपए का अनियमित भुगतान हुआ। ठेकेदारों को 113 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

113 करोड़ के फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र

कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आदिम जाति कल्याण विभाग ने 113 करोड़ रुपए के जो उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को भेजे गए थे, वे अवास्तविक थे। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। वहीं, रुपए चालू खाते से निकालकर अलग से खोले गए बचत खाते में जमा किए गए, जबकि ऐसा प्रावधान ही नहीं है।

कमलनाथ ने बैठाई जांच

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन घोटालों पर जांच बैठा दी है। उन्होंने शुक्रवार को सभी विभागों से उनके यहां की गड़बड़ियों की जांच करके रिपोर्ट देने और अफसरों की जवाबदेही तय करने को कहा है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। कमलनाथ ने कहा है कि इस रिपोर्ट से सामने आ गया है कि पिछली सरकार में गठजोड़ भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। हम सारे मामलों की विस्तृत जांच करवाएंगे। हम एक जन आयोग बनाएंगे। सारे मामले उसको सौंपेंगे। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अभी तो यह ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है।

दिनांक - 12.01.19
पत्रिका, पेज नं. 05

र, 12 जनवरी, 2019 Weekend पत्रिका सिटी

निजी से स्कूल वाहन का शुल्क, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में हुई गड़बड़ी

कर वसूली में परिवहन विभाग ने शासन को 20.28 करोड़ का नुकसान पहुंचाया

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर:ग्वालियर सहित प्रदेश 12 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा 20.28 करोड़ रुपए वाहन कर के कम वसूल कर शासन को नुकसान पहुंचाया गया है। इसी तरह 11.65 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि कम लगाकर शासन को हानि पहुंचाई गई।

कैग द्वारा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के मध्य ग्वालियर सहित 12 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों तथा आठ सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की दस्तावेजों की गई जांच में यह खुलासा हुआ है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपयोगी वाहनों पर कर लगाया जाता है। निर्धारित समयावधि में वाहन स्वामी द्वारा कर का भुगतान नहीं करने की स्थिति में कर की जिस राशि का भुगतान नहीं किया गया है उस पर प्रति माह चार प्रतिशत की दर से दंड देय होता है। जो कि कर कि राशि का अधिकतम दोगुना होगा। कराधान प्राधिकारी ऐसे वाहन स्वामी पर जो कर या दंड या ब्याज का भुगतान नहीं करता है देय राशि के लिए नोटिस जारी करता है एवं उसकी वसूली वाहनों को या उसके सहायक उपकरणों को बेचकर की जा सकती है। जांच में पाया गया कि एक साल की अवधि में ग्वालियर सहित अन्य दफ्तरों के दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि वाहन स्वामियों द्वारा 5559 वाहनों का वाहन कर का भुगतान नहीं किया या कम भुगतान किया गया। जोकि नमूना जांच किए गए 34551 वाहनों का 16..09 प्रतिशत था। अभिलेख में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं था कि वाहनों को अप्रचलित घोषित किया गया था अथवा किसी अन्य जिला राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था । परिवहन अधिकारियों ने बकाया राशि के लिए मांग पत्र भी जारी नहीं किए और न ही कर की वसूली के लिए मोटर वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार 20.28 करोड के कर और 11.65 करोड के दंड की वसूली नहीं हो सकी। कैग की रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकता है कि वाहन कर पूर्ण रुप से एकत्र किए जाए और चूककर्ता से कर व दंड भी वसूल हो सके।

निजी वाहनों से 10.53 करोड़ की कम वसूली

कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि निजी सेवा वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा 10.53 करोड का कम कर लगाकर शासन को नुकसान पहुंचाया है। कुल 1532 निजी सेवा वाहनों पर जो कि शैक्षणिक संस्थाओं से जुडे थे यह लाभ पहुंचाया गया। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक शैक्षणिक संस्था वाले वाहनों पर कर 30 रुपए प्रति सीट प्रति तिमाही लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर निजी वाहन जिसमें चालक को छोड़कर छह से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है जो कि आम तौर पर वाहन स्वामी के कारोबार या व्यापार के संबंध में उपयोग किया जाता है पर 450 रुपए प्रतिसीट प्रति तिमाही की दर से कर लगाया जाता है। जांच रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 16 से फरवरी 2017 के मध्य ग्वालियर सहित 18 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के दस्तावेजों की जांच में पाया गया कि 5723 वाहनों पर शैक्षणिक संस्था के वाहन के लिए निर्धारित दर से वाहन कर लगाया जो कि शैक्षणिक संस्थाओं के स्वामित्व में नहीं थे और इनका निजी तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। इस प्रकार इन पर गलत तरीके से कर लगाया गया। इस कारण शैक्षणिक संस्थाओं से 7.12 करोड तथा निजी स्वामित्व वाले वाहनों से 3.41 करोड कर कम प्राप्त हुआ।

दिनांक - 12.01.2019
नवभारत - पेज नं. - 09

शिव सरकार ने बेहिसाब खर्च किए

कैग की रिपोर्ट में खुलासा, शासकीय खजाने को हुआ करीब 4712.16 करोड़ की राशि का नुकसान

नवभारत न्यूज

भोपाल, 11 जनवरी. कैग रिपोर्ट ने इस बार कई बड़े खुलासे कर दिए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 2016-17 बेहिसाब पैसा खर्च किया. इस दौरान शिव सरकार ने आबकारी शुल्क का अरोपण एवं संग्रहण, मप्र वैट अधिनियम के तहत निर्माण ठेकों और बिल्डरों पर करों का निर्धारण, रेत कर का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्व क्षेत्र में भारी अनियमितताएं कर करीब 4712.16 करोड़ की राशि का शासकीय खजाने को क्षति पहुंचाए जाने का अनुमान व्यक्त किए गया हैं.

बता दें कि शिवराज सिंह चौहान इस अवधि में लगातार लोन लेते गए और जनहित के नाम पर मनमाना खर्च किया है. कैग रिपोर्ट में इस दौरान हुए घोटालों का भी उल्लेख है. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में बताया गया कि पेंच परियोजना में 376 करोड़ की अनियमितता की गई. इसके अलावा वाटर टैक्स में 6270 करोड़ का नुकसान, सार्वजनिक उपक्रमों में 1224 करोड़ का नुकसान, छात्रावास संचालन में 147 करोड़ की अनियमितता हुई है.

मार्च 2017 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष की कैग रिपोर्ट में कहा गया कि शिवराज सरकार के दौरान 2016-17 के वित्तीय वर्ष में हुई भारी अनियमितताएं हुई.

बिगड़ा रहा वित्तीय प्रबंधन

कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सरकार ने विदेशी दौरों के खर्च को नहीं दर्शाया गया. विदेशी दौरों में 8.96 करोड़ इन्वेस्टमेंट ड्राइव के मद से खर्च हुआ. वहीं, सरकार ने बजटीय जांच से 8.96 करोड़ का खर्च बचा लिया. आबकारी विभाग अनाज से

निगम-मंडलों पर कैग की टिप्पणी

इस रिपोर्ट के अनुसार, 2012 से 2017 के दौरान संज्य के निगम-मंडल लगातार घाटे में रहे. इसमें सरकार को 4 हजार 857 करोड़ का नुकसान हुआ. वहीं 2017 में 1 हजार 224 करोड़ का नुकसान हुआ था. बताया गया कि निगम-मंडलों पर सरकार इनवेस्ट करती रही लेकिन रिटर्न नहीं मिल पाया. कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भवन एवं अन्य सांनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने टैक्स छिपाया. कर्मकार कल्याण टैक्स के 1218 करोड़ रुपए एकाउंट में दर्ज नहीं है. 2012-13 के बाद से ही अकाउंट तैयार नहीं किए गए. सरकारी विभागों ने 18000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया. उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं कराया. सामाजिक और सामान्य क्षेत्र के विभागों ने राशि खर्च नहीं की गई. सरकार अधिक बजट के दावे करती रही लेकिन विभागों ने खर्च नहीं किया. कुल 54 विभागों में से 35 विभाग सामान्य और सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत है. एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, नगरीय प्रशासन समेत कई विभाग सीएजी ने 2012-13 से 2017 तक के आंकड़े पेश किए.

रिपोर्ट का अध्ययन कर कार्रवाई करेंगे : सीएम

सीएम कमलनाथ ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट पर अध्ययन हो रहा है अध्ययन के बाद कार्रवाई करेंगे.

समिति बनाकर दोषियों पर कार्रवाई हो : दिग्विजयसिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कैग रिपोर्ट में सामने आए करोड़ों के घोटालों पर कहा कि मप्र सरकार को तत्काल वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्री मण्डलीय समिति बना कर दोषी लोगों पर कार्यवाही करना चाहिए.

अल्कोहल के उत्पादन में अनाजों में मौजूद स्टार्च की मात्रा व आसवकों द्वारा नियोजित किण्वन एवं आसवन की तकनीकी पर विचार रखते हुए उचित मान निर्धारण में विफल रहा.

दिनांक-12.01.19
राज एक्सप्रेस
पेज नं- 05

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर सीएम ने कहा

कैग रिपोर्ट ने साबित किया पिछली सरकार का गठजोड़

भोपाल ■ प्रशासनिक संवाददाता

विधानसभा के पटल पर रखी गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि पिछली सरकार में किस तरह का गठजोड़ काम कर रहा था।

श्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल की वित्तीय अनियमितताएं एवं वित्तीय प्रबंधन की कमजोरियां उजागर हुई हैं, करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पिछली सरकार में किस प्रकार का गठजोड़ काम कर रहा था। भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। सारे मामलों की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से कह रही है कि पिछली सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। सरकार मामलों की जांच कराएगी। एक जन आयोग बनेगा, जिसे सारे मामले सौंपे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

कैग की रिपोर्ट पर राज्य सरकार को बनानी चाहिए मंत्रीमंडल समिति : दिग्विजय

भोपाल, (बिर्स)। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की खबरें सामने आने के बाद कहा है कि राज्य सरकार को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति बनाकर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। श्री सिंह ने शुक्रवार को अखबारों में प्रकाशित कैग की रिपोर्ट से जुड़ी खबरों को ट्वीट किया है। इन्हीं खबरों के साथ उन्होंने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार को तत्काल वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति बना कर दोषी लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए विधानसभा के पटल पर रखी गई कैग की रिपोर्ट में कई वित्तीय खामियां सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कई तरह के कर नहीं वसूल पाई, जिससे उसे खासा नुकसान हुआ है।

कैग की रिपोर्ट ने खोली भाजपा सरकार की आर्थिक अनियमितताओं की पोल: शोभा ओझा

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि पिछले 15 साल के दौरान भाजपा की तत्कालीन सरकारों ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार की होली खेली। भाजपा ने कोई भी ऐसा विभाग नहीं छोड़ा जो भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ा हो। श्रीमती ओझा ने महानियंत्रक लेखा (कैग) की हाल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसने तत्कालीन भाजपा सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर पर हुई आर्थिक अनियमितताओं की पोल खोल कर रख दी है। श्रीमती ओझा ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा और निवेशकों को सुविधाएं देने के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्री गण तथा अधिकारियों ने विगत 3 साल के दौरान विदेशों के 15 दौरे किए। इन दौरों पर खर्च हुई 897 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। यहां तक कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी समीक्षा भी नहीं की और न ही उसकी भरपाई के उपाय किए। व्यय की गई राशि न तो राज्य शासन के बजट के माध्यम से खर्च की गई और न ही शासकीय खातों में इसे दर्शाया गया। इस दौरान विदेशों के कई ऐसे दौरे भी हुए, जिनकी पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई।

दिनांक - 12.01.2019
सत्ता सुधार
पेज नं - 01

सीएजी रिपोर्ट पर कमलनाथ के तीखे तेवर

'नहीं बख्शेंगे खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को'

सत्ता सुधार|भोपाल

विधानसभा के पटल पर रखी गयी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि पिछली सरकार में किस तरह का गठजोड़ काम कर रहा था।

कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल की वित्तीय अनियमितताएं व वित्तीय प्रबंधन की कमजोरियां उजागर हुई हैं, करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आयी है। उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पिछली सरकार में किस प्रकार का गठजोड़ काम कर रहा था। भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा था। सारे मामलों की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से कह रही है कि पिछली सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार का

खेल खेला गया है। सरकार मामलों की जांच कराएगी। एक जन आयोग बनेगा, जिसे सारे मामले सौंपे जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

इधर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति बनाकर दोषियों पर कार्यवा[illegible] करनी चाहिए।

the pioneer
Friday, 11 January 2019

Champions are Exclusive
Catalyser's Scholarship Test
BoSöN
Catalyser
Register Now On www.catalyser.in | For Class 7th to 12th

Report accuses previous Govt of scam

Friday, 11 January 2019 | Staff Reporter | Bhopal

SHARE

Report accuses previous Govt of scam

Friday, 11 January 2019 | Staff Reporter | Bhopal

The Comptroller and Auditor General (CAG) report has accused the Shivraj Singh Chouhan government of scams. The report states that in the previous government, the Finance department has spent funds exorbitantly.

The CAG report stated that irregularities worth Rs 376 crore have been found in Pench project, besides los of Rs 6270 crore in water cess. Losses worth Rs 1224 crore in public sector undertakings (PSUs) and irregularities worth Rs 147 crore in the hostels have been registered.

The CAG report released on the financial year ended on March 31, 2017, it was pointed out that gross irregularities took place in the year 2016-17.

It was found that the government did not mention the expenditure on foreign trips. A total of Rs 8.96 crore was spent on foreign trips from the head of Investment Drive, but the government saved this amount with budgetary probe.

Almost all the corporations and the Mandals of the government remained n losses from 20112 to 2017. They incurred loss of Rs 4,857 crore, while the loss of Rs 1,224 crore was registered in the year 2017 only.

The CAG report stated that the State government continued to invest on these corporations and Mandals, but they did not give any returns.

It pointed out that Contruction Labourer Welfare Mandal did not deposit taxes. Taxes worth Rs 1218 crore collected by the Mandal were not shown in the accounts. No accounts are available in the Mandal since 2012.

It was also mentioned in the report that the government departments did not give details of expenses worth Rs 18,000 crore.

Easy and Fast Weight Loss Trick - Watch Her Extreme Weight Loss Transformation

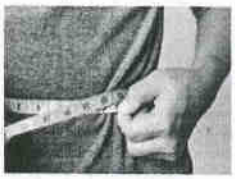
Want to Lose Weight over 30 kgs in 2 Months? Just Do 1 Easy Thing (Try It)

दिनांक 13.01.2019
Times of India, page no- 1

CAG picks loopholes in audit of sand mining, water tax dues in MP

▶Continued from P1

Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Limited had organised 15 foreign tours at an expense of Rs 8.96 crore from funds released to it as grants-in-aid under the head "5531-Destination MP Investment Drive" by Directorate of Industries (DoI), GoMP.

The total financial implication of CAG's findings on state's revenue sector was Rs 4712.16 crore – covering levy and collection of excise duty, assessment of taxes on works contracts and builders under MPVAT Act, sand mining and environment consequences and assessment and collection water tax

The audit found that excise department failed to prescribe "suitable, or any, norms" for production of alcohol from grains by taking into consideration starch content in grains, fermentation efficiency and distillation efficiency in accordance with technology employed by distillers, which deprived the government of a minimum revenue of Rs 1,086.65 crore.

Failure to revise fermentation efficiency and distillation efficiency deprived the government of another Rs 82.54 crore in excise duty.

The government's policy to only allow distillers of the state to participate in tender process for supply of country liquor without analysing the realistic cost of production led to less competition, cartel formation and undue benefit of Rs 653.08 crore to distillers, the report says.

The department failed to impose penalty of Rs 462.77 crore on 12 defaulting manufacturing units that submitted excise verification certificates with delays up to 401 days.

Audit analysis of records relating to all circles revealed that there was no evidence that 646 works contractors who had opted for composition facility for contract amount of Rs 4,535.40 crore during 2013-14 to 2015-16.

The audit on 'Sand mining and environmental consequences" found that collectors of Balaghat and Ujjain fixed the reserve price on dead rent instead of the estimated quantity of sand in 31 mines resulting in short realisation of royalty of Rs 3.37 crore.

Executive engineers of 18 divisions failed to recover water tax dues worth Rs 1,489.67 crore from industries, domestic water supply entities and cultivators.

In 18 district mining offices (DMOs), royalty of Rs 62.50 crore was not /short-realized from 58 lessees and 11 contractors. TNN

page no- 2

CAG exposes misuse of funds in BJP rule

P.Naveen@timesgroup.com

Bhopal: The Comptroller and Auditor General (CAG) has exposed massive financial mismanagement, irregularities, misuse of government funds, unauthorized foreign tours, and extension of undue benefits to distillers during BJP rule in Madhya Pradesh.

The government failed to ensure submission of utilisation certificates (UCs) on grants-in-aid of Rs 18,080.10 crore, says the latest CAG report. "Financial irregularities and weak fiscal management of the BJP government have been exposed. It is clear from the CAG report how a group was working for the previous government. Losses amounting to crores of rupees have been revealed," Kamal Nath said. "I have been saying from the very beginning that corruption took over the last government. A probe will be conducted. Detailed investigations will be done. We will constitute a Jan Ayog (People's Commission) and hand it all such cases. Punitive action will be taken against those who were involved. We will spare no one responsible for losses to the government exchequer," the CM warned, adding: "The CAG report is just a trailer and the full film is yet to come. Keep watching."

> "Financial irregularities and weak fiscal management of the BJP government have been exposed. It is clear from the CAG report how a group was working for the previous government. Losses amounting to crores of rupees have been revealed
>
> Kamal Nath | Chief Minister

The CAG report is scathing on the previous government. "Blocking of funds on incomplete works impinges negatively on the quality of expenditure. Water resources department, PWD, and Narmada Valley Development Authority had 242 incomplete projects, valued at Rs 9,557.16 crore, with cost over-run of Rs 4,800.14 crore in 24 projects (where costs have been revised)," says CAG report for the year ended March 30, 2017.

Auditors found that government did not constitute a consolidated sinking fund for amortization of loans unlike other States. This resulted in the state government not contributing Rs 635.72 crore (0.50% of their outstanding liabilities of Rs 1,27,144.43 crore as on 31 March 2016).

▶Continued on P 2

नई दुनिया
दिनांक 14.01.2019
पेज नं० - 07

देरी की वजह से 4800 करोड़ बढ़ी 24 प्रोजेक्ट की लागत

भोपाल। नईदुनिया स्टेट ब्यूरो

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

निर्माण कार्यों में देरी की वजह से जनता के पैसे की किस तरह बर्बादी होती है, इसका नमूना भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। कैग ने बताया है कि मप्र में तीन विभागों के 24 प्रोजेक्ट में देरी होने की वजह से उनकी लागत 4 हजार 800 करोड़ रुपए बढ़ गई। इन 24 परियोजनाओं की शुरुआती लागत 1 हजार 104 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 5 हजार 904 करोड़ रुपए हो गई।

कैग ने प्रोजेक्ट पूरे करने में बरती जा रही ढिलाई पर आपत्ति जताई है। कैग ने कहा है कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एक प्रक्रिया विकसित करें। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों विभागों की करीब 242 परियोजनाएं ऐसी हैं, जो समय पर पूरी नहीं हो पाई। इसमें जल संसाधन विभाग की 43, लोक निर्माण विभाग की 194 और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की पांच परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें से 24 परियोजनाओं की लागत का फिर से निर्धारण किया गया। इसमें जल संसाधन की एक, लोक निर्माण की 19 और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार परियोजना शामिल हैं। सभी 242 अधूरी परियोजनाओं पर अब तक 8 हजार 600 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला।

1 हजार 712 करोड़ का नुकसान : एक अन्य मामले में भी कैग ने राज्य सरकार को हुए 1 हजार 712 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा किया है। कैग ने बताया कि 2012 से 2017 तक कर्ज पर मिले ब्याज और सरकार द्वारा कर्ज पर चुकाए गए ब्याज के बीच अंतर के कारण राज्य को 1 हजार 712 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

दौड़ने निकले युवक को अज्ञात वाहन ने कुचला, मौत

मुरैना (नईदुनिया प्रतिनिधि)। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रविवार सुबह साढ़े पांच बजे जौरा रोड पर अज्ञात वाहन ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक अरुण (20) पिता रामचरन पचौरी को कुचल दिया। युवक बीच सड़क पर दौड़ रहा था, क्योंकि निगम की लापरवाही से सड़क किनारे पानी भरा था। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आंबेडकर कॉलोनी जौरा रोड निवासी अरुण रविवार सुबह भी दौड़ने निकला था। इस दौरान पीछे से आ रहे वाहन ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद युवक की शिनाख्त नहीं हुई और पुलिस शव को पीएम हाउस लेकर आई। बाद में परिजन पीएम हाउस पर पहुंचे। परिजन व बसपा नेताओं ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि निगम अफसरों की लापरवाही से यह दुर्घटना हुई है।

(51)

कुल पेज 12

बेबाक, बेधड़क, बेमिसाल

नया इंडिया

शनिवार फ़रसत

दिनांक- 02/12/2017 पेज-03

सर्वशिक्षा अभियान में पिछड़ा मध्यप्रदेश : सक्सेना

भोपाल ■ नया इंडिया

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि छह साल में करीब 42.86 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है और यह स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चों के स्कूल छोड़ने के मामले में देश में मप्र का चोथा स्थान है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीआई) पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में हुए खुलासे से प्रदेश में सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या जहां 28 लाख से अधिक पहुंच गई है, वहीं निजी स्कूलों में भी यह आंकड़ा 14.86 लाख के पार पहुंच गया है। सर्वशिक्षा अभियान को राज्य सरकार ने अभिशाप बना दिया है। सक्सेना ने शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है।

सक्सेना ने कहा कि प्रदेश में करीब 48 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जहां 1.19 लाख शिक्षक पदस्थ होने चाहिए, वहां केवल 70.875 शिक्षक ही पदस्थ हैं। सीएजी की रिपोर्ट में चौंका देने वाला एक खलासा यह भी हुआ कि राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाया था, जिसके तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने घर-घर जाकर 14 साल तक के बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वे कराया था, जिसमें बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए एक यूनिक नंबर देना था, जो नहीं दिया गया, हैरानी की बात है कि इस अभियान का राज्य सराकर के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

बदलते जमाने का अखबार

पीपुल्स समाचार

स्थापना वर्ष : 2009

दिनांक 02/12/2017 Page - 01

कैग ने खोली मप्र में शिक्षा के स्तर की पोल, तमाम योजनाएं महज कागजों तक सीमित

18 हजार करोड़ खर्च किए, फिर भी हिंदी तक नहीं पढ़ पाते बच्चे

रिपोर्ट

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.न. 9425078939

मध्यप्रदेश में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर की पोल सीएजी की रिपोर्ट ने खोलकर रख दी है। बीते पांच सालों में राज्य सरकार ने 17 हजार 905 करोड़ की राशि प्रारंभिक शिक्षा पर खर्च की है, फिर भी पांचवीं और आठवीं के छात्र हिंदी वर्णमाला को पहचानने तक में असमर्थ हैं। खास बात यह है कि प्राइमरी से मिडिल में पहुंचने के बाद योग्यता का स्तर और बिगड़ गया।

ऐसे सामने आए आंकड़े : स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की स्थिति जानने के लिए जुलाई 2016 में बेसलाइन टेस्ट का आयोजन किया था। इसके बाद सभी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में एक महीने तक सुधार कक्षाएं आयोजित की गई। इसके बाद अगस्त 2016 में एंडलाइन टेस्ट किया गया, जिसमें चौंकाने वाले आकड़े सामने आए।

टेस्ट से सामने आए प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शर्मनाक आंकड़े

कक्षा आठवीं के छात्रों की स्थिति

10% छात्र ही हिंदी वर्णमाला पहचानते हैं

21% विद्यार्थी मापन तक नहीं कर सकते

16% छात्र गणित में एक से 9 अंक तक पढ़ पाते हैं

28% छात्र अंग्रेजी में सामान्य वाक्य पढ़-लिख लेते हैं।

पांचवीं के छात्रों का हाल

17% छात्र ही हिंदी वर्णमाला की पहचान कर सकते हैं

23% छात्र ही गणित में 1-9 तक के अंक पहचान पाते हैं

25% छात्र हिंदी के शब्द पढ़-लिख सकते हैं

24% छात्र ही अंग्रेजी में शब्द लिख-पढ़ सकते हैं।

4,811
स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं
(स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को विधायक सुखेंद्र सिंह के प्रश्न के जवाब में बताया।)

फाइलों में अतिशेष और स्कूलों में नजर ही नहीं आते शिक्षक

चालू सत्र में युक्तियुक्तकरण के लिए कराए गए सर्वे में प्राइमरी स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की संख्या सर्वाधिक मिली थी, लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर शिक्षक या तो सांसदों-विधायकों के यहां अटैच हैं या फिर मुख्यालयों में अटैच हैं। वहीं संविदा शिक्षकों की भर्ती करने में सरकार ने पूरा साल निकाल दिया है, लेकिन विज्ञापन तक जारी नहीं हुआ है।

एक दर्जन योजनाएं

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिभा पर्व, शाला सिद्धि, स्मार्ट क्लास, हेड स्टार्ट जैसी एक दर्जन से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं लेकिन ये धरातल पर नहीं पहुंच रही है। योजनाओं में सिर्फ कागजी काम हो रहा है।

शिक्षा मंत्री ने नहीं की बात

कैग की रिपोर्ट पर स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

> कैग की रिपोर्ट पुराने सर्वे के आधार पर पेश की गई है। अभी एमसीईआरटी का सर्वे चल रहा है। हमारी कई योजनाएं चल रही हैं, जिनसे शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है।
>
> **-दीप्ति गौड़ मुखर्जी**, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

(39)

स्वदेश

दिनांक- 02/12/2017

पेज-07

कैग की रिपोर्ट : साढ़े 14 लाख बच्चों ने बीच में ही छोड़ दी पढ़ाई

भोपाल ब्यूरो

प्रदेश में प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेने वाले 23 फीसदी बच्चे पांचवीं कक्षा पास करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में मप्र की राज्य पूरी तरह से फेल रही है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा शिक्षा का अधिनियम कानून के परिपालन को लेकर पेश की ऑडिट रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरटीई के तहत भारत सरकार से जो अनुदान मिलता है, उसे राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को वितरित करने में अनियमितता की है। ऐसे स्कूलों को भी अनुदान दे दिया गया था, जो मान्यता प्राप्त नहीं है।

पांचवीं से पहले ही 23 फीसदी बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई

अनिवार्य शिक्षा को प्रभावी बनाने में सरकार फेल

कैग रिपोर्ट के अनुसार स्कूल चलें हम अभियान के तहत किए गए सर्वे में कमजोर वर्ग के बच्चों को शामिल नहीं किया गया। जिसकी वजह से शिक्षा विहीन बच्चों के सही आंकड़े सामने नहीं आ पाए। अनिवार्य शिक्षा के नाम पर राज्य में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नेशनल सेंपल सर्वे ऑन एस्टीमेशन ऑफ ओओएसी ने राज्य में 4.51 लाख बच्चों को स्कूल से बाहर पाया। जबकि मप्र सरकार के परिवार सर्वेक्षण में 2015-16 में 60 हजार बच्चों को स्कूल से बाहर चिह्नत किया।

कैग ने रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि वर्ष 2010 से 2016 के बीच 10.25 लाख बच्चों ने पांचवीं के बाद स्कूल छोड़ दिया। जबकि 4.09 बच्चों ने कक्षा सातवीं से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था। कैग ने माना कि मप्र प्रारंभिक शिक्षा में काम नहीं कर पाया। आरटीई के तहत अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है, लेकिन मप्र सरकार ने भोपाल, इंदौर और बुरहानपुर के स्कूलों को पैसा दिया। इसी तरह बुरहानपुर, धार एवं झाबुआ के 303 फर्जी स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति दी गई।

एक शिक्षक के भरोसे स्कूल

कैग रिपोर्ट के अनुसार आरटीई लागू होने से 3 साल के भीतर स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने का लक्ष्य था। लेकिन वर्ष 2016 में 18940 प्राथमिक एवं 13763 माध्यमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे हैं। मार्च 2016 की स्थिति में मप्र में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में 64851 शिक्षकों के पद खाली थे। अभी तक पद नहीं भरे गए हैं। आरटीई के तहत स्कूलों में दाखिला लेने वाले 71 फीसदी बच्चों के माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता नहीं मिली।

मोदी ने आते ही रोक दिए थे 537 करोड़

केंद्र की मोदी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए 13 वें वित्त आयोग की अनुदान राशि 537 करोड़ जारी नहीं की। क्योंकि मप्र सरकार अनुदान की शर्तों को पूरा करने में असफल रहा। जिससे मप्र को इस भारी राशि से हाथ धोना पड़ा।

दैनिक भास्कर (23)
दिनांक - 01/12/2017

आरटीईः 303 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के 4,361 छात्रों के लिए 1.01 करोड़ रुपए का कर दिया भुगतान

ग्वालियर| शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के तीन जिले बुरहानपुर, धार एवं झाबुआ में 2011 से 15 के दौरान 303 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के 4,361 छात्रों के लिए 1.01 करोड़ रुपए फीस के तौर पर भुगतान कर दिए गए। जबकि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को आरटीई के तहत फीस की प्रतिपूर्ति करने का नियम ही नहीं है। इस तरह का फीस घोटाला बुरहानपुर, धार व झाबुआ में होने का खुलासा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा 30 नवंबर यानी गुरुवार को विधानसभा पटल में पेश की गई रिपोर्ट से हुआ है।

दतिया सहित तीन जिलों के स्कूलों को 1.63 करोड़ रुपए का नहीं किया गया भुगतानः स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर खाता संख्या की गलत जानकारी दर्ज किए जाने के कारण 2011-16 के दौरान दतिया, बालाघाट, धार व रतलाम के स्कूलों को 1.63 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। इससे यह राशि डीपीसी के खाते में पड़ी रह गई। इससे स्कूल राशि पाने से वंचित रहे। इतना ही नहीं कैग की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बालाघाट व रतलाम जिलों में 174 प्रकरणों में 6.12 लाख रुपए का डबल भुगतान किया गया है।

(35)

09

पत्रिका

जानना जरूरी

मध्य प्रदेश में सबसे ऊँची चोटी, धूपगढ़ की है जिसकी ऊंचाई 1,350 मीटर (4,429 फुट) हैं।

दिनांक - 01/12/2017 पेज-09

कैग रिपोर्ट में खुलासा...

प्रदेश में छह साल में 10.25 लाख बच्चों ने कक्षा पांच के बाद ही स्कूल छोड़ा

पत्रिका न्यूट नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. प्रदेश में वर्ष 2010 से 2016 के बीच 10.25 लाख बच्चों ने प्राथमिक स्तर पर कक्षा पांच के बाद विद्यालय जाना छोड़ दिया। जबकि 4.09 लाख्श बच्चों ने कक्षा आठ में नामांकन हुए बिना ही कक्षा सात के बाद स्कूल जाना छोड दिया। इस प्रकार प्रदेश में निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट गुरुवार को विधान सभा में प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इस दौरान वार्षिक कार्य योजना के तहत भारत सरकार और राज्य शासन ने 7,284.61 करोड़ रुपए कम जारी कि फिर भी स्कूल शिक्षा विभाग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने मे असफल रहा। इसकारण अनुदान की कम राशि जारी की गई।

प्रदेश में 63,851 शिक्षकों के पद रिक्त

कैग की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के 63,851 पद रिक्त थे। कई जिलों में शिक्षकों की पदस्थाना के बाद भी शिक्षकों के पद खाली पड़े है।

स्कूल में पढ़ते हैं शब्द नहीं पहचानते

कैग द्वारा इस दौरान चिन्हित जिन स्कूलों में अगस्त 2016 में एण्ड लाइन टेस्ट लिया गया इससे पता चला कि अधिकतर बच्चे पढ, लिख नहीं सकते थे। वे शब्द भी पहचान नहीं सकते थे और उनमें आयु के अनुसार गणित योग्यता भी नहीं थी। सर्वे के दौरान 71 प्रतिशत माता-पिता ने बताया कि उनके बच्चों को स्कूलों में अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान नहीं की गई।

71 प्रतिशत तक आरटीई के तहत दिया प्रवेश

प्रदेश मे केवल 67 प्रतिशत से 71 प्रतिशत तक निजी क्षेत्र के गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों ने आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत बालकों को प्रवेश दिया गया। निजी क्षेत्र के शेष विद्यालयों द्वारा आरटीई अधिनियम का कार्यान्वयन न करने के कारणों की जानकारी विभाग को नहीं थी।

निजी स्कूलों की जांच के लिए नहीं था तंत्र

निजी क्षेत्र के विालयों के प्रारंभ होने, संचालित होने एवं बंद होने का पता लगाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था। मान्यता संबंधी अभिलेख जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थे उन्होंने इस संबंध में कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए।

फर्जीवाड़ा...

जिनको मान्यता नहीं, उन स्कूलों को बांट दिए करोड़ों

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. प्रदेश की स्कूली शिक्षा में भारी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कैग रिपोर्ट ने सरकारी शिक्षा का सच सामने रखा है। इसमें बताया गया है कि किस तरह मध्यप्रदेश मे ऐसे स्कूलों को करोडों बांट दिए गए, जिनको मान्यता ही नहीं थी। इतना ही नहीं शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए बजट ही नहीं था। पूरा पैसा सर्वशिक्षा अभियान के मद से खर्च कर दिया गया।

कैग रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्वशिक्षा अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 2010 से 2016 के बीच 7264.61 करोड़ रुपए कम दिए। इतना ही नहीं मार्च 2016 तक 357.70 करोड़ रुपए ऐसे थे जो शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों को गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बदले फीस प्रतिपूर्ति के रूप में गलत तरीके से दे दिए गए। इसके अलावा 1 करोड़ एक लाख रुपए उन स्कूलों को फीस प्रतिपूर्ति के रूप में दिए गए, जो मान्यता प्राप्त स्कूल ही नहीं थे। इनकी मान्यता की तस्दीक करे बिना प्रतिपूर्ति राशि बांट दी गई।

कैग रिपोर्ट बताती है कि मध्यप्रदेश में स्कूली शिक्षा का आर्थिक प्रबंधन पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। इसमें स्कूल चले अभियान के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को शामिल करना था, लेकिन मैदानी सर्वेक्षण में पाया गया कि कमजोर वर्ग के बच्चे शामिल नहीं किए गए। सितंबर 2014 में 4.15 लाख बच्चे शाला से बाहर बताए गए। वही 2015-16 में महज 60 हजार बच्चे शाला से बाहर बताए गए।

Times of India Dt. 25/03/2017 BHOPAL

Access Denied: CAG Raps Govt On Vyapam

• Says Shadowy Control 'Eroded Credibility' • Red-Flags Appointments

P.Naveen@timesgroup.com

Bhopal: The CAG has severely criticized the Shivraj Singh Chouhan government on a string of "irregularities" concerning Vyapam — from the government's alleged "dual stand" and how central auditors were stopped from accessing its records to "arbitrary appointments" and alleged lack of financial accountability.

The report, tabled in the assembly on Friday, has ignited a political storm in Madhya Pradesh where the Vyapam scam is still a raw wound for the government and a soft target for the opposition.

"While the MP government disowned and distanced itself from Vyapam, on the other hand it was in full control of the examination board for all practical purposes... The shadowy control (on Vyapam) has led to a situation where there was severe erosion in the credibility of exams conducted by board," CAG observed in its latest report for 2015-16 tabled on Friday. In a scathing remark, the report points out that the state government "did not take any remedial measures" by framing rules/regulations to prevent irregularities even after the Vyapam scam.

While the government seemed numbed by the report — no one was willing to give a comment — Congress seized the opportunity. Leader of Opposition Ajay Singh said, "This is a very damning report. The Shivraj Singh Chouhan BJP government now stands fully exposed."

It's not usual for CAG to hold a press conference in a state while releasing its report but that's exactly what happened this time.

Accountant general Saurabh Mallick presented the report at a press meet on Friday. "The board (Vyapam) was constituted with confusion over its status, which persists till date. The state government in the notification of 1982 declared that it would not be responsible for any act of Vyapam. However, the status of the board as a government department was accepted thereafter, which was also confirmed by the law department of MP during various inter-departmental deliberations," says the report. The government did not allow access to Vyapam records in 2015 and 2016, saying it was not a government body, notes the CAG.

The posts of chairman, director and controller of the board were filled by the transfer of state government officers and government funds were utilised at the instance of the government, the report says. Despite this, the government did not frame any rules regarding conduct of board, examination, business of board, collection and deposit of fees and financial procedures, it said, adding that the confusion over the status of Vyapam "was allowed to continue".

The CAG has recommended that the state government investigate cases of irregularities in appointment of officers to the board and hike in pay of officers. It also suggests Vyapam be brought to the level of a public service commission/ staff selection commission.

▶FULL COVERAGE: P 3

▶Continued on P 3

AUDIT STICK FOR STATE GOVT

- Govt's shadowy control (on Vyapam) led to... **severe erosion in credibility** of exams it conducted
- Appointments of director and controller were made by **"systemic subversion of rules"**
- **No evidence that govt ensured integrity of IT-based system** used in the exams
- The govt **did not frame rules to prevent irregularities** even after Vyapam scam
- Key appointments made on direct orders of a minister **"in contravention of the rules"**
- Funds of the board were kept outside govt account and **not subjected to budgetary control of the legislature**
- Transfer of govt recruitment process went **against well-established judicial and constitutional pronouncements**
- CAG auditors **were stopped from accessing Vyapam records**

Accountant general Saurabh Mallick releases the CAG report at a press conference in Bhopal on Friday. It's not usual for the CAG to hold press meets on its findings

Vyapam had no hesitation in transferring ₹13.75 cr to other organisations

MP's healthcare fairytale in tatters

Times News Network

Bhopal: In a major embarrassment to the Madhya Pradesh government, CAG has punched holes in the implementation of National Rural Health Mission (NRHM).

Contrary to the state government's tomtomming its "achievements" in rural health, the central audit revealed financial irregularities and misappropriation of central funds for the project. The Centre gave Rs 5,269.70 crore to the state in the last fiscal to revamp rural healthcare but the state failed on a host of key parameters.

Goals for infant and maternal mortality rates not achieved: Infant mortality rate (IMR) in the state was 51 per 1,000 live births and maternal mortality rate (MMR) stood at a shocking 221 per 1,00,000, way higher than the national average (40 and 167). The report said shortfall in providing maternal, child and reproductive healthcare services resulted in the failure in achieving targets.

Maternal Healthcare: Out of the 93.72 lakh pregnant women registered for ante-natal care during 2011-16, only 52.51 lakh (56%) were registered within first trimester of pregnancies and 19.44 lakh (21%) pregnant women did not undergo three check-ups. As a result, well-being and the progress of foetal growth could not be ascertained in such cases.

▶Continued on P 3

22 med students axed from rolls

Indore: Under Supreme Court directives, Mahatma Gandhi Memorial Medical College (MGMMC) on Friday cancelled admission of 22 students who bagged admission through the back door. Dean, Dr Sharad Thora said admissions of 22 students have been cancelled following SC order. P 3

CAG gives govt a lot to answer

▶From P 1

Arbitrary appointments: The appointments of director and controller were made by "systemic subversion of rules", resulting in undue favour to certain individuals, it says. Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed to these posts directly on orders of the then minister "in contravention of the rules".

Delayed & faulty constitution of statutory board: The delay in establishment of statutory Board "defeated the purpose of providing greater authority and credibility" to the Professional Examination Board in Madhya Pradesh. The state legislature passed the Vyapam Act in August 2007 but the government established the statutory board under this Act only in March 2016 — after a delay of more than eight years.

Transfer of govt recruitment against constitutional pronouncements: Recruitment examinations for state-level posts were transferred to Vyapam in April 2003 in an "unprecedented manner", the CAG report says. There was no augmentation of manpower/established system to handle the new function. This hampered conduct of examination by the board. Conduct of recruitment examination — a primary function of the government to ensure free and fair recruitment to its own services, which was till now being conducted by PSC/ government departments — was "jettisoned in favour of an institution that was neither statutory nor independent, nor functioned under well laid out regulations", it points out. This went against established judicial and constitutional pronouncements, it says.

CAG auditors kept out: The state government did not take any remedial measures by framing rules/regulations to prevent irregularities even after Vyapam reported some cases of irregularities in conduct of examination. There was no evidence that the government ensured the integrity of IT-based system used in the examination conducted by the board. Early on, the government decided that the audit would not be entrusted to CAG as it was presumed that the 'AG was very busy'. AG was not consulted in the matter.

Financial accountability ignored: The fund of the board was kept outside government account and it was not subjected to budgetary control of the legislature. The board, however, had no hesitation in transferring Rs 13.75 crore fund to other organisations for activities not connected with Vyapam. TNN

AUDIT WATCHDOG RAP ON MP GOVT

SIMHASTHA LOSSES

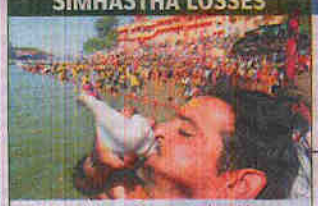

- PWD paid extra Rs 4.76 crore on account of injudicious fixation of higher rate for item "clearing & grubbing"
- Undue aid to contractor on account of payment of 40.82 lakh made to Railways
- Extra payment of Rs 5.65 crore due to inclusion of higher rate for RCC pipe
- Irregular payment of Rs 48.85L for temporary land acquisition for Khan River diversion

Royalty of ₹3.26 cr for hard rock not recovered

OTHERS

- The decision of MARKFED, Bhopal paid Rs 1.30 crore extra for transportation
- Rs 62.68 lakh loss to the government over delay in implementation of revised rates of entry fees in the National Parks/ Sanctuaries/Tiger Reserves
- 2% of the total farmers in the state had been benefitted under National Food security mission (NFSM)
- **JP Hospital, Bhopal made fraudulent excess payment of Rs 48.67L to laundry services for washing of linen clothes on the basis of incorrect verification of secretary, Rogi Kalyan Samiti**

55% moms got post-partum aid

▶Continued from P 1

HIV & VDRL tests not conducted: HIV testing of 47.27 lakh and VDRL testing of 60.34 lakh pregnant women were not conducted. As many as 28% women were discharged within 48 hours of delivery in public institutions, says the report, and only 35.21 lakh (55%) mothers received post-partum check-up between 48 hours and 14 days after delivery due to the "apathetic attitude of service providers", it adds. Against 93.72 lakh registered pregnancies during 2011-16, there were only 69.83 lakh deliveries. The case of missing deliveries may have an impact on the skewed sex ratio of 92:48 at birth in the state.

Child immunisation: There was shortfall of 16-21% in targets set for child immunisation against seven vaccine-preventable diseases due to lack of awareness among parents and failure to mobilise women/children by the administration, the report points out. Out of 69.25 lakh live births, only 39.30 lakh (57%) infants were provided hepatitis B vaccine due to lack of storage facilities.

Family planning: The State did not achieve the targeted total fertility rate (TFR) due to under-performance in family planning programme, says CAG. Against 3.03 lakh male sterilisations planned during 2011-16, only 0.83 lakh (27%) were performed. Female sterilization was a shade better at 43% and 22% of target (minilap and post-partum). There was a 42% shortfall in distribution of contraceptive pills and 49% in condoms.

Admission of 22 students cancelled

▶From, P1

"Following the SC order, we have cancelled admission of as many as 22 students, who were involved in Vyapam scam to get MBBS seats in our college between 2008 and 2012 through unfair means," dean, Dr Sharad Thora, told TOI. He will write to Medical Council of India (MCI) to cancel the registration if any of them have graduated with MBBS degrees.

Initial probe into the financial and administrative irregularities in MP Professional Examination Board (MPPEB), better known by its Hindi acronym Vyapam, later surfaced as a big scam after Indore police arrested 20 people in Jul 2013. The arrested youths had come from different states to impersonate local students in the pre-medical test (PMT). TNN

दबंग दुनिया, भोपाल, 25/03/2017

कैग ने कहा, सरकार ने रोकी थी व्यापमं की जांच

रिपोर्ट में कई विभागों की कमियां हुईं उजागर

प्रशासनिक रिपोर्टर › भोपाल

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने शुक्रवार को व्यापमं से जुड़े मामलों पर बड़े खुलासे किए हैं। इसके अलावा सरकार के अन्य विभागों की कमियां भी रिपोर्ट में सामने आई हैं। इससे सरकारी विभागों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रदेश सरकार ने कैग को व्यापमं के दस्तावेज की जांच करने से रोक दिया। सरकार द्वारा तर्क दिया गया था कि व्यापमं सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए व्यापमं के रिकार्ड आडिट नहीं किए जा सकते। व्यापमं को लेकर शासन का दोहरा दृष्टिकोण नजर आता है। घोटालों के बाद से सरकार ने व्यापमं से किनारा कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ उसका पूरा अधिकार एग्जामिनेशन बोर्ड पर था। ये खुलासा कैग की वित्तीय वर्ष 2016 की रिपोर्ट में हुआ है। ये जानकारी शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए अकाउंटेंट जनरल सौरभ के मलिक ने दी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापमं की ओर से आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई है। और व्यापमं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। रिपोर्ट में सिंहस्थ के अंतर्गत खान नदी डायवर्जन में गड़बड़ी बताई गई हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इससे ठेकेदार को करीब 48 लाख से अधिक गलत भुगतान किया गया है।

मंत्री के आदेश पर अफसरों की नियुक्ति

रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य शासन ने डॉ. योगेश उपरीत और पंकज त्रिवेदी को तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया था। शासन ने व्यापमं की ऑडिट कैग को ये मानते हुए नहीं सौंपी की ऑडिटर जनरल व्यस्त थे, जबकि शासन ने ऑडिटर जनरल से परामर्श नहीं किया। बोर्ड की स्थिति को लेकर उसके गठन के समय जो उलझन थी वो अब भी बनी है। राज्य सरकार ने 1982 के अपने द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया था के वह व्यापमं के किसी भी कार्य के लिए जवाबदार नहीं रहेगी। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड को सरकारी विभाग के तौर पर बाद में स्वीकृत किया गया, जिसकी मप्र लॉ डिपार्टमेंट की ओर से भी पुष्टि की गई। कैग के अनुसार उन्हें सरकार ने 2015 और 2016 के व्यापमं रिकार्ड की जांच नहीं करने दी। सरकार की ओर से कहा गया कि व्यापमं सरकारी संस्था नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापमं के बोर्ड में अध्यक्ष, निदेशक और नियंत्रक के पदों को राज्य सरकार के अधिकारियों के स्थानांतरण से भर दिया गया था और सरकारी फंड का इस्तेमाल सरकार के कहने पर ही किया गया था।

...लाख महिलाओं की ...ईं की एचआईवी जांच

मध्यप्रदेश में महिलाओं और नवजातों के साथ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कैग ने उजागर की है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल हर सरकारी और निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की एचआईवी जांच जरूरी है, जिससे जन्म लेने वाला बच्चा एचआईवी संक्रमित न हो सके, लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 47.27 लाख गर्भवती महिलाओं की जांच और 60.34 लाख गर्भवती महिलाओं की पीडीआरएन जांच नहीं की गई। अब पता नहीं कि कितनी महिलाएं एचआईवी संक्रमित होंगी, जिनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे भी एचआईवी का संक्रमण लिए पैदा हुए हो सकते। वहीं कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मप्र में पुलिस के लिए 35 फीसदी आवास कम है।

नया इंडिया, भोपाल 25/03/2017

कैग ने उठाए व्यापमं मामले पर सवाल

भोपाल ■ नया इंडिया

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने मध्यप्रदेश सरकार की यह कहकर कड़ी आलोचना की है कि उसने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापमं) में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों की सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिये जाने के साथ-साथ इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्‍ वसनीयता में गंभीर कमी भी आई।

व्यापमं द्वारा ली गई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु तथा विभिन्न सरकारी पदों के लिए की गई भर्ती परीक्षाओं में कथित रूप से व्यापक घोटाला सामने आया था और इसमें मंत्री, अधिकारी एवं एमबीबीएस के छात्रों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। व्यापमं के इस बहुचर्चित घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और इस घोटाले के दर्जनों आरोपियों की रहस्यमय मौत हो चुकी है। सौरभ के. मलिक, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र का कैग का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यापमं में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों के सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डॉ. योगेश उपरीत को संचालक के पद पर 14 फरवरी 2003 को तथा डॉ. पंकज त्रिवेदी को नियंत्रक के पद पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया गया था। मलिक ने बताया कि व्यापमं क्या शासन का भाग है अथवा नहीं, इस पर भी शासन के दृष्टिकोण में दोहरापन रहा। उन्होंने कहा कि 1982 में व्यापमं की स्थापना होने के समय से ही मध्यप्रदेश इस उलझन में है कि व्यापमं शासन का भाग है या नहीं। राज्य शासन ने घोषित किया था कि वह व्यापमं द्वारा किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के लिए उत्तरदारी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद, विभिन्न मंचों में एवं न्यायिक निर्णयों के द्वारा यह घोषणा की गयी कि व्यापमं एक शासकीय विभाग ही है। मलिक ने बताया कि इस अप्रत्यक्ष नियंत्रण से अंततः एक ऐसी स्थिति बनी, जिससे व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्‍ वसनीयता में गंभीर कमी आई। उन्होंने कहा कि व्यापमं में अध्यक्ष, संचालक और नियंत्रक की नियुक्ति राज्य शासन के अधिकारियों के स्थानांतरण द्वारा की जा रही थी। इसके बावजूद शासन ने व्यापमं के कार्य संचालन, शुल्क के संग्रहण एवं जमा एवं वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसरण के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं बनाये गये थे। मलिक ने बताया कि इसके साथ-साथ परीक्षाओं एवं सहायक गतिविधियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए भी कोई नियम एवं विनियम नहीं बनाये गये थे। इस प्रकार व्यापमं की गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेह एवं कदाचार पर रोक लगाये जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सांविधिक मण्डल की स्थापना में शासन ने बहुत देरी की जिससे व्यापमं को अधिक विश्‍ वसनीय और अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम-2007, अगस्त 2007 में पारित किया था। हालांकि राज्य शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मंडल की स्थापना मार्च 2016 में अर्थात आठ वर्षों से अधिक की देरी के साथ की। मलिक ने बताया कि व्यापमं की स्थापना के बाद भी व्यापमं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करने, निगरानी एवं लेखापरीक्षा हेतु अधीनस्थ विधान एवं नियम नहीं बनाये गये थे। उन्होंने कहा कि शासकीय भर्ती कार्य शासन का एक हिस्सा है, जिसे व्यापमं को सौंप दिया गया, जो मात्र व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए स्थापित किया गया था। मलिक ने बताया कि राज्य स्तरीय पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को व्यापमं को अभूतपूर्व तरीके से अप्रैल 2003 में अंतरित किया गया था। इस नये कार्य को संपादित करने से पहले, व्यापमं में कोई भी सुधार नहीं किया गया था, जिससे स्थापित प्रणाली और सुदृढ़ हो सकती थी। इस नये कार्यभार को संभालने के लिए श्रमशक्ति भी नहीं थी। इससे व्यापमं द्वारा परीक्षाओं का आयोजन प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भर्ती के आयोजन द्वारा स्वयं की सेवाओं के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती सुनिश्‍ चित करना शासन का एक प्राथमिक कार्य है, जो अब तक लोक सेवा आयोग अथवा शासकीय विभागों द्वारा किया जा रहा था। इस कार्य को एक ऐसी संस्था को सौंपा गया था, जो न ही स्वतंत्र थी और न ही विधिवत बनाये गये निर्णयों के तहत संचालित थी।

नया इंडिया भोपाल, 26/03/17

सीएजी रिपोर्ट में व्यापमं को लेकर सख्त टिप्पणियां

भोपाल ■ नया इंडिया

मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को लेकर सख्त टिप्पणियां की गई हैं। वित मंत्री जयंत मलैया द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सीएजी के प्रतिवेदन में व्यापमं को लेकर यह टिप्पणियां की गई हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंडल द्वारा संज्ञान में लाने के बावजूद राज्य शासन ने अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाई नहीं की। मंडल की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में कदाचरण रोकने के लिए राज्य शासन ने नियम नहीं बनाए। हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा 634 चिकित्सा छात्रों के प्रवेश रद्द करने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता से प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ चुका था। सीएजी ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि मंडल द्वारा वर्तमान में शासकीय पदों पर भर्ती और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जा रही परीक्षा को पृथक संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) को लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर लाया जाना चाहिए। उसके अध्यक्ष और सचिव के कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र हो सकें और चयन उचित तरीके से कर सकें। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य शासन को यह व्यवस्था व्यापमं के साथ निरंतर बनाए रखनी है तो उसे 'मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम 2007' को लागू करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन की सबसे बड़ी चूक इस अधिनियम के क्रियान्वयन में विलंब था। शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत मंडल का गठन मार्च 2016 में किया अर्थात आठ साल से अधिक विलंब के बाद।

सीएजी के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित संदिग्ध उम्मीदवारों के प्रवेश से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक समिति 'छानबीन समिति' के नाम से गठित की थी। लेखा परीक्षा को इस छानबीन समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चला कि जून 2008 से जुलाई 2013 तक आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न विसंगतियां हुई थी। प्रतिवेदन के अनुसार मंडल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंधित मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सितंबर 2004 में तत्कालीन मंडल अध्यक्ष अरुण गुप्ता, तत्कालीन संचालक योगेश उपरीत, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा, सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार सहित 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया था। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अनियमितताओं में शामिल सभी लोगों के निलंबन निर्देश जांच की समाप्ति तक के लिए दिए थे। इसके बावजूद अधिकारियों को निरंतर कार्य करने की अनुमति दी गई। नितिन मोहिंद्रा और अजय कुमार को उनके महत्वपूर्ण पदों से नहीं हटाया गया।

कैग ने व्यापमं की हकीकत बयां की : यादव

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस के सड़क और सदन में लगातार लगाये गए आरोपों पर अब कैग की रिपोर्ट ने प्रामाणिकता की मोहर लगा दी है। कैग द्वारा उठाये गए सवाल भी यह स्पष्ट कर रहे हैं कि व्यापमं के इतने बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार का संरक्षण कौन कर रहा था। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट ने व्यापमं की हकीकत बयां कर दी है।

पीपुल्स समाचार ग्वालियर, 26/03

कैग की रिपोर्ट के बाद सिंह ने फिर मांगा सीएम से इस्तीफा

भोपाल। व्यापम और पोषण आहार घोटाले के मुद्दे पर आई कैग की रिपोर्ट के बाद एक बार राजनीतिक एवं प्रशासनिक वीथिकाओं में व्यापम घोटाले को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कैग की रिपोर्ट को आधार मानकर नेता-प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से इस्तीफा मांगा है। सिंह ने यह भी कहा है कि वे इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखेंगे। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि अब यह प्रश्न नहीं है कि मुख्यमंत्री व्यापम घोटाले में दोषी हैं या नहीं।

दैनिक भास्कर भोपाल दि० 25/03/2017

पोषाहार में कैग ने पकड़ी गड़बड़ियां

पोषण आहार अपडेट
आइए बचाएं जरूरतमंद बच्चों का भोजन

ज्यादा गेहूं-चावल मिलाया, तीन साल में अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ गए

पॉलिटिकल रिपोर्टर | भोपाल

पोषाहार के सिस्टम में भारत सरकार के ऑडिटर जनरल (कैग) ने भी बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। विधानसभा में शुक्रवार को टेबल हुई रिपोर्ट में कैग ने खुलासा किया है कि मप्र में पोषाहार के वितरण में कई स्तरों पर खामियां हैं। उसकी क्वालिटी और हितग्राहियों की संख्या में भी हेरफेर हुआ। 2015- 16 अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ गए। कैग ने राज्य सरकार को नसीहत दी है कि वह बच्चों, गर्भवती और बच्चों को आधार कार्ड से जोड़े ताकि इनकी वास्तविक संख्या का पता चल सके। योजना सही तरीके से चलाने के लिए आईसीडीएस मिशन का गठन हो। शेष | पेज 15 पर

आंकड़ों की असलियत....ऐसे बढ़े हितग्राही

2015-16 में अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ना दिखाया गया है। कैग ने लिखा कि वह स्थिति वास्तविक नहीं थी।

कैग ने ये उठाए सवाल

(आकलन 2011-12 से 2015-16)

- 37 हजार 79 हितग्राहियों को एक दिन से लेकर 120 दिन तक पूरक पोषाहार नहीं मिला।
- पोषाहार की कम मात्रा तैयार की गई। कई जगह इसका वितरण नहीं किया गया। पात्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार के दायरे से दूर रखा गया। शेष | पेज 15 पर

पेज 1 के शेष

पोषाहार में कैग...

कैग ने नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे (2015-16) के हवाले से कहा है कि कुल बच्चों की संख्या के मुकाबले राज्य में 9.2 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। जबकि इसे 5 फीसदी तक लाना था। इसके पहले तो 12.5 फीसदी गंभीर कुपोषित बच्चे थे।

कैग ने ये उठाए...

- टीएचआर का पैकेट बनाने वालों ने गेहू और चावल का अधिक उपयोग किया, जिससे एमपी एग्रो ने 15.57 करोड़ का अनुचित लाभ लिया।
- पांच साल तक 14 जिलों में किसी भी स्व सहायता समूह का ऑडिट नहीं किया गया।
- 400 से अधिक आंगनबाड़ियों में पंचनामा, सर्वे पंजी, पोषण आहार भंडार पंजी, ग्रोथ चार्ट नहीं मिला।

- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे : चिटनीस

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया गया है। विधि विभाग को भी फैसले की प्रति भेजी गई है। विधि विभाग सभी पहलुओं का परीक्षण करेगा। तब तक यह तैयारी कर रहे हैं कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। विभाग अपना काम कर रहा है। जब मामला सबज्यूडियश हो तो क्या कर सकते हैं?

दैनिक भास्कर · भोपाल

कैग की रिपोर्ट | सूची में पुलिस व विधि विभाग के नहीं थे पद, फिर भी कराईं 11 भर्ती परीक्षाएं

व्यापमं : उपरीत, महिंद्रा पहले ही भ्रष्ट साबित थे त्रिवेदी और भदौरिया की नियुक्तियां भी गलत थीं

रिपोर्ट में कई नए खुलासों के साथ सवाल भी उठाए

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

व्यापमं के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुप्ता व संचालक डॉ. योगेश उपरीत और नितिन महिंद्रा सहित 12 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज थे। करीब 12 साल पहले ही इनके भ्रष्टाचार में शामिल होना साबित हो गया था। इसके बावजूद इनकी सेवा ली जाते रही।

पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी का नाम प्रस्तावित पैनल में ही नहीं था, लेकिन उनकी नियुक्ति की गई थी। इसी तरह पूर्व नियंत्रक सुधीर सिंह भदौरिया की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही की गई। यह खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने मंडल की जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कई नए खुलासों के साथ सवाल भी उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मंडल की सूची में पुलिस एवं विधि विभाग के पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना शामिल नहीं था। इसके बावजूद मंडल ने 2005 से लेकर 2015 तक पुलिस विभाग के लिए 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कीं।

मंडल ने वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक 90 भर्ती परीक्षाएं कराईं

बिना विशेषज्ञता.... परीक्षाएं कराता रहा व्यापमं

कैग के अनुसार शासन ने मंडल की स्थिति में दोहरा दृष्टिकोण अपनाया था। मंडल ने वर्ष 2005 से 2015 तक 90 भर्ती परीक्षाएं कराई, जिसमें 88.23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। जबकि तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। मंडल पहले प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता था। जबकि मंडल के पास भर्ती परीक्षाओं की विशेषज्ञता नहीं थी। मंडल को परीक्षाओं की चयन प्रणाली विकसित करने के लिए मप्र लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी से परामर्श लेना था। लेकिन ऐसा नहीं किया। शासन ने भर्ती प्रक्रिया के लिए 2013 के पहले कोई नियम नहीं बनाए थे जबकि व्यापमं द्वारा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 2004 से किया जा रहा था।

बड़ी चूक .... शासन ने मंडल की निगरानी नहीं की

एक तरह से राज्य शासन ने मंडल की गतिविधियों की निगरानी नहीं की थी। न प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा हुई, न ही उचित मूल्यांकन, गोपनीय प्रक्रियाओं और परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन के उपयोग करने पर पेनाल्टी लगाई गई। बिना तैयारी मंडल के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जाती रहीं। शासन ने मंडल पर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पालन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। शासन की सबसे बड़ी चूक मध्यप्रदेश व्यापमं अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन में देरी मानी गई है।

नियुक्ति में बरती अनियमितता

वर्ष 2002 में डॉ. योगेश उपरीत की नियुक्ति संचालक के पद पर की गई थी, जो अनियमित थी। इसी तरह नियंत्रक की नियुक्ति में भी अनियमितता बरती गई थी। कैग का मानना है कि शासन ने मंडल का गठन एक विभाग के रूप में इसकी स्थिति के बारे में एक भ्रम की साथ अप्रैल 1982 में किया था जो अब तक लगातार जारी है।

खरीदी में करोड़ों की गड़बड़ी

- हाई स्पीड स्केनर, सॉफ्टवेयर व प्रिंटर में 23.12 लाख।
- कंप्यूटर व सर्वर में- 21.46 लाख
- सॉफ्टवेयर खरीदी में- 14.35 लाख
- पॉलीटेक्निक व आईटीआई को कंप्यूटर्स व सहायक उपकरणों का प्रदान- 60.18 लाख
- आईटीआई इंदौर के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना- 19.97 लाख
- कंप्यूटरीकृत ओएमआर आवेदन पत्र व आंसरशीट- 15 लाख।

अनियमितताओं के लिए ये जिम्मेदार

तत्कालीन संचालक डॉ. योगेश उपरीत, तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुप्ता, नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा, नियंत्रक डॉ. एके श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी अशोक मिश्रा, संयुक्त नियंत्रक ओपी टिकरिया, एके कालिया, पी. प्रकाश राव, कनिष्ठ लेखा अधिकारी रमेश दुबे, वित्त सलाहकार राधा बेलनी व अन्य।

दैनिक जागरण, भोपाल, 25/03/201

सरकार ने व्यापमं के दस्तावेजों की नहीं करने दी जांच

कैग का बड़ा खुलासा

शासन ने आडिटर जनरल से संपर्क ही नहीं किया

नियमों का उल्लंघन कर सीधे दी गई नियुक्तियां

विशेष संवाददाता, भोपाल। व्यापमं का भूत सरकार का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। कैग ने शुक्रवार को व्यापमं से जुड़े मामलों पर बड़े खुलासे किए हैं। जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कैग ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने कैग को व्यापमं के दस्तावेज की जांच करने से रोक दिया। सरकार द्वारा तर्क दिया गया कि व्यापमं सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए उसके रिकार्ड आडिट नहीं किए जा सकते। व्यापमं को लेकर शासन का दोहरा दृष्टिकोण नजर आता है। घोटाले के बाद से सरकार ने व्यापमं से किनारा कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ उसका पूरा अधिकार परीक्षा बोर्ड पर था। ये खुलासा कैग की वित्तीय वर्ष 2016 की रिपोर्ट में किया गया है। शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए अकाउंटेंट जनरल सौरभ के मलिक ने उक्त जानकारी दी।

व्यापमं में पारदर्शिता-जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापमं की ओर से आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई है। और व्यापमं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य शासन ने डॉ. योगेश उपरीत और पंकज त्रिवेदी को तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया था। शासन ने व्यापमं की ऑडिट कैग को ये मानते हुए नहीं सौंपी कि ऑडिटर जनरल व्यस्त थे, जबकि शासन ने ऑडिटर जनरल से संपर्क ही नहीं किया। बोर्ड की स्थिति को लेकर उसके गठन के वक्त जो उलझन थी, वो आज तक यथावत हैं। राज्य सरकार ने 1982 के अपने द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन में बताया था कि वह व्यापमं के किसी भी कार्य के लिए जवाबदार नहीं रहेगी। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड को सरकारी विभाग के तौर पर ■ शेष पृष्ठ 8 पर

पहली बार पत्रकार वार्ता में सार्वजनिक की गई रिपोर्ट

विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होने के बाद पहली बार अकाउंटेंट जनरल सौरभ के मलिक ने पत्रकार वार्ता लेकर इसकी जानकारी दी। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं है। इसके पूर्व कैग की रिपोर्ट विधानसभा में केवल पेश कर दी जाती थी। पत्रकार वार्ता में रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती थी।

कुपोषण मिटाने में भी भ्रष्टाचार

पूरक पोषण के पैकेट की जगह बांटे गेहूं-चावल

ये भुखमरी के शिकार देश सोमालिया का नहीं, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के नजदीक गंजबासोदा तहसील के गांव का अति कुपोषित बच्चा विजय है।

बासोदा अस्पताल में पहुंचा अति कुपोषण का शिकार मासूम

- समाचार देखें मध्य प्रदेश पेज पर

कैग ने उजागर की सरकारी अफसरों की मनमानी

मुख्य संवाददाता, भोपाल। देश में सर्वाधिक कुपोषण का कलंक धोने के नाम पर मध्यप्रदेश में पूरक पोषण आहार भी अधिकारियों की मनमानी और अनियमितता का शिकार हो रहा है। कुपोषण से जूझ रहे बच्चों और महिलाओं को पूरक पोषण आहार के पैकेट ही प्रदेश में नहीं बांटे गए। कई आंगनवाड़ी केंद्रों और गोदामों में एक्सपायरी डेट के पैकेट, बड़ी संख्या में रखे मिले। टारगेटेड बच्चों और महिलाओं की जगह विभाग का ध्यान स्व सहायता समूहों को लाभांवित करने में ज्यादा रहा। इसके अलावा एमपी एग्रो को भी 15.57 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की सालाना रिपोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण के नाम पर की गई अनियमितता और मनमानी उजागर की है। रिपोर्ट में बताया ■ शेष पृष्ठ 8 पर

कुपोषण मिटाने में...

गया है कि दर्ज हितग्राहियों के आधार पर वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान टेक होम राशन (टीएचआर) के पैकेट बच्चों और महिलाओं को बांटे जाना थे। इस पैकेट में हलवा, बाल आहार, सोया बर्फी, आटा व बेसन के लड्डू और खिचड़ी रहती है। मगर यह पैकेट बच्चों और महिलाओं को बांटे ही नहीं गए। कहीं दिया नहीं तो अधिकांश केंद्रों में कम दिए गए। विभाग द्वारा एक्सपायरी तिथि के टीएचआर पैकेट प्रदाय किए। निरीक्षण के दौरान सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्रों और गोदामों में यह एक्सपायरी डेट के पैकेट प्राप्त हुए। इससे प्रमाणित होता है कि महिलाओं व बच्चों को पूरक पोषण आहार वितरित ही नहीं किया गया। जिससे बच्चों तथा धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार के प्रदाय पर प्रभाव पड़ा।

गेहूं-चावल ज्यादा उठाए: कैग ने माना है कि कुपोषण के नाम पर आईसीडीएस योजना में मिलने वाले खाद्यान्न में भी प्रदेश में राज्य व जिला स्तर पर खासी अनियमितता हुई है। वित्तीय वर्ष में 5012.17 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी करोड़ों रुपए की राशि खर्च नहीं की गई। करीब 116.91 करोड़ का समायोजन भी नहीं किया गया। हितग्राहियों से ज्यादा मप्र राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को फायदा पहुंचाया गया। वित्तीय वर्ष में निगम को 13.81 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा गेहूं व चावल के तय मूल्य से ज्यादा दिए गए।

लक्ष्य पाने में एमपी फेल : रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 में राज्य में 9.2 प्रतिशत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे थे। इस प्रकार राज्य अति कुपोषित बच्चों की संख्या 12.6 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। उसी प्रकार से राज्य कम वजन वाले बच्चों तथा पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर की प्रतिशतता में भी कमी लाने के निर्धारित लक्ष्य से मप्र पीछे था।

स्व सहायता समूहों को फायदा : रिपोर्ट के मुताबिक पका हुआ गर्म खाना के नाम पर भी राज्य में अनियमितता हुई है। रसोइयों को संलग्न कर उन्हें अनियमित भुगतान किया गया। वहीं खाना बनाने की जिम्मेदारी निभा रहे स्व सहायता समूहों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। विभाग द्वारा इन्हें अनुचित लाभ दिया जा रहा है। जो कि सीधे रसोईयों के खातों में जाना चाहिए। ये की सिफारिशें: ■ आईसीडीएस मिशन का राज्य एवं जिला स्तर पर गठन किया जाए। ■ हितग्राहियों को आधार कार्ड से जोड़ा जाए।

ौक
8-1,579-1
9-4,455-4
5-9,100-1
4-9, 267-5

पीपुल्स समाचार, 25/03/2017
भोपाल

www.peoplessamachar.co.in पीपुल्स समाचार

व्यापमं की नियुक्तियों पर भी सीएजी ने उठाए सवाल

सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए कर दिया 79.50 लाख रुपए का बेजा भुगतान

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसका नाम बदल कर सरकार ने अब (पीईबी)के संचालक मंडल द्वारा की गई नियुक्तियों को भी कटघरे में खड़ा किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से व्यापमं में की गई नियुक्तियों में लोगों को ओबलाइज किया गया। इन नियुक्तियों में डॉ. योगेश उपरीत, डॉ. पंकज त्रिवेदी को संचालक एवं नियत्रंक के पदों पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्ति किया गया। डॉ. पंकज त्रिवेदी को उनके नियंत्रक पद पर नियुक्ति के साथ संचालक के पद पर नियुक्त किया।

इसी प्रकार सिस्टम एनालिस्ट अजय सेन, नितिन महेंद्रा को शासन या मंडल के अनुमोदन के बिना उनके वेतनमान का उन्नयन कर अनुचित लाभ दिया गया। उक्त अधिकारी मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं में संदेहास्पद रूप से संलिप्त पाए गए।

● सागर झील का कार्य अधूरा छोड़ने से 7.70 करोड़ अवरुद्ध रहा

रिपोर्ट में कहा क्या गड़बड़ियां मिली

- 6 स्थानीय निकायों में वर्ष 2011 से 2016 के दौरान 2 हजार 922 भवन निर्माण अनुमति दी गई, लेकिन 2 हजार 881 तो पंजीयन अधिकारी ने पंजीकृत ही नहीं की।
- इस अवधि में 35 हजार 680 मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों से उपकर की 1.83 करोड़ की राशि नहीं काटी गई, जबकि निकायों ने 3.13 करोड़ की राशि कर्मकार मंडल को नहीं दी।
- जेपी अस्पताल भोपाल में तिनेन कपड़ों की धुलाई के नाम पर वास्तविक मिलान किए बिना ही लाउंड्री सर्विसेस का 48.67 लाख का गलत भुगतान किया।
- बैतूल सिविल सर्जन ने एलपीजी सिलेंडरों के प्रदायकर्ता को फर्जी बिलों के जरिए 7.69 लाख का भुगतान किया।
- कार्यपालन यंत्री पीएचई शिवपुरी ने ई-टेंडरिंग के जरिए समय-सीमा का पालन नहीं करने की वजह से 2.61 करोड़ का अनुचित लाभ ठेकेदार को पहुचाया।
- पोलीटेक्निक महाविद्यालय होशंगाबाद के नवीन बालिका छात्रावास निर्माण में 91.74 लाख रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी छात्रावास खाली पड़ा रहा।

निगम-मंडलों में भी चपत

- पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी ने ठेके की विशेष शर्तों में परिवर्तन कर दोषी ठेकेदारों को शेष बचे हुए कार्य पूरा करने वाली कंपनी को 11.94 करोड़ का अतिरिक्त लाभ पहुंचाया।
- वर्ष 2015-16 में फीडर सेपरेशन के कार्यों में अतिरिक्त पारेषण एवं वितरण में लापरवाही की वजह से 9.38 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा।
- राज्य सरकार ने द्वितीय सरण के कार्यों के लिए कंपनी को 239.47 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की, मगर कंपनी ने 173.63 करोड़ खर्च कर लिए गए ऋण के ब्याज पर भुगतान कर दिया।

आईटी में भी गड़बड़झाला

- भोपाल, इंदौर तथा जबलपुर के आईटी पार्क के लिए चिन्हित की गई 250.25 एकड़ भूमि में से मार्च 2016 तक 92.32 एकड़ भूमि ही आवंटन किया जा सका।
- राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)के लिए 33 हजार जगह उपलब्ध कराई गई, लेकिन कंपनी ने 5 हजार 159 स्थानों पर ही होरिजोंटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई।
- आईटी इकाई को 10.13 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर दर 25 प्रतिशत की दर पर 3.34 करोड़ में आवंटित की जानी थी, मगर भूमि आवंटन में 2.23 करोड़ छूट देने से 1.11 करोड़ की चपत लगी।

कैग की रिपोर्ट: पांच हजार करोड़ से ज्यादा खर्च फिर भी...

77 लाख बच्चे पोषण आहार से रह गए वंचित

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

मध्यप्रदेश में कुपोषण के साथ साथ शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के दावे प्रदेश सरकार करती रही है, लेकिन शुक्रवार को विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने इसकी भयावह सचाई उजागर की है। पिछले पांच सालों में सरकार ने कुपोषित बच्चों को 300 दिन के लिए दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार पर 5 हजार 12 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए। इसके बावजूद करीब 77 लाख बच्चे और 7.99 लाख गर्भवती और धात्री (बच्चों को जन्म दे चुकी) महिलाएं इससे वंचित रह गईं।

यही नहीं, प्रदेश में शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु तथा कुल प्रजनन दर कम करने के नाम पर चलाए गए टीकाकरण अभियान पर 5 हजार 588 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद भी इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। पंजीकृत 93.72 लाख गर्भवती महिलाओं में से केवल 52.51 लाख महिलाएं गर्भ की प्रथम तिमाही में पंजीकृत की गई और 19.44 लाख महिलाएं एएनसी जांच से वंचित रहीं।

108 एम्बुलेंस 17 प्रतिशत क्षेत्रों में नहीं पहुंची

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमओयू किए जाने के बाद भी वर्ष 2007 से लेकर 2015-16 के बीच कई जिलों में 108 एम्बुलेंस कम संख्या में तैनात की गई। साथ ही परिचालन व्यय वेतन, ईधन लागत, मरम्मत एवं रखरखाव पर ही 23.42 करोड़ की राशि अधिक खर्च की गई और संचालन एजेंसी को सरकार ने 5 करोड़ से अधिक का भुगतान भी कर दिया। संतोषजनक कार्य नहीं पाए जाने पर भी संचालन एजेंसी जीवीके से 58 लाख रुपए की वसूली करने में भी लापरवाही देखने को मिली।

शिशु मृत्यु दर

मप्र में	राष्ट्रीय औसत
51 प्रति हजार	40 प्रति हजार

मप्र में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से 51 एक वर्ष पूरा नहीं कर पाते।

मातृ मृत्यु दर

मप्र में	राष्ट्रीय औसत
221 प्रति लाख	178 प्रति लाख

मप्र में 1 लाख में से 221 महिलाओं की प्रसव से 45 दिन के अंतराल में मौत हो जाती है।

पोषण आहार से वंचित रहे बच्चे

20.94 लाख बच्चे छह माह से 3 वर्ष आयु समूह के	57.02 लाख बच्चे 3-6 वर्ष आयु समूह के

कहीं आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं, कहीं ढांचा खराब

- मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में कुल 61 हजार 755 गांव और वार्डों में से 53 हजार 84 लाख की जनसंख्या वाले वार्ड आंगनबाड़ी विहीन थे।
- केंद्र सरकार द्वारा 4 हजार 305 आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए नवंबर 2014 में स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद भी यह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खोले गए।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में खराब बुनियादी ढांचा है। पोषाहार की कम मात्रा तैयार हुई और पोषण आहार प्रदाय नहीं किया गया।

बदलते जमाने का अखबार

पीपुल्स समाचार

स्थापना वर्ष : 2009

ग्वालियर

www.peoplessamachar.co.in पीपुल्स समाचार

व्यापमं की नियुक्तियों पर भी सीएजी ने उठाए सवाल

सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के जरिए कर दिया 79.50 लाख रुपए का बेजा भुगतान

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
editor@peoplessamachar.co.in

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसका नाम बदल कर सरकार ने अब (पीईबी)के संचालक मंडल द्वारा की गई नियुक्तियों को भी कटघरे में खड़ा किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से व्यापमं में की गई नियुक्तियों में लोगों को ओबलाइज किया गया।. इन नियुक्तियों में डॉ. योगेश उपरीत, डॉ. पंकज त्रिवेदी को संचालक एवं नियंत्रक के पदों पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन

सागर झील का कार्य अधूरा छोड़ने से 7.70 करोड़ अवरुद्ध रहा

करते हुए सीधे नियुक्ति किया गया। डॉ. पंकज त्रिवेदी को उनके नियंत्रक पद पर नियुक्ति के साथ संचालक के पद पर नियुक्त किया।

इसी प्रकार सिस्टम एनालिस्ट अजय सेन, नितिन महेंद्रा को शासन या मंडल के अनुमोदन के बिना उनके वेतनमान का उन्नयन कर अनुचित लाभ दिया गया। उक्त अधिकारी मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं में संदेहास्पद रूप से संलिप्त पाए गए।

रिपोर्ट में कहा क्या गड़बड़ियां मिली

- 6 स्थानीय निकायों में वर्ष 2011 से 2016 के दौरान 2 हजार 922 भवन निर्माण अनुमति दी गई, लेकिन 2 हजार 881 तो पंजीयन अधिकारी ने पंजीकृत ही नहीं की।
- इस अवधि में 35 हजार 680 मनरेगा योजना के निर्माण कार्यों से उपकर की 1.83 करोड़ की राशि नहीं काटी गई, जबकि निकायों ने 3.13 करोड़ की राशि कर्मकार मंडल को नहीं दी।
- जेपी अस्पताल भोपाल में लिनेन कपड़ों की धुलाई के नाम पर वास्तविक मिलान किए बिना ही लाउंड्री सर्विसेस का 48.67 लाख का गलत भुगतान किया।
- बैतूल सिविल सर्जन ने एलपीजी सिलेंडरों के प्रदायकर्ता को फर्जी बिलों के जरिए 7.69 लाख का भुगतान किया।
- कार्यपालन यंत्री पीएचई शिवपुरी ने ई-टेंडरिंग के जरिए समय-सीमा का पालन नहीं करने की वजह से 2.61 करोड़ का अनुचित लाभ ठेकेदार को पहुंचाया।
- पोलीटेक्निक महाविद्यालय होशंगाबाद के नवीन बालिका छात्रावास निर्माण में 91.74 लाख रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी छात्रावास खाली पड़ा रहा।

पीपुल्स समाचार 25/03/2017

कैग की रिपोर्टः पांच हजार करोड़ से ज्यादा खर्च फिर भी...

77 लाख बच्चे पोषण आहार से रह गए वंचित

पीपुल्स संवाददाता • भोपाल
मो.नं. 9425078939

मध्यप्रदेश में कुपोषण के साथ साथ शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के दावे प्रदेश सरकार करती रही है लेकिन शुक्रवार को विधानसभा में पेश नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट ने इसकी भयावह सचाई उजागर की है। पिछले पांच सालों में सरकार ने कुपोषित बच्चों को 300 दिन के लिए दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार पर 5 हजार 12 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च किए। इसके बावजूद करीब 77 लाख बच्चे और 7.99 लाख गर्भवती और धात्री(बच्चों को जन्म दे चुकी) महिलाएं इससे वंचित रह गईं।

यही नहीं, प्रदेश में शिशु मृत्यु, मातृ मृत्यु तथा कुल प्रजनन दर कम करने के नाम पर चलाए गए टीकाकरण अभियान पर 5 हजार 588 करोड़ की राशि खर्च करने के बाद भी इसके लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। पंजीकृत 93.72 लाख गर्भवती महिलाओं में से केवल 52.51 लाख महिलाएं गर्भ की प्रथम तिमाही में पंजीकृत की गईं और 19.44 लाख महिलाएं एएनसी जांच से वंचित रहीं।

108 एम्बुलेंस 17 प्रतिशत क्षेत्रों में नहीं पहुंची

सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमओयू किए जाने के बाद भी वर्ष 2007 से लेकर 2015-16 के बीच कई जिलों में 108 एम्बुलेंस कम संख्या में तैनात की गईं। साथ ही परिचालन व्यय वेतन, ईंधन लागत, मरम्मत एवं रखरखाव पर ही 23.42 करोड़ की राशि अधिक खर्च की गई और संचालन एजेंसी को सरकार ने 5 करोड़ से अधिक का भुगतान भी कर दिया। संतोषजनक कार्य नहीं पाए जाने पर भी संचालन एजेंसी जीवीके से 58 लाख रुपए की वसूली करने में भी लापरवाही देखने को मिली।

शिशु मृत्यु दर

मप्र में	राष्ट्रीय औसत
51 प्रति हजार	40 प्रति हजार

मप्र में जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में से 51 एक वर्ष पूरा नहीं कर पाते।

मातृ मृत्यु दर

मप्र में	राष्ट्रीय औसत
221 प्रति लाख	178 प्रति लाख

मप्र में 1 लाख में से 221 महिलाओं की प्रसव से 45 दिन के अंतराल में मौत हो जाती है।

पोषण आहार से वंचित रहे बच्चे

28.94 लाख	57.02 लाख
बच्चे छह माह से 3 वर्ष आयु समूह के	बच्चे 3-6 वर्ष आयु समूह के

कहीं आंगनबाड़ी केंद्र ही नहीं, कहीं ढांचा खराब

- मार्च 2016 की स्थिति में राज्य में कुल 61 हजार 755 गांव, वार्डों में से 53 हजार 84 लाख की जनसंख्या वाले 11 हजार 156 ग्राम और वार्ड आंगनबाड़ी विहीन थे।
- केंद्र सरकार द्वारा 4 हजार 305 आंगनबाड़ी खोलने के लिए नवंबर 2014 में स्वीकृति देने के बाद भी यह आंगनवाड़ी नहीं खोली गई।
- आंगनवाड़ी केंद्रों में खराब बुनियादी ढांचा है। पोषाहार की कम मात्रा तैयार हुई और पोषण आहार प्रदाय नहीं किया गया।

25/03/2017

बेबाक, बेधड़क, बेमिसाल

भोपाल, शनिवार, 25 मार्च 2017 पेज-3

नया इंडिया मध्य प्रदेश

कैग ने उठाए व्यापमं मामले पर सवाल

भोपाल ■ नया इंडिया

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने मध्यप्रदेश सरकार की यह कहकर कड़ी आलोचना की है कि उसने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंण्डल (व्यापमं) में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों की सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिये जाने के साथ-साथ इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्व वसनीयता में गंभीर कमी भी आई।

व्यापमं द्वारा ली गई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु तथा विभिन्न सरकारी पदों के लिए की गई भर्ती परीक्षाओं में कथित रूप से व्यापक घोटाला सामने आया था और इसमें मंत्री, अधिकारी एवं एमबीबीएस के छात्रों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। व्यापमं के इस बहुचर्चित घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और इस घोटाले के दर्जनों आरोपियों की रहस्यमय मौत हो चुकी है। सौरभ के. मलिक, महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र का कैग का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यापमं में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों के सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डॉ. योगेश उपरीत को संचालक के पद पर 14 फरवरी 2003 को तथा डॉ. पंकज त्रिवेदी को नियंत्रक के पद पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया गया था। मलिक ने बताया कि व्यापमं क्या शासन का भाग है अथवा नहीं, इस पर भी शासन के दृष्टिकोण में दोहरापन रहा। उन्होंने कहा कि 1982 में व्यापमं की स्थापना होने के समय से ही मध्यप्रदेश इस उलझन में है कि व्यापमं शासन का भाग है या नहीं। राज्य शासन ने घोषित किया था कि वह व्यापमं द्वारा किए गए अथवा करने से छोड़े गए कार्य के लिए उत्तरदारी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद, विभिन्न मंचों में एवं न्यायिक निर्णयों के द्वारा यह घोषणा की गयी कि व्यापमं एक शासकीय विभाग ही है। मलिक ने बताया कि इस अप्रत्यक्ष नियंत्रण से अंततः एक ऐसी स्थिति बनी, जिससे व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्व वसनीयता में गंभीर कमी आई। उन्होंने कहा कि व्यापमं में अध्यक्ष, संचालक और नियंत्रक की नियुक्ति राज्य शासन के अधिकारियों के स्थानांतरण द्वारा की जा रही थी। इसके बावजूद शासन ने व्यापमं के कार्य संचालन, शुल्क के संग्रहण एवं जमा एवं वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुसरण के लिए कोई नियम एवं विनियम नहीं बनाये गये थे। मलिक ने बताया कि इसके साथ-साथ परीक्षाओं एवं सहायक गतिविधियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए भी कोई नियम एवं विनियम नहीं बनाये गये थे। इस प्रकार व्यापमं की गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेह एवं कदाचार पर रोक लगाये जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सांविधिक मण्डल की स्थापना में शासन ने बहुत देरी की जिससे व्यापमं को अधिक विश्व वसनीय और अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम-2007, अगस्त 2007 में पारित किया था। हालांकि राज्य शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक मंडल की स्थापना मार्च 2016 में अर्थात आठ वर्षों से अधिक की देरी के साथ की। मलिक ने बताया कि व्यापमं की स्थापना के बाद भी व्यापमं के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करने, निगरानी एवं लेखापरीक्षा हेतु अधीनस्थ विधान एवं नियम नहीं बनाये गये थे। उन्होंने कहा कि शासकीय भर्ती कार्य शासन का एक हिस्सा है, जिसे व्यापमं को सौंप दिया गया, जो मात्र व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए स्थापित किया गया था। मलिक ने बताया कि राज्य स्तरीय पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को व्यापमं को अभूतपूर्व तरीके से अप्रैल 2003 में अंतरित किया गया था। इस नये कार्य को संपादित करने से पहले, व्यापमं में कोई भी सुधार नहीं किया गया था, जिससे स्थापित प्रणाली और सुदृढ़ हो सकती थी। इस नये कार्यभार को संभालने के लिए क्षमशक्ति भी नहीं थी। इससे व्यापमं द्वारा परीक्षाओं का आयोजन प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि भर्ती के आयोजन द्वारा स्वयं की सेवाओं के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करना शासन का एक प्राथमिक कार्य है, जो अब तक लोक सेवा आयोग अथवा शासकीय विभागों द्वारा किया जा रहा था। इस कार्य को एक ऐसी संस्था को सौंपा गया था, जो न ही स्वतंत्र थी और न ही विधिवत बनाये गये निर्णयों के तहत संचालित थी।

सीएजी रिपोर्ट में व्यापमं को लेकर सख्त टिप्पणियां

भोपाल ■ नया इंडिया

मध्यप्रदेश विधानसभा में पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के प्रतिवेदन में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को लेकर सख्त टिप्पणियां की गई है। वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सीएजी के प्रतिवेदन में व्यापमं को लेकर यह टिप्पणियां की गई है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंडल द्वारा संज्ञान में लाने के बावजूद राज्य शासन ने अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मंडल की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में कदाचरण रोकने के लिए राज्य शासन ने नियम नहीं बनाए। हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा 634 चिकित्सा छात्रों के प्रवेश रद्द करने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता से प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ चुका था। सीएजी ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि मंडल द्वारा वर्तमान में शासकीय पदों पर भर्ती और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जा रही परीक्षा को पृथक संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) को लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर लाया जाना चाहिए। उसके अध्यक्ष और सचिव के कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए ताकि वे स्वतंत्र हो सकें और चयन उचित तरीके से कर सकें। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य शासन को यह व्यवस्था व्यापमं के साथ निरंतर बनाए रखनी है तो उसे 'मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम 2007' को लागू करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन की सबसे बड़ी चूक इस अधिनियम के क्रियान्वयन में विलंब था। शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत मंडल का गठन मार्च 2016 में किया अर्थात आठ साल से अधिक विलंब के बाद।

सीएजी के प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य शासन ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित संदिग्ध उम्मीदवारों के प्रवेश से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक समिति 'छानबीन समिति' के नाम से गठित की थी। लेखा परीक्षा को इस छानबीन समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चला कि जून 2008 से जुलाई 2013 तक आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में विभिन्न विसंगतियां हुई थीं। प्रतिवेदन के अनुसार मंडल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंधित मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सितंबर 2004 में तत्कालीन मंडल अध्यक्ष अरुण गुप्ता, तत्कालीन संचालक योगेश उपरीत, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिद्रा, सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार सहित 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया था। इसमें कहा गया है कि तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अनियमितताओं में शामिल सभी लोगों के निलंबन निर्देश जांच की समाप्ति तक के लिए दिए थे। इसके बावजूद अधिकारियों को निरंतर कार्य करने की अनुमति दी गई। नितिन मोहिद्रा और अजय कुमार को उनके महत्वपूर्ण पदों से नहीं हटाया गया।

FREE PRESS

25/03/2017

BHOPAL

VYAPAM NOT CONSTITUTED AS PER THE PROCEDURE LAID DOWN BY CONSTITUTION

It was wrong to hand over recruitment to Vyapam: CAG

- Indicts three former technical education ministers
- Says appointments of Upreet, Bhadoria, Trivedi illegal

• NITENDRA SHARMA
BHOPAL

The Comptroller and Auditor General of India (CAG) has described as 'unconstitutional', the state government's decision to handover the work of conducting tests for recruitment to jobs in the state government and in the government-controlled public sector undertakings to Vyapam.

GOVT DID NOT WANT AUDIT OF VYAPAM

The report says that the government was not interested in getting the accounts of Vyapam audited. It had claimed that the AG was "very busy" whereas in reality no request had been made to audit Vyapam accounts.

The CAG, in its report for the year ending March 31, 2016, said that Vyapam had not been constituted as per the procedure laid by the Constitution and was not an independent body. Also, the government did not make any rules to ensure that the institution can work independently. "Against this backdrop, it was wrong to handover recruitments to Vyapam", it said. Addressing a press conference after tabling of the report in the Vidhan Sabha here on Friday, Auditors General Saurabh Mallick and Deepak Kumar, listed the massive irregularities committed in Vyapam. CONTD. ON P6

'No decline in number of severely-malnourished kids'

MMR, IMR unchanged despite spending thousands of crores

• OUR STAFF REPORTER
BHOPAL

The CAG report is a pointer to the horrific situation obtaining in the state vis-à-vis malnourished children. It says that the government failed to bring down the number of severely-malnourished children. The percentage of such children in the state was 12.6 per cent and the state government had set a target of bringing it down to five per cent. However, even now severely-malnourished children form 9.2 per cent of the total child population of the state. As many as 11,000 villages in the state do not have Aaganwadis and this is also responsible for the poor nutritional status of children, the report said. The report said that 37,000 beneficiaries were not provided supplementary nutritious food in Aaganwadis. This happened as nutritious food was either not supplied or was supplied in less than adequate quantities. The CAG has held the govt responsible for it.

The IMR and MMR in the state are 51 and 221 respectively. These were to be brought down to 27 and 109 respectively. However, despite spending more than Rs 5,500 crores over the last five years under NHRM, the state government could not achieve the targets.

The report also says that HIV and VDRL tests were not conducted properly on pregnant women. Around 28 per cent women were discharged from government within less than 40 hours of delivery, leading to maternal deaths.

CONTINUED FROM PAGE 1

It was wrong...

The CAG has come down heavily on three former technical education ministers of the state. Technical education is the parent department of Vyapam. It said that the appointments of Sudhir Bhadoria as director in February 2003, of Yogest Uprit as controller in 2007 and of Sudhir Bhadoria as controller in 2011 were bad in law.

These appointments were made during the tenures of Raja Pateria, MoS for technical education and Tukojirao Pawar and Laxmikant Sharma, ministers for technical education in the BJP government. The report says that the then chief minister was not apprised of the fact that Uprit was unqualified for appointment as controller.

The report said that the work of recruitment to government jobs and conducting examinations for admissions to professional colleges should be entrusted to two different agencies.

Minister's instructions ignored: The CAG report said that in November 2004, the then technical education minister had directed that the mastermind of the Vyapam scam Nitin Mohindra, Ajay Upreet and Ajay Kumar Sen, who were involved in irregularities, should be suspended and further action initiated against them. However, it was not done. The failure to take action against them led to more irregularities and they were found in-

सच कहने का साहस और सलीका

राज एक्सप्रेस

25/03/2017 ग्वालियर

कैग की रिपोर्ट में व्यापमं को लेकर भी सख्त टिप्पणियां

भोपाल (विसं)। विधानसभा में शुक्रवार को पेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) को लेकर सख्त टिप्पणियां की गई हैं। वित मंत्री जयंत मलैया द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन में कहा गया है कि मंडल द्वारा संज्ञान में लाने के बावजूद राज्य शासन ने अनियमितताओं को रोकने कोई कार्रवाई नहीं की।

मंडल की प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में कदाचरण रोकने राज्य शासन ने नियम नहीं बनाए। हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 634 चिकित्सा छात्रों के प्रवेश रद्द करने के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता से प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ चुका था। सीएजी ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि मंडल द्वारा वर्तमान में शासकीय पदों पर भर्ती और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जा रही परीक्षा को पृथक संस्थाओं को सौंपा जाना चाहिए। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (एमपीपीईबी) को पीएससी या कर्मचारी चयन आयोग के स्तर पर लाया जाना चाहिए। उसके अध्यक्ष और सचिव के कार्यकाल की सुरक्षा होनी चाहिए, ताकि वे स्वतंत्र हो सकें और चयन उचित तरीके से कर सकें। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि शासन को यह व्यवस्था व्यापमं के साथ निरंतर बनाए रखनी है, तो उसे 'मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम 2007' को लागू करना चाहिए। एक अन्य स्थान पर उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन की सबसे बड़ी चूक इस अधिनियम के क्रियान्वयन में विलंब था। शासन ने इस अधिनियम के अंतर्गत मंडल का गठन मार्च 2016 अर्थात आठ साल से अधिक विलंब के बाद किया।

वित्तमंत्री मलैया ने पटल पर रखा प्रतिवेदन

स्वदेश 25/03/2017 भोपाल

कैग का खुलासा

संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत थी व्यापमं से भर्ती

सरकार ने दस्तावेजों की नहीं करने दी जांच

भोपाल ब्यूरो

व्यापमं का भूत सरकार का पीछा छोड़ने का नाम ही नही ले रहा है। कैग ने शुक्रवार को व्यापमं से जुड़े मामलों पर बड़े खुलासे किए हैं। जिससे सरकार की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। असल में कैग ने आरोप लगाते हुए बताया है कि प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने कैग को व्यापमं के दस्तावेज की जांच करने से रोक दिया। सरकार द्वारा तर्क दिया गया था कि व्यापमं सरकारी संस्था नहीं है इसलिए व्यापमं के रिकार्ड आडिट नहीं किए जा सकते। व्यापमं को लेकर शासन का दोहरा दृष्टिकोण नजर आता है। घोटालों के बाद से सरकार ने व्यापमं से किनारा कर लिया था लेकिन दूसरी तरफ उसका पूरा अधिकार परीक्षा बोर्ड पर था। ये खुलासा कैग की वित्तीय वर्ष 2016 की रिपोर्ट में किया गया है। ये जानकारी शुक्रवार को मीडिया से

मलिक ने दी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) के प्रतिवेदन में टिप्पणी की गयी है कि राज्य सरकार द्वारा व्यापम को भर्ती परीक्षाओं का काम सौपना संविधान के प्रावधानों के विपरीत और न्यायालयीन निर्णयों के विपरीत था। कैग के अनुसार व्यापम न तो स्वतंत्र संस्था थी और न ही विधिवत बनाये गये निर्णयों के तहत संचालित थी। भर्ती परीक्षाओं के आयोजन द्वारा स्वंय की सेवाओं के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करना शासन का एक प्राथमिक काम है जो अब तक लोक सेवा रहा था। व्यापम, जिसकी स्थापना मात्र व्यावसायिक परीक्षाओं के लिये हुई थी उसे यह काम कैसे सौपं दिया गया। व्यापम में परीक्षाओं के संवतंत्र एंव निष्पक्ष आयोजन के लिये भी कोई नियम विनियम नही बनाये गये। 2003 में जब राज्य स्तरीय परीक्षाएं कराने की जबाबदेही व्यापम को सौपीं गई,उससे पहले न तो इसमें कोई सुधार किया गया और न ही श्रम शक्ति बढ़ाई गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापमं की ओर से आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई है और व्यापमं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य शासन ने डॉ. योगेश उपरीत और पंकज त्रिवेदी को तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया था। शासन ने व्यापमं की ऑडिट कैग को ये मानते हुए नहीं सौंपी ने ऑडिटर जनरल से परामर्श नहीं किया। बोर्ड की स्थिति को लेकर उसके गठन के वक्त जो उलझन थी वो आज तक यथावत हैं। राज्य सरकार ने 1982 के अपने द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेश में बताया था की वह व्यापमं के किसी भी कार्य के लिए जवाबदार नहीं रहेगी। हालाँकि रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड को सरकारी विभाग के तौर पर बाद में स्वीकृत किया गया, जिसकी म.प्र.लॉ डिपार्टमेंट की ओर से भी पुष्टि की गई। कैग के अनुसार उन्हें सरकार ने 2015 और 2016 के व्यपामं रिकार्ड की जांच नहीं करने दी। सरकार की ओर से कहा गया कि व्यापमं सरकारी संस्था नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापमं के बोर्ड में अध्यक्ष, निदेशक और नियंत्रक के पदों को राज्य सरकार के अधिकारियों के स्तांतरण से भर दिया गया था और सरकारी फंड का इस्तेमाल

Absolute India Bhopal 01.25/03/17

PEB scam: CAG report flays MP Government

Bhopal: The Madhya Pradesh Government initiated no action whatsoever to check irregularities in the Professional Examination Board (PEB) despite the inconsistencies being brought to its notice by PEB officials, notes the Comptroller and Auditor General's report tabled in the Assembly.

Rules were not drafted to stop malversation in exams, the document said. Referring to the Supreme Court recently annulling admissions of 634 medical students, it stated that candidates' futures were jeopardized. The report of a scrutiny committee constituted to inquire into admission of certain candidates in government medical colleges was not even made available for accounts appraisal. The CAG report suggested that henceforward separate institutions should be bestowed the responsibility of conducting tests for occupying government posts and seeking admission in professional courses. The tenures of the PEB Chairman and the Secretary must be fixed so that the officers are able to function sans duress. In September 2004, the Economic Offences Wing registered cases against a dozen persons including the then PEB Chairman Arun Gupta, Director Yogesh Uprit, Senior System Analyst Nitin Mohindra and System Analyst Ajay Kumar. Despite the then state Technical Education Minister ordering suspension of the officials they were allowed to continue in their posts.

नव भारत 25/03/2017 ग्वालियर

सीएजी रिपोर्ट में व्यापम के कामकाज पर सवाल

ग्वालियर 24 मार्च नभासं. मप्र विधानसभा के पटल पर आज प्रस्तुत भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में मप्र व्यापमं के कामकाज पर कई सवाल खड़े किए गए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापमं की स्थिति पर शासन के दृष्टिकोण में दोहरापन है. जब से व्यापमं की स्थापना हुई है, तभी से मप्र शासन इस उलझन में है कि व्यापमं शासन का भाग है या नहीं. राज्य शासन ने घोषित किया था कि वह व्यापम द्वारा किए गए अथवा छोड़े गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन इसके बाद विभिन्न मंचों से एवं न्यायिक निर्णयों द्वारा यह घोषणा की गई कि मंडल एक शासकीय विभाग है.

सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रत्यक्ष नियंत्रण से यह स्थिति बनी कि मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई. 2015 एवं 2016 में जब महालेखाकार द्वारा व्यापम के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए अनुरोध किया गया तब शासन ने अनुमति नहीं दी एवं यह कारण बताया कि व्यापम शासकीय निकाय नहीं है. मंडल में अध्यक्ष, संचालक और नियंत्रक की नियुक्ति राज्य शासन के अधिकारियों के स्थानांतरण द्वारा की जा रही थी, इसके बावजूद शासन ने मंडल के कार्य संचालन, शुल्क के संग्रहण एवं जमा व वित्तीय प्रक्रियाओं के अनुशरण के लिए कोई नियम विनियम नहीं बनाए गए थे. परीक्षाओं एवं सहायक गतिविधियों के सवतंत्र एवं निष्पक्ष आयोजन के लिए भी कोई नियम नहीं बनाए गए थे. इस प्रकार मंडल की गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कदाचार पर रोक लगाए जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी. रिपोर्ट में व्यापम में राज्य शासन द्वारा मनमाने ढंग से नियुक्तियां किए जाने पर भी टिप्पणी की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मंडल में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों की सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिया गया. डॉ. योगेश उपरीत एवं डॉ. पंकज त्रिवेदी को क्रमशः संचालक एवं नियंत्रक के पदों पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया गया था. व्यापम द्वारा परीक्षाओं में अनियमितताओं के कुछ प्रकरणों के बारे में बताए जाने के बाद एवं शासन के एक पदस्थ मंत्री द्वारा आपत्ति के बावजूद भी अनियमितताओं को रोकने हेतु राज्य शासन ने नियमों, विनियमों को बनाकर कोई उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए. इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि राज्य शासन ने मंडल द्वारा आयोजित कराई गई परीक्षाओं में उपयोग की गई सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की समग्रता को सुनिश्चित किया गया. प्रारंभ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि मंडल की लेखापरीक्षा सीएजी को नहीं सोंपी जाएगी क्योंकि यह माना गया था कि महालेखाकार अत्यंत व्यस्त थे. इस प्रकरण में महालेखाकार से परामर्श नहीं लिया गया.

BHOPAL, SATURDAY MARCH 25, 2017; PAGES 12+4 ₹

the pioneer

www.dailypioneer.com

25/03/2017

Vyapam: CAG criticises State Govt

STAFF REPORTER ■ BHOPAL

Criticising the State Government for its dual stand on Vyapam, the Comptroller and Auditor General (CAG) on Friday said auditors were stopped from accessing records on grounds that it was not a Government body.

"While the MP Government disowned and distanced itself from Vyapam, it was in full control of the examination board for all practical purposes," the audit watchdog observed.

"The shadowy control on Vyapam has led to a situation where there was severe erosion in the credibility of exams conducted by board," stated CAG report tabled on Friday.

It was pointed out that the board was constituted with confusion over its status which persists till date. The State Government in the notification of 1982 declared that it would not be responsible for any act of Vyapam. However, the status of Board as a Government Department was accepted thereafter, which was also confirmed by the Law Department of MP during various inter-departmental deliberations.

The appointments of director and controller in the Board were made by systemic subversion of rules resulting in undue favour being shown to certain individuals. Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed Director and Controller respectively directly on orders of the then Minister in contraventions of the rules.

THE GOVERNMENT DID NOT ALLOW US ACCESS OF VAPAM RECORDS IN 2015 AND 2016, STATING THAT IT WAS NOT A GOVERNMENT BODY, ADDED CAG

The Government did not allow us access of Vapam records in 2015 and 2016, stating that it was not a Government body, added CAG.

The posts of chairman, director and controller in the board were filled by the transfer of State Government officers and funds of the Government were utilised at the instance of the Government.

कैग का खुलासा : तत्कालीन राज्यमंत्री तुकोजीराव पवार का नाम भी आया सामने

व्यापमं नियुक्ति में तत्कालीन मंत्री राजा पटेरिया भी थे जिम्मेदार

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

भोपाल/ग्वालियर. व्यापमं मामले में अभी तक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम सामने आया था। शुक्रवार को सदन में पेश हुई कैग रिपोर्ट में दो और नाम सामने आए। इसमें पहला नाम तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया और दूसरा नाम तत्कालीन राज्यमंत्री तुकोजीराव पवार शामिल है। कैग ने व्यापमं में नियुक्तियों के लिए इन मंत्रियों को भी जिम्मेदार माना है।

नियमों के खिलाफ नियुक्त हुए उपरीत

रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने योगेश उपरीत को व्यावसायिक परीक्षा मंडल संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया था। कैग ने पाया कि उपरीत की नियुक्ति संचालक के पद पर नहीं थी, क्योंकि वे एक सेवानिवृत अधिकारी थे जो संविदा आधार पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना में कार्यरत थे। उपरीत की अपात्रता तत्कालीन मंत्री को बताई गई थी, उन्हें उपरीत को संविदा आधार पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भेजा गया। यह प्रस्ताव मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री को भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री को भेजे प्रस्ताव में उपरीत की अपात्रता का उल्लेख नहीं था। मुख्यमंत्री ने उसका अनुमोदन कर दिया और नियुक्ति 14 फरवरी 2003 को कर दी गई।कैग ने इसे अनियमित माना क्योंकि इस पद पर इंजीनियरिंग कॉलेज के वरिष्ठ प्राचार्य या विभाग स्तर के अधिकारी ही पात्र थे। उपरीत इनमें से कोई भी नहीं थे। कैग ने जब पूछा तो तकनीकी शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2016 में बताया कि उपरीत को हटा दिया है, लेकिन अनियमित नियुक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

सॉफ्टवेयर पार्क निर्माण में देरी से 4.79 करोड़ रुपए ... @ पेज 04

पैनल से हटकर त्रिवेदी को बनाया संचालक

अप्रैल 2011 में तकनीकी शिक्षा विभाग ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को व्यापमं के नियंत्रक पद के लिए तीन नामों का पैनल दिया। लक्ष्मीकांत शर्मा ने पंकज त्रिवेदी को परीक्षा नियंत्रक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के निर्देश दे दिए जबकि त्रिवेदी का नाम पैनल में था ही नहीं। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए थी। मई 2011 में उन्होंने कार्य संभाला। कैग ने पाया कि त्रिवेदी इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं रखते थे। उनके पास परीक्षा कार्य का कोई अनुभव नहीं था। जून 2011 से जुलाई 2012 तक त्रिवेदी के पास संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार भी था। फिर 28 जुलाई 2012 को त्रिवेदी को नियंत्रक के साथ निदेशक के पद पर भी पदस्थ कर दिया गया। त्रिवेदी 28 जुलाई 12 से 30 जुलाई 13 तक दोनों पदों पर एक साथ रहे। शेष @ पेज 10

पत्रिका 25/03/2017
ग्वालियर

व्यापमं ...

सरकार ने अक्टूबर 2016 में स्वीकार किया कि विभाग के पास त्रिवेदी की योग्यता और अनुभव के कोई दस्तावेज नहीं थे और न ही उनकी कोई जांच की गई थी।

योग्यता ही नहीं रखते थे भदौरिया : सुधीर सिंह भदौरिया की नियंत्रक के रूप में नियुक्ति को गलत माना। यह नियुक्ति तत्कालीन राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा तुकोराजीराव पवार ने की थी। पवार ने आधार दिया था कि भदौरिया योग्यता व अनुभव पूरा रखते है जबकि कैग ने पाया कि भदौरिया की नियुक्ति के लिए न कोई पैनल तैयार हुआ और न विज्ञापन जारी किया गया। मंत्री ने नियमों का पालन किए बिना नियुक्ति कर दी। इसके बाद 2012-13 में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का संदेह होने के बावजूद इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि मार्च 2013 में दो साल के लिए और बढ़ा दी गई।

अक्टूबर 2003 में नितिन महेन्द्र और अजय कुमार की नियुक्ति व्यापमं की गई। इनके वेतनमानों के अपग्रेडशन में अनियमिता हुई थी, जिसके लिए तत्कालीन व्यापमं नियंत्रक एके श्रीवास्तव और संचालक योगेश उपरीत जिम्मेदार थे। इसका प्रतिवेदन भी तकनीकी शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग को 25 अगस्त 2004 में भेजा गया था।

नई दुनिया
25/03/2017
ग्वालियर

विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में खुलासा

2004 में मंत्री का आदेश मान लेते तो रुक सकता था व्यापमं घोटाला

भोपाल/ग्वालियर। नईदुनिया न्यूज

व्यापमं घोटाले का जिन्न फिर बाहर निकल आया है। इस बार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि व्यापमं घोटाले की बुनियाद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (2002) में पड़ी थी, जबकि भाजपा सरकार ने इसे आगे बढ़ाया। नवंबर 2004 में यदि तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस के आदेश मान लिए गए होते तो यह घोटाला रुक सकता था। चिटनीस ने व्यापमं में वित्तीय अनियमितताओं पर 11 अफसरों को सस्पेंड करने व अहम पदों से दूर रखने के आदेश दिए थे। इनमें व्यापमं के तत्कालीन डायरेक्टर डॉ. योगेश उपरीत, नियंत्रक एके श्रीवास्तव, सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा व अजय कुमार शामिल थे। -शेष पेज 10 पर

प्रदेश के 78 लाख मासूमों व 8 लाख गर्भवतियों को नहीं मिला पोषक आहार

ग्वालियर। प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सुविधाएं देने का दावा करती है। लेकिन इसकी हकीकत का सीएजी ने इसका खुलासा किया है। 2011 से 2016 तक की ऑडिट रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 6 माह से 3 साल के 20.94 लाख बच्चों, 3 से 6 साल के 57 लाख बच्चों व 8 लाख गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं दिया गया। -शेष पेज 10 पर

2004 में मंत्री का...

विस में पेश इस रिपोर्ट के मुताबिक पात्र नहीं होने के बावजूद 2002 में डायरेक्टर पद पर उपरीत की नियुक्ति की गई। 2011 में नियंत्रक पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति भी नियम विरूद्ध की गई। कैग ने रिपोर्ट में कहा तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने 2002 में उपरीत की संचालक पद पर प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया। विभाग के उपसचिव ने इसे गलत ठहराया तो उपरीत को संविदा नियुक्ति देने का प्रस्ताव आगे बढ़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उपरीत की अपात्रता के संबंध में अंधेरे में रखा गया और 2003 में उन्हें नियुक्ति दे दी गई। इसी तरह 2011 में लक्ष्मीकांत शर्मा ने नियंत्रक के पद पर पंकज त्रिवेदी को नियुक्ति दे दी, जबकि इस पद के लिए बने तीन नाम के पैनल में न उनका नाम था, न ही उनके पास परीक्षा करवाने का अनुभव।

कैग ने व्यापमं पर अपनी रिपोर्ट में ये कहा:

'तत्कालीन मंत्री (अर्चना चिटनीस) के आदेश जिसके तहत आरोपी अधिकारियों को निलंबित किया जाना था और उन्हें महत्वपूर्ण पदों से दूर रखना था, इसका व्यापमं ने पालन नहीं किया। यह उस समय नजर में आए खतरे की स्पष्ट उपेक्षा थी जिसके कारण पीईबी (व्यापमं) में आगे भी अनियमितताओं के खतरे बढ़ गए और मंडल द्वारा जनवरी 2012 से जून 2013 के बीच आयोजित प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं में भी इन्हीं व्यक्तियों के शामिल होने का संदेह था। अत: यह मंडल के ऊपर शासन की निगरानी और नियत्रण की एक गंभीर चूक थी। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सरकार को व्यापमं में हो रही अनियमितताओं की जानकारी दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए सरकार ने नियम नहीं बनाए। एकाउंटेंट जनरल सौरभ मलिक के अनुसार शासन के एक मंत्री की आपत्ति के बावजूद सरकार ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए नियम बना कर कोई उपचार नहीं किया। सरकार ने व्यापमं का ऑडिट कैग को नहीं सौंपा, क्योंकि यह माना गया कि महालेखाकार अत्यधिक व्यस्त थे। इस प्रकरण में महालेखाकार से परामर्श नहीं किया गया।

रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

■ 2015 और 2016 में कैग ने व्यापमं के ऑडिट का अनुरोध किया, लेकिन सरकार ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि व्यापमं सरकारी निकाय नहीं है। ■ सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले संदिग्ध उम्मीदवारों के मामलों की जांच के लिए छानबीन समिति का गठन किया, कैग को इस समिति की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। ■ भर्ती प्रक्रियाओं को ऐसी संस्था के हाथ में सौंपा गया जो न तो स्वतंत्र थी और न ही विधिवत संचालित थी। यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत था। ■ परीक्षाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोजन के लिए कोई नियम नहीं बनाए गए। ■ राज्य सरकार को पता ही नहीं था कि व्यापमं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उपयोग की गई सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली चाक-चौबंद थी या नहीं।

प्रदेश के 78 लाख मासूमों...

राज्य में पिछले 1 साल में 9.2 फीसदी बच्चे अति कुपोषित पाए गए। कैग रिपोर्ट में कहा है एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) का उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प विकास, रोग मुक्ति व मृत्युदर को कम करना है। प्रदेश में योजनाओं का पालन उचित ढंग से नहीं किया। आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कम है। उनका प्रबंधन भी खराब है, पूरक पोषण आहार भी कम मात्रा में प्रदान किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरतमंदों का आंगनबाड़ी से भरोसा उठा। राज्य में 11,156 गांव व वार्ड आंगनबाड़ी केन्द्र विहीन थे। रिपोर्ट में कहा है कि महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने गेहूं एवं चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य का पालन नहीं किया और नागरिक आपूर्ति निगम को ऊंची दरों पर भुगतान किया। इससे आवटन की तुलना में 40.87 करोड़ रुपए ज्यादा का भुगतान हुआ। प्रदेश में राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई।

25/03/2017

स्टार समाचार

twitter.com/starsamachar www.starsamachar.com

वर्ष 4 अंक 159 भोपाल, शनिवार 25 मार्च 2017

रिपोर्ट में कांग्रेस और भाजपा सरकार की कई खामियां सामने आईं

सरकार ने सीएजी को नहीं दी व्यापमं के बारे में जानकारी

स्टार समाचार | भोपाल

मप्र सरकार ने भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक(सीएजी) को व्यापमं (मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल) का ऑडिट नहीं करने दिया। सरकार ने व्यापमं संबंधी जानकारियां ही सीएजी को उपलब्ध नहीं कराई। इसके लिए यह तर्क दिया कि वो सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं है। कांग्रेस के शासन काल से शुरू हुई गड़बड़ियां भाजपा के समय भी न केवल लगातार जारी रहीं, बल्कि और गंभीर होती गई। यह बात सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है। राज्य विधान सभा में शुक्रवार को मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई। इसमें कहा गया है कि तकनीकी शिक्षा विभाग की ऑडिट में जब भी व्यापमं संबंधी जानकारी मांगी गई तो सरकार ने मना कर दिया। इससे व्यापमं की संपूर्ण ऑडिट नहीं हो सकी। विभाग में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच हुई। इसमें सामने आया कि व्यापमं की स्थापना से लेकर अभी तक लगातार राज्य सरकार ने नियमों को उल्लंघन किया है। यहां पर काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो या इसके द्वारा की गई भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं सभी में कई खामियां सामने आई है।

- सीएजी की रिपोर्ट को अभी मैंने देखा नहीं है। देखने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।

  नरोत्तम मिश्र, जल संसाधन, जनसंपर्क एवं संसदीय कार्यमंत्री

- सीएम शिवराज सिंह चौहान ने व्यापमं मामले में पूरी पारदर्शिता से जांच कराई और इसमें जो भी दोषी थे उन पर कड़ी कार्रवाई की गई और जेल भी भेजा गया। व्यापमं मामले में अनदेखी करने वाली कोई बात ही नहीं है। दीपक जोशी, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

रिपोर्ट में मुख्य बिंदु

व्यापमं को भर्ती कार्य सौंपना गलत

छग और मप ही ऐसे राज्य हैं जहां भर्ती और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ही संस्था परीक्षा लेती हो। उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह पूरी तरह गलत है।

सुधीर सिंह भदौरिया की नियुक्ति

जुलाई 2007 में तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तकनीकी शिक्षा तुकोजी राव पवार ने प्रक्रिया का पालन न कर हुए सुधीर सिंह भदौरिया की नियुक्ति कर दी। इसके लिए कोई पैनल तैयार नहीं किया गया।

आपत्ति के बाद भी त्रिवेदी बना संचालक

विभागीय पैनल में नाम न होने के बावजूद अप्रैल 2011 में तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने संचालक पद पर पंकज त्रिवेदी की नियुक्ति की। उनके पास इस पद की कोई योग्यता और अनुभव नहीं था। नियमों के खिलाफ संचालक और नियंत्रक दोनों पदों की जिम्मेदारी दी।

अनियमितता पर कार्यवाही नहीं

कई अधिकारियों पर ईओडब्ल्यू तथा लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हुए। सरकार ने उनको निलंबित करने के आदेश भी जारी किये किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

योगेश उपरीत की नियुक्ति गलत

नियमों की अनदेखी कर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने नवंबर 2002 को विभाग की आपत्ति के बावजूद संचालक पद पर योगेश उपरीत की नियुक्ति की।

BHOPAL

The Hitavada

THE PEOPLE'S PAPER • SINCE 1911

25/03/2017

State falls short of target to check severely malnourished kids

■ By Rajan Raikwar

"AS PER National Family Health Survey (2015-16), there were 9.2 per cent of severely malnourished children in the State. Thus State could not achieve target for reducing severely malnourished children from 12.6 per cent to 5 per cent even after distribution of third meals to underweight children," said audit report of Comptroller and Auditor General (CAG). The report further adds that State was lagging behind the targets set for reducing percentage of underweight children and under 5 mortality rate. 'The Hitavada' is in possession of audit report of CAG.

Audit of Integrated Child Development Services (ICDS) in Madhya Pradesh during the period 2011-16 revealed that state government allocated food grains to District Programme Officers (DPOs) through Madhya Pradesh Civil Supplies Corporation (MPSCSC) for release under SNP (Supplementary Nutrition Programme). DPOs did not adhere to Central Issue Price (CIP) of wheat and rice and payments were made to MPSCSC at higher rates.

This resulted in excess payment of Rs 40.87 crore to MPSCSC during 2012-13 to 2014-15. Besides Madhya Pradesh Agro Industrial Development Corporation Limited (MP Agro), which was the agency for supply of Take Home Ration (THR) packets, utilised excess wheat and rice as compared to quantity of food grains required for THR packets actually supplied by it. Department did not reconcile the reasons for excess utilised food grains which resulted in undue financial benefits of Rs 15.57 crores to MP Agro.

ICDS was to be extended to all children upto the age of 6 years and all pregnant and lactating mothers. During 2011-16, 20.94 lakh registered children in the age group of 6 months to 3 years, 57.02 lakh registered children in age group of 3 years to 6 years and 7.99 lakh registered pregnant and lactating mothers were not provided SN (Supplementary Nutrition).

The shortfall was due to deficient infrastructure at Anganwadi centers (AWCs), preparation of less quantity of SN or at times no supply of SN and long distances of AWCs which acted as disincentives to enrolled beneficiaries affecting their attendance at AWCs. Moreover, there was shortage of 18604 AWCs and 3400 mini AWCs in the state as of March 2016 as per population norms laid down by GOI.

Out of total 61755 villages and wards in state, 11156 villages and wards covering 53.84 lakh population were without AWCs.

State fails to attain goals for IMR, MMR, TFR

■ By Rajan Raikwar

STATE could not attain the goals for Infant Mortality Rate (IMR), Mother Mortality Rate (MMR) and Total Fertility Rate (TFR) and it was lagging behind the achievements of other states.

In the meantime, State failed critically in creating sufficient rural health centres," said report of Comptroller and Auditor General (CAG) of India. CAGs performance audit to assess the impact of National Rural Health Mission (NRHM) on improving reproductive and child health in state for the period 2011-12 to 2015-16 revealed that IMR of state was 51 per 1000 live birth against the target of 27 per 1000 live birth against the Millennium Development Goals (MDG). 'The Hitavada' is having the CAG audit report which says that Madhya Pradesh stands at 27th

State fails to attain goals for IMR, MMR...

place out of 28 states in IMR. Similarly, State is at 13th place out of 18 states in MMR category. The status of TFR (Total Fertility Rate) improved since 2012 as it reduced from 2.9 (March 2012) t0 2.3 (March 2016). However, State cannot achieve the target fixed under NRHM framework of implementation to reduce TFR to 2.1. The report point out that shortfall in providing maternal, child and reproductive health care services resulted in failure of state in achieving targets for IMR, MMR and TFR. Targets set for child immunisation against seven vaccine preventable disease could not be achieved during 2011-16 and the rage of shortfall was 16 to 21 percent in the state. Institutional delivery was 87 per cent of the total deliveries in state during 2011-16. However, only 49.27 lakh beneficiaries out of 55.38 lakh deliveries in public institutions were paid JSY incentive. Further, 8.96 lakh were total home deliveries in state during 2011-16, out of which 6.65 lakh were not attended by SBA trained health professionals. Out of total 69.25 lakh live births in state, 10.61 lakh babies were reported as low birth weight. Only, 62.97 lakh new borns were breast fed within one hour of delivery. During the year 2011-16, Government of India approved PIP for Rs 6,247.01 crore against which only Rs 5,269.70 crore was made available for implementation of NRHM in the state. Thus, government could not ensure sufficient fund for implementation of the scheme, despite the dismal performance of state on health indicators. The state had failed critically in creating sufficient rural health centres. There was shortfall of 2588 Sub Centres (SCs), 828 PHCs (Primary Health Centres) and 153 CHCs as against the population norms under NRHM. Out of total 9,192 SCs in the state, only 241 were providing delivery services.

Under Madhya Pradesh Swasthya Seva Guarantee Yojana, government was committed to provide minimum essential drugs and laboratory services for all types of health facility centres. However, none of the test checked health facilities had all the listed drugs and laboratory services.

25/03/2017 भोपाल

कैग का खुलासा : लक्ष्मीकांत शर्मा के बाद व्यापमं मामले में तुकोजीराव पवार समेत दो पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आए

व्यापमं नियुक्ति में तत्कालीन मंत्री राजा पटेरिया भी थे जिम्मेदार

भोपाल@ पत्रिका. व्यापमं मामले में अभी तक सिर्फ एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम ही था। शुक्रवार को विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट में दो और मंत्रियों के नाम सामने आए। पहला नाम तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया का और दूसरा नाम तत्कालीन राज्यमंत्री तुकोजीराव पवार का है। कैग ने इन्हें व्यापमं में नियुक्तियों का जिम्मेदार माना है।

व्यापमं के स्थापना नियमों में ही थी गड़बड़ी

नियम विरुद्ध थी उपरीत, त्रिवेदी और भदौरिया की नियुक्ति

पटेरिया ने रिटायर्ड उपरीत को प्रतिनियुक्ति पर बनाया था व्यापमं का संचालक

रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने योगेश उपरीत को व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया था। कैग ने पाया कि उपरीत की नियुक्ति संचालक के पद पर गलत थी, क्योंकि वे रिटायर होने के बाद संविदा आधार पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना में कार्यरत थे। उपरीत की अपात्रता पटेरिया को बताकर उन्हें संविदा आधार पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भेजा गया था। यह प्रस्ताव मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री को भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री को भेजे प्रस्ताव में उपरीत की अपात्रता का उल्लेख नहीं था। मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर 14 फरवरी 2003 को नियुक्ति कर दी गई। कैग ने इसे अनियमित माना क्योंकि इस पद पर इंजीनियरिंग कॉलेज के वरिष्ठ प्राचार्य या विभाग स्तर के अधिकारी ही पात्र थे। शेष @ पेज 14

पैनल में नाम नहीं था, फिर भी लक्ष्मीकांत शर्मा ने त्रिवेदी को बना दिया था संचालक

अप्रैल 2011 में तकनीकी शिक्षा विभाग ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को व्यापमं के नियंत्रक पद के लिए तीन नामों का पैनल दिया। लक्ष्मीकांत शर्मा ने पंकज त्रिवेदी को परीक्षा नियंत्रक के रूप में प्रतिनियुक्ति देने के निर्देश दे दिए, जबकि त्रिवेदी का नाम पैनल में था ही नहीं। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए थी। मई 2011 में उन्होंने कार्य संभाला। कैग ने पाया कि त्रिवेदी इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं रखते थे। उनके पास परीक्षा कार्य का कोई अनुभव नहीं था। शेष @ पेज 14

पृष्ठ 24+4 ■ मूल्य 2.50 ■ भोपाल ■ शनिवार, 25 मार्च 2017 ■ चैत्र कृष्ण पक्ष द्वादशी संवत् 2073

पत्रिका

पेज एक के शेष...

पटेरिया...

जबकि उपरीत इस पात्रता को पूरा नहीं करते थे। कैग ने जब पूछा तो तकनीकी शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2016 में बताया कि उपरीत को हटा दिया गया है, लेकिन अनियमित नियुक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

पैनल में ना...

जून 2011 से जुलाई 2012 तक त्रिवेदी के पास संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार भी था। फिर 28 जुलाई 2012 को त्रिवेदी को नियंत्रक के साथ निदेशक के पद पर भी पदस्थ कर दिया गया। त्रिवेदी 28 जुलाई 12 से 30 जुलाई 13 तक दोनों पदों पर एक साथ रहे। सरकार ने अक्टूबर 2016 में स्वीकार किया कि विभाग के पास त्रिवेदी की योग्यता और अनुभव के कोई दस्तावेज नहीं थे और न ही उनकी कोई जांच की गई थी।

योग्यता ही नहीं रखते थे भदौरिया: सुधीर सिंह भदौरिया की नियंत्रक के रूप में नियुक्ति को गलत माना। यह नियुक्ति तत्कालीन राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा तुकोराजीराव पवार ने की थी। पवार ने आधार दिया था कि भदौरिया योग्यता व अनुभव पूरा रखते हैं, जबकि कैग ने पाया कि भदौरिया की नियुक्ति के लिए न कोई पैनल तैयार हुआ और न विज्ञापन जारी किया गया। मंत्री ने नियमों का पालन किए बिना नियुक्ति कर दी। इसके बाद 2012-13 में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का संदेह होने के बावजूद इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि मार्च 2013 में दो साल के लिए और बढ़ा दी गई। अक्टूबर 2003 में नितिन मोहिंद्रा और अजय कुमार की नियुक्ति व्यापमं में की गई। इनके वेतनमानों के अपग्रेडशन में अनियमितता हुई थी, जिसके लिए तत्कालीन व्यापमं नियंत्रक एके श्रीवास्तव और संचालक योगेश उपरीत जिम्मेदार थे। इसका प्रतिवेदन भी तकनीकी शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग को 25 अगस्त 2004 में भेजा गया था।

आप पढ़ रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 अख़बार

दैनिक भास्कर

कुल पेज 32, 16 पेज + सिटी भास्कर 4 पेज + डीबी स्टार 12 पेज (निःशुल्क) मूल्य ₹ 6.00 | वर्ष 70, अंक 228, महानगर

ग्वालियर, शनिवार 25 मार्च, 2017 चैत्र कृष्ण पक्ष-12, 2073

ग्वालियर 25/03/2017

दैनिक भास्कर, ग्वालियर, शनिवार, 25 मार्च, 2017

कैग की रिपोर्ट | सूची में पुलिस व विधि विभाग के नहीं थे पद, फिर भी कराईं 11 भर्ती परीक्षाएं

व्यापमं : उपरीत, महिंद्रा पहले ही भ्रष्ट साबित थे त्रिवेदी और भदौरिया की नियुक्तियां भी गलत थीं

रिपोर्ट में कई नए खुलासों के साथ सवाल भी उठाए

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

व्यापमं के तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुप्ता व संचालक डॉ. योगेश उपरीत और नितिन महिंद्रा सहित 12 अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज थे। करीब 12 साल पहले ही इनके भ्रष्टाचार में शामिल होना साबित हो गया था। इसके बावजूद इनकी सेवा ली जाते रही।

पूर्व परीक्षा नियंत्रक डॉ. पंकज त्रिवेदी का नाम प्रस्तावित पैनल में ही नहीं था, लेकिन उनकी नियुक्ति की गई थी। इसी तरह पूर्व नियंत्रक सुधीर सिंह भदौरिया की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही की गई। यह खुलासा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में हुआ है। कैग ने मंडल की जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कई नए खुलासों के साथ सवाल भी उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मंडल की सूची में पुलिस एवं विधि विभाग के पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करना शामिल नहीं था। इसके बावजूद मंडल ने 2005 से लेकर 2015 तक पुलिस विभाग के लिए 11 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कीं।

मंडल ने वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक 90 भर्ती परीक्षाएं कराईं

बिना विशेषज्ञता.... परीक्षाएं कराता रहा व्यापमं

कैग के अनुसार शासन ने मंडल की स्थिति में दोहरा दृष्टिकोण अपनाया था। मंडल ने वर्ष 2005 से 2015 तक 90 भर्ती परीक्षाएं कराईं, जिसमें 86.23 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। जबकि तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। मंडल पहले प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता था। जबकि मंडल के पास भर्ती परीक्षाओं की विशेषज्ञता नहीं थी। मंडल को परीक्षाओं की चयन प्रणाली विकसित करने के लिए मप्र लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी से परामर्श लेना था। लेकिन ऐसा नहीं किया। शासन ने भर्ती प्रक्रिया के लिए 2013 के पहले कोई नियम नहीं बनाए थे जबकि व्यापमं द्वारा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन 2004 से किया जा रहा था।

बड़ी चूक .... शासन ने मंडल की निगरानी नहीं की

एक तरह से राज्य शासन ने मंडल की गतिविधियों की निगरानी नहीं की थी। न प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा हुई, न ही उचित मूल्यांकन, गोपनीय प्रक्रियाओं और परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधन के उपयोग करने पर पेनाल्टी लगाई गई। बिना तैयारी मंडल के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की जाती रहीं। शासन ने मंडल पर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पालन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया। शासन की सबसे बड़ी चूक मध्यप्रदेश व्यापमं अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन में देरी मानी गई है।

नियुक्ति में बरती अनियमितता

वर्ष 2002 में डॉ. योगेश उपरीत की नियुक्ति संचालक के पद पर की गई थी, जो अनियमित थी। इसी तरह नियंत्रक की नियुक्ति में भी अनियमितता बरती गई थी। कैग का मानना है कि शासन ने मंडल का गठन एक विभाग के रूप में इसकी स्थिति के बारे में एक भ्रम की साथ अप्रैल 1982 में किया था जो अब तक लगातार जारी है।

खरीदी में करोड़ों की गड़बड़ी

- हाई स्पीड स्कैनर, सॉफ्टवेयर व प्रिंटर में 23.12 लाख।
- कंप्यूटर व सर्वर में- 21.46 लाख
- सॉफ्टवेयर खरीदी में- 14.35 लाख
- पॉलीटेक्निक व आईटीआई को कंप्यूटर्स व सहायक उपकरणों का प्रदान- 60.18 लाख
- आईटीआई इंदौर के लिए चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना- 19.97 लाख
- कंप्यूटरीकृत ओएमआर आवेदन प्रपत्र व आंसरशीट- 15 लाख।

अनियमितताओं के लिए ये जिम्मेदार

तत्कालीन संचालक डॉ. योगेश उपरीत, तत्कालीन अध्यक्ष अरुण गुप्ता, नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा, नियंत्रक डॉ. एके श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी अशोक मिश्रा, संयुक्त नियंत्रक ओपी टिकरिया, एके कालिया, पी. प्रकाश राव, कनिष्ठ लेखा अधिकारी रमेश दुबे, वित्त सलाहकार राधा बेलानी व अन्य।

पोषाहार में कैग ने पकड़ी गड़बड़ियां

पोषण आहार अपडेट आइए बचाएं जरूरतमंद बच्चों का भोजन

ज्यादा गेहूं-चावल मिलाया, तीन साल में अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ गए

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

पोषाहार के सिस्टम में भारत सरकार के ऑडिटर जनरल (कैग) ने भी बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। विधानसभा में शुक्रवार को टेबल हुई रिपोर्ट में कैग ने खुलासा किया है कि मप्र में पोषाहार के वितरण में कई स्तरों पर खामियां हैं। उसकी क्वालिटी और हितग्राहियों की संख्या में भी हेरफेर हुआ। 2015- 16 अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ गए। कैग ने राज्य सरकार को नसीहत दी है कि वह बच्चों, गर्भवती और बच्चों को आधार कार्ड से जोड़े ताकि इनकी वास्तविक संख्या का पता चल सके। योजना सही तरीके से चलाने के लिए आईसीडीएस मिशन का गठन हो। शेष | पेज 12 पर

आंकड़ों की असलियत....ऐसे बढ़े हितग्राही

2015-16 में अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ना दिखाया गया है। कैग ने लिखा कि यह स्थिति वास्तविक नहीं थी।

कैग ने ये उठाए सवाल

(आकलन 2011-12 से 2015-16)

- 37 हजार 79 हितग्राहियों को एक दिन से लेकर 120 दिन तक पूरक पोषाहार नहीं मिला।
- पोषाहार की कम मात्रा तैयार की गई। कई जगह इसका वितरण नहीं किया गया। पात्र बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार के दायरे से दूर रखा गया। शेष | पेज 12 पर

पोषाहार में...

कैग ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (2015-16) के हवाले से कहा है कि कुल बच्चों की संख्या के मुकाबले राज्य में 9.2 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। जबकि इसे 5 फीसदी तक लाना था। इसके पहले तो 12.5 फीसदी गंभीर कुपोषित बच्चे थे। इसी तरह पांच साल से कम आयु के कम वजन के बच्चों की मृत्यु दर भी कम नहीं हो सकी। जमीनी हालत खराब होने के बाद भी राज्य स्तर पर बनी मॉनिटरिंग और रिव्यू कमेटी की मीटिंग तक नहीं की गई। जिला या ब्लॉक स्तर पर ऐसी कमेटियां ही नहीं बनीं।

कैग ने...

- रतलाम के जावरा में टीएचआर (टेक होम राशन) के 2240 पैकेट एक्सपायरी डेट के दे दिए गए। यही स्थिति अलीराजपुर के कठीवाड़ा व जोबट में 26 पैकेट, धार के नालछा 62 पैकेट, पन्ना के लमतरा में 20, रतलाम के भीमपुरा में 81 पैकेट, सतना के मैहर में 17 तथा विदिशा के अटारीखेड़ा में 40 पैकेट एक्सपायरी डेट के मिले।
- टीएचआर का पैकेट बनाने वालों ने गेहूं और चावल का अधिक उपयोग किया, जिससे एमपी एग्रो ने 15.57 करोड़ का अनुचित लाभ लिया।
- पांच साल तक 14 जिलों में किसी भी स्व सहायता समूह का ऑडिट नहीं किया गया।

25/03/2017

BENNETT, COLEMAN & CO. LTD. | ESTABLISHED 1838 | TIMES OF INDIA.COM DELHI/BHOPAL/GWALIOR/JABALPUR | SATURDAY, MARCH 25, 2017 | PAGES 12 | PRICE ₹ 4.00

THE TIMES OF INDIA

EPAPER.TIMESOFINDIA.COM

CBSE TO CONDUCT NEET IN 23 MORE CITIES THIS YEAR, SAYS JAVADEKAR 3

JUST TEXT CODE TO KNOW ABOUT PURITY OF LIQUOR BOTTLES IN STATE 2

DOUBTS REMAIN FITNESS, INDIA GO IN WITH FIV

CAG red-flags Vyapam appointments

Says 'Shadow Control' Eroded Credibility

P.Naveen@timesgroup.com

Bhopal: The CAG has severely criticized the Shivraj Singh Chouhan government on a string of "irregularities" concerning Vyapam — from the government's alleged "dual stand" and how central auditors were stopped from accessing its records to "arbitrary appointments" and alleged lack of financial accountability. The report, tabled in the assembly on Friday, has ignited a political storm in Madhya Pradesh where the Vyapam scam is still a raw wound for the government and a soft target for the opposition.

"While the MP government disowned and distanced itself from Vyapam, on the other hand it was in full control of the examination board for all practical purposes... The shadowy control (on Vyapam) has led to a situation where there was severe erosion in the credibility of exams conducted by board," CAG observed in its latest report for 2015-16 tabled on Friday. In a scathing remark, the report points out that the state government "did not take any remedial measures" by framing rules/regulations to prevent irregularities even after the Vyapam scam.

A Moeed Farooqui

Accountant generals Saurabh K Mallick (R) and Deepak Kapoor (L) releasing CAG report, in Bhopal on Friday

While the government seemed numbed by the report — no one was willing to give a comment — Congress seized the opportunity. Leader of Opposition Ajay Singh said, "This is a very damning report. The Shivraj Singh Chouhan BJP government now stands fully exposed."

VYAPAM SCAM

It's not usual for CAG to hold a press conference in a state while releasing its report but that's exactly what happened this time.

Accountant general Saurabh Mallick presented the report at a press meet on Friday. "The board (Vyapam) was constituted with confusion over its status, which persists till date. The state government in the notification of 1982 declared that it would not be responsible for any act of Vyapam. However, the status of the board as a government department was accepted thereafter, which was also confirmed by the law department of MP during various inter-departmental deliberations," says the report. The government did not allow access to Vyapam records in 2015 and 2016, saying it was not a government body, notes the CAG.

The posts of chairman, director and controller of the board were filled by the transfer of state government officers and government funds were utilised at the instance of the government, the report says. Despite this, the government did not frame any rules regarding conduct of board, examination, business of board, collection and deposit of fees and financial procedures, it said, adding that the confusion over the status of Vyapam "was allowed to continue".

The CAG has recommended that the state government investigate cases of irregularities in appointment of officers to the board and hike in pay of officers. It also suggests Vyapam be brought to the level of a public service commission/staff selection commission.

Here are the key findings:

Arbitrary appointments: The appointments of director and controller were made by "systemic subversion of rules", resulting in undue favour to certain individuals, it says. Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed to these posts directly on orders of the then minister "in contravention of the rules".

Delayed & faulty constitution of statutory board: The delay in establishment of statutory Board "defeated the purpose of providing greater authority and credibility" to the Professional Examination Board in Madhya Pradesh. The state legislature passed the Vyapam Act in August 2007 but the government established the statutory board under this Act only in March 2016 — after a delay of more than eight years.

Transfer of govt recruitment against constitutional pronouncements: Recruitment examinations for state-level posts were transferred to Vyapam in April 2003 in an "unprecedented manner", the CAG report says. There was no augmentation of manpower/established system to handle the new function.

This hampered conduct of examination by the board. Conduct of recruitment examination — a primary function of the government to ensure free and fair recruitment to its own services, which was till now being conducted by PSC/government departments — was "jettisoned in favour of an institution that was neither statutory nor independent, nor functioned under well laid out regulations", it points out. This went against well established judicial and constitutional pronouncements, it says.

▶Continued on P 2

State govt did not take any remedial measures

▶From P 1

CAG auditors kept out: The state government did not take any remedial measures by framing rules/regulations to prevent irregularities even after Vyapam reported some cases of irregularities in conduct of examination. There was no evidence that the government ensured the integrity of IT-based system used in the exam conducted by the board. Early on, the government decided that the audit would not be entrusted to CAG as it was presumed that the 'AG was very busy'. AG was not consulted in the matter.

Financial accountability ignored: The fund of the board was kept outside government account and it was not subjected to budgetary control of the legislature. The board, however, had no hesitation in transferring Rs 13.75 crore fund to other organisations for activities not connected with Vyapam.

And in a recommendation that is sure to pinch the government, it says: "The government might do well to heed the directions of the Supreme Court regarding the status of Vyapam and take all necessary steps to grant and strengthen that status." The Supreme Court had made it clear that Vyapam has no existence apart from the government, the CAG reported pointed out, taking a dig at the MP government's 'dual stand' on the board. TNN

Times of India Dt. 25/03/2017
BHOPAL

New Political Slugfest Over Vyapam

Cong Gets Ammo Ahead Of Election

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: The scathing CAG report on Vyapam has triggered another round of political slugfest in Madhya Pradesh, which is headed for election in about 18 months.

Leader of opposition Ajay Singh said, "This is a very damning report. The Shivraj Singh Chouhan government now stands fully exposed."

State Congress president Arun Yadav said BJP central leadership has now got a taste of its own medicine. "We remember how after CAG report on coal block allocation, BJP did not let Parliament function and ferociously attacked the UPA government and former Prime Minister Manmohan Singh. It is now to be seen how BJP reacts to the CAG's observations on Vyapam and its manipulations by the Shivraj Singh Chouhan government," Yadav told TOI.

State Congress chief spokesman K K Mishra added, "Congress has been constantly raising the issue of the Rs 9,000 crore Vyapam scam. To protect the politically influential, documents were destroyed and records tampered with. The CAG's observations, proves the Congress party's allegations on Vyapam and its connections with the government. CAG and its report have brought the entire scam in the open."

The CAG's Vyapam report could give the Opposition, mainly Congress, an opportunity to corner the government ahead of the assembly elections.

It was the last day of budget session when the CAG in a press conference, disclosed its observations about government's control over the PEB, role of higher authorities in the Mantralaya and selection procedure of officials appointed in Vyapam.

"I cannot comment on the CAG observations as yet. We have to see what the auditors have stated on what basis. But I must say that the government has done as per the law by providing transparency, excessive funds to run the board and helped in the image making process, which was very important," said Sharad Jain, MoS medical education, who has been parrying questions on medical admissions.

Jain refused to divulge the government stand on CAG's allegations that auditors were denied access to records. Cabinet ministers, officials and spokepersons of the government refused to comment on this burning issue.

"I cannot comment on Vyapam. This is a very serious matter and we have just done with the Budget session proceedings so cannot say anything," said a senior cabinet minister.

But BJP is ready to face the challenges. Party state spokesperson Deepak Vijayavargiya said: "What the government has done in Vyapam or PEB was as per legal procedure. The government is following the rules and there is no discrepancy," said Vijayavargiya.

> This is a very damning report. The Shivraj Singh Chouhan govt now stands fully exposed
>
> **AJAY SINGH** | Leader of Opposition

> BJP central leadership has got a taste of its own medicine. After the CAG report on coal block allocation, BJP did not let Parliament function. Let's see how BJP reacts to CAG's observations on Vyapam
>
> **ARUN YADAV** | PCC president

> What the govt has done in Vyapam was as per legal procedure The govt is following rules, there is no discrepancy
>
> **DEEPAK VIJAYVARGIYA** | BJP national gen secy

> I cannot comment on the CAG observations as yet. We have to see what the auditors have said and on what basis. I must say that the govt has done everything under the law by providing transparency
>
> **SHARAD JAIN** | MoS medical education

Central Chronical Bhopal Dt 25/03/1

PEB scam: CAG report flays MP government

Agencies, Bhopal

The Madhya Pradesh Government initiated no action whatsoever to check irregularities in the Professional Examination Board (PEB) despite the inconsistencies being brought to its notice by PEB officials, notes the Comptroller and Auditor General's report tabled in the Assembly today.

Rules were not drafted to stop malversation in exams, the document said. Referring to the Supreme Court recently annulling admissions of 634 medical students, it stated that candidates' futures were jeopardised. The report of a scrutiny committee constituted to inquire into admission of certain candidates in government medical colleges was not even made available for accounts appraisal.

The CAG report suggested that henceforward separate institutions should be bestowed the responsibility of conducting tests for occupying government posts and seeking admission in professional courses. The tenures of the PEB Chairman and the Secretary must be fixed so that the officers are able to function sans duress.

Madhya Pradesh Assembly

In September 2004, the Economic Offences Wing registered cases against a dozen persons including the then PEB Chairman Arun Gupta, Director Yogesh Uprit, Senior System Analyst Nitin Mohindra and System Analyst Ajay Kumar.

Despite the then state Technical Education Minister ordering suspension of the officials they were allowed to continue in their posts. The Minister's annual administrative reports indicating suspicious activities did not result in remedial action by the regime.

GWALIOR
SUNDAY
TIMES, 26/03/1

TIMES REGIO

Congress seeks CM's resignation after CAG report

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: State Congress president Arun Yadav on Saturday sought the resignation of chief minister **Shivraj Singh Chouhan** a day after the CAG report tabled in the assembly claimed that the government had "denied access of Vyapam records" to the CAG in 2015 and 2016.

"The questions raised by CAG in its report made it clear as to who has been patronising and protecting corruption and big scams in the state," said Yadav. "With the CAG report underlining irregularities in Vyapam, corruption in nutritious meals scheme and MNREGA, chief minister Shivraj Singh Chouhan should resign forthwith," added the state Congress chief. The Congress said the image of Madhya Pradesh has been hit badly because of the Vyapam scam.

"This CAG report has corroborated what the Congress has been highlighting about Vyapam, on the streets and in the state assembly," he argued. State Congress leaders told **TOI** that the party will make the CAG report a major electoral issue in the upcoming bypolls in Ater and Bandhavgarh.

Sources in the party headquarters said a technical team has been given the CAG report to strategize how the Congress can take the observations to the people. "After going through the report there will be media briefings and political rallies to bring the issue to the centre-stage," said state chief Congress spokesman KK Mishra.

HINDUSTAN TIMES
GWALIOR, 26/03/2017

Over 23L 'missing deliveries' in MP from 2011-2016, shows CAG data

Neeraj Santoshi
neeraj.santoshi@hindustantimes.com

BHOPAL: Over 23 lakh "missing deliveries" were reported in Madhya Pradesh between 2011 and 2016, which might have an impact on the skewed sex ratio of 52:48 at birth in the state, as per a report of the comptroller and auditor general (CAG) of India on the general and social sectors. The report was submitted in the state assembly on Friday.

Painting a grim picture of the status of MP's healthcare, the report said that in the period, 93.7 lakh pregnant women were registered for antenatal care (ANC) but there were only 69.8 lakh deliveries. So what happened to the 23.8 lakh missing deliveries?

According to 2011 statistics, the sex ratio in the state was 912 females per 1,000 males against the national ratio of 914.

The skewed ratio was attributed to the declining ratio at birth and poor care for the girl child. Though the National Rural Health Mission (NHRM) seeks to address this challenge by regulating the pre-conception and pre-natal diagnostic techniques misused for sex selection, the data shows that between 2011-12 and 2015-16, 33.36 lakh female child births were reported compared to 35.89 lakh male child births in the same period.

Stressing that continued skewed sex ratio at birth in MP ought to have been reviewed, the report said the case of "missing deliveries" was being addressed by strengthening reporting mechanism from private hospitals and deliveries at home, according to the principal secretary health.

"The reply (of the principal secretary) was not acceptable as there was no improvement in sex ratio from 2012 to 2015-2016. This difference between pregnant women registered for ANC and total delivery cases showed a lack of follow-up and tracking of registered ANCs by ground-level health workers and other monitoring authorities," said the report.

Amulya Nidhi from Jan Swasthya Abhiyan, an NGO working in the health sector, said the report has exposed the claims of the state government with regard to improvement in healthcare.

"What happened to 23 lakh pregnancies? Were they terminated for seeking more male children, as the data shows? Or the authorities just didn't bother to follow up once they registered pregnant women for ANC?" he asked.

Talking about other shortcomings, the report said MP could not attain the goals for the infant and maternal mortality rates and it lagged far behind the achievements of other states. The IMR (infant mortality rate) of the state was 51 per 1,000 live births as against the national average of 40 per 1,000 live births.

MAJOR FINDINGS

- Maternal deaths showed an increase in MP from 2012-13, when it was 571, to 1,580 in 2015-16
- HIV testing of 47.27 lakh and venereal disease research laboratory testing of 60 lakh pregnant women could not be conducted
- Targets for child immunisation against seven vaccine preventable diseases could not be achieved during 2011-16 and the range of shortfall was 16% to 21%
- A dose of Hepatitis B Zero was to be provided up to 48 hours of birth. However, out of 69.2 lakh live births, only 39.30 lakh (57%) infants were provided Hepatitis B Zero due to unavailability of storage facility of vaccine at health centres
- Total fertility rate (TFR) improved since 2012 as it reduced from 2.9 to 2.3 in 2016, but the state could not achieve the target fixed under the National Rural Health Mission (NHRM) framework of implementation (2012-17) to bring down the TFR to 2.1.

नयी दुनिया ग्वालियर, 26/03/17

ट्राइडेंट कंपनी पर सरकार की मेहरबानी

सात माह में तीन करोड़ रु. का पहुंचाया फायदा

कैग की रिपोर्ट : टेक्सटाइल कंपनी को प्रक्रिया से हटकर बिजली शुल्क में दी छूट

भोपाल। नईदुनिया न्यूज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में स्थापित ट्राइडेंट कंपनी के टेक्सटाइल प्लांट पर सरकार के ऊर्जा विभाग ने मेहरबानी दिखाई है। विभाग ने कंपनी को कानूनी प्रक्रिया से हटकर बिजली शुल्क में छूट देते हुए सात महीने में ही 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा पहुंचाया। वहीं, शहडोल-पंडरिया सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर लाभ पहुंचाया गया। ये खुलासे शुक्रवार को विधानसभा में पेश कैग की 2015-16 की रिपोर्ट में हुए हैं। राज्य सरकार ने सड़क निर्माता कंपनी के मामले में सीएजी को जवाब भेजकर गड़बड़ी ना होने की बात कही, लेकिन कैग ने उसे अमान्य कर दिया।

कैग ने मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के ऑडिट के हवाले से कहा है कि मेसर्स ट्राइडेंट लिमिटेड को छूट देने के लिए ऊर्जा विभाग ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। राज्य सरकार ने मार्च 2014 में राजपत्र में अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक नए हाईटेंशन बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में छूट दी जानी थी। लेकिन, ऊर्जा विभाग ने अक्टूबर 2014 को पुरानी उपभोक्ता ट्राइडेंट लिमिटेड को विद्युत शुल्क में छूट देने के निर्देश दिए। जबकि ट्राइडेंट और विद्युत वितरण कंपनी के बीच हाईटेंशन बिजली की आपूर्ति के लिए

राज्य सरकार ने किया था गड़बड़ी से इनकार

मार्च 2008 में एमओयू हुआ यानी ट्राइडेंट कंपनी नया उपभोक्ता नहीं था। फिर भी, बिजली वितरण कंपनी ने अगस्त 2015 से कंपनी को छूट दे दी, फरवरी 2016 तक यह छूट 3 करोड़ 12 लाख रुपए आंकी गई।

ट्राइडेंट ने मप्र में किया है 6500 करोड़ रु. निवेश का करार

ट्राइडेंट कंपनी देश की टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल, चीनी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली प्रमुख कंपनी है। मध्यप्रदेश सरकार के साथ इसने कुल साढ़े छह हजार करोड़ रुपए के निवेश का करार किया था। इसी के तहत इसने बुधनी में टेक्सटाइल का प्लांट लगाया। इसी प्लांट को नियम विरुद्ध छूट देने का खुलासा कैग ने किया है।

पुलिस के लिए लेनी थी बाइक अफसरों ने खरीदीं लग्जरी कारें : (पेज 09 पर)

ठेकेदार कंपनी को भी 7 करोड़ का अनुचित लाभ

कैग के मुताबिक मप्र सड़क विकास निगम लिमिटेड ने शहडोल से पंडरिया स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट में भारी अनियमितता बरती। उसने सड़क निर्माण के दौरान चट्टानों की खुदाई का ज्यादा दरों पर भुगतान कर और मलबे की पूरी वसूली न कर ठेकेदार कंपनी को 7 करोड़ से ज्यादा का अनुचित फायदा पहुंचाया। इधर, कंपनी के सीएमडी दिलीप सूर्यवंशी का कहना है कैग द्वारा ली गई तमाम अपत्तियां सड़क विकास निगम ने दूर कर ली थीं, इसलिए इस पर अब कोई विवाद नहीं है। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद अग्रवाल का पक्ष लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया।

व्यापमं को संवैधानिक मान्यता देने में 8 साल की देरी सबसे बड़ी चूक : कैग

- कैग ने कहा- कानून ने भी व्यापमं को निष्पक्ष नहीं बनाया
- भाजपा ने कैग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाए

व्यापमं घोटाले पर कैग की आई रिपोर्ट में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। कैग ने कहा है कि व्यापमं को संवैधानिक मान्यता देने में आठ साल की देरी करना ही मप्र सरकार की सबसे बड़ी चूक थी। 2007 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम लागू हो जाना था, जो 2016 में लागू हो पाया। भर्ती परीक्षाओं के लिए व्यापमं को संवैधानिक मान्यता देने का कानून भी उसे निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं बना पाया। इधर, रिपोर्ट पेश होने के बाद कैग द्वारा व्यापमं की ऑडिट रिपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि कैग द्वारा प्रेस वार्ता कर सनसनी फैलाना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के खिलाफ है। कैग की आपत्ति अंतिम नहीं होती है। प्रेस विज्ञप्ति में अन्य महत्वपूर्ण विभाग को छोड़कर व्यापमं को मुख्य पेज पर लेना कैग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़े करता है। कैग ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए व्यापमं को निशाना बनाया है।

किसी भी जांच के लिए तैयार : पटेरिया

2002 में तकनीकी शिक्षा मंत्री रहे राजा पटेरिया ने व्यापमं में डायरेक्टर पद पर डॉ. योगेश उपरीत की नियम विरुद्ध नियुक्ति पर कहा कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार है। उपरीत की नियुक्ति के बारे में उन्हें ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जो भी गड़बड़ियां हुईं वह सब भाजपा की सरकार में हुईं। सरकार चाहे तो उच्च स्तरीय जांच करवा ले।

कांग्रेस ने मांगा सीएम का इस्तीफा

कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का कहना है कि वे शिवराज के रहते व्यापमं घोटाला होने पर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चौहान के इस्तीफे की मांग करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा कि विश्व पटल पर व्यापमं, पोषण आहार और मनरेगा में भी अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसी रिपोर्ट पर यूपीए सरकार के कार्यकाल में विपक्ष संसद की कार्यवाही ठप कर देता था, आज क्यों चुप्पी साधे है?

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

पुलिस के पास अब भी नहीं हैं आधुनिक हथियार

पत्रिका न्यूज पंच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

ग्वालियर. उच्च तकनीक एवं आधुनिक शस्त्रों से सज्जित आतंकवादियों एवं अपराधियों की चुनौतियों का सामना करने के लिए पिछले पांच साल में 23.38 करोड़ के शस्त्र खरीदे जाने के बाद भी पुलिस के पास आधुनिक शस्त्रों की कमी बनी हुई है। पुलिस के पास अब भी 53084 पुराने शस्त्र है, जिनमें 44268 उपयोग में हैं। इनका गोला-बारूद बनाना बंद कर दिया गया है। भारत के महानियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।

कैग रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-16 के दौरान शस्त्रों के उन्नयन के लिए पुलिस को 26.76 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमे से मार्च 2016 तक 23.38 करोड़ रुपए ही उपयोग किए गए। राज्य पुलिस ने वर्ष 2011 से 15 के दौरान 3631 रायफल एवं 1150 पिस्टल प्राप्त कीं। विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से पुराने हथियारों को उपयोग से बाहर कर 7.62 एसएलआर, 7.62 एलएमजी, एके-47, 5.56 इंसास रायफल, ग्लॉक पिस्टल तथा 9 एमएम पिस्टल को उपयोग में लाया गया। लेखा परीक्षण में पाया गया कि दिसंबर 2016 में 23955 आधुनिक शस्त्रों की कमी थी। इस प्रकार लगभग 25 प्रतिशत आधुनिक शस्त्रों की कमी रिपोर्ट में सामने आई है।

626 वाहन चालकों की कमी

रिपोर्ट के अनुसार, कई जिलों में उपलब्ध 1302 चार पहिया वाहनों के लिए 626 चालकों की कमी थी। इस प्रकार चालकों के बिना वाहन खरीद लिए गए, इससे इन वाहनों के निष्क्रिय रहने से उनके खराब होने की आशंका भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि विभाग द्वारा 992 चालकों की भर्ती की जा रही है।

महिला पुलिस के लिए तो बुनियादी सुविधाएं ही नहीं

गृह मंत्रालय द्वारा मई 2014 में निर्देश दिए गए थे कि पुलिस थानों व चौकियों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए प्रसाधन की उपयुक्त सुविधा तथा आराम कक्ष के प्रावधान किए जाएं। चयनित जिलों के 365 पुलिस थानों में से 162 थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए पृथक से आराम कक्ष उपलब्ध था, जबकि पृथक प्रसाधन 170 में ही उपलब्ध था। साक्षात्कार में 50 में से 48 महिला पुलिस कर्मियों ने आराम कक्ष व प्रसाधन कक्ष न होने से असुविधा के साथ कार्य पर विपरीत प्रभाव और असुरक्षा की भावना जताई।

पुलिस बल भी खतरे में

कैग द्वारा जिन 13 जिलों के प्रशासनिक भवनों का निरीक्षण किया गया उनमें 35 प्रतिशत भवन जर्जर एवं कंडम पाए गए। साक्षात्कार के दौरान 150 पुलिसकर्मियों में से 122 जर्जर भवनों में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार पुलिस बल की खुद की सुरक्षा खतरे में थी। ग्वालियर के प्रशासकीय भवनों की खराब स्थिति के फोटो भी रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए हैं।

पत्रिका
ग्वालियर
26/03/2017

48 में से 39 एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

राजेन्द्र तलेगांवकर- 94257-77077
xpose.gwalior@epatrika.com

ग्वालियर. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत घर से स्वास्थ्य केन्द्र तक प्रसूता को लाने-ले जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क परिवहन एंबुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। इसमें एंबुलेंस में उन्नत जीवन रक्षक प्रणाली से सुसज्जित वाहन होना चाहिए थे, लेकिन 10 जिलों के 48 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंसों के भौतिक सत्यापन में पता चला कि 39 एंबुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं लगे थे।

विस्तृत पढ़ें... पेज 2

पत्रिका ग्वालियर 27/03/2017

13 हजार को नहीं मिली एंबुलेंस की सुविधा

पेज 1 से जारी

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि 36 एंबुलेंसों में प्राथमिक चिकित्सा किट तक उपलब्ध नहीं थी। पांच साल में 13 जिलों में कुल 8.53 लाख महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई लेकिन घर छोड़ने की सुविधा केवल 4.09 लाख महिलाओं को ही दी जा सकी, जबकि 13 हजार से अधिक महिलाओं को एंबुलेंस न होने पर यह सुविधा नहीं मिल सकी।

दवा के लिए मिले 280 करोड़ खर्च किए 244

कैग की रिपोर्ट के अनुसार शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधि की उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए राज्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना नवंबर 2012 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी रोगियों को सभी शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क औषधियों की गारंटी देना था। इस योजना के तहत वर्ष 2013 से 16 तक एनआरएचएम के अंतर्गत 280.92 करोड़ का आवंटन औषधि खरीदने के लिए किया गया, जबकि केवल 244.28 करोड़ का उपयोग किया गया। जांच में पाया गया कि औषधियां निर्धारित मानदंड के अनुसार उपलब्ध नहीं थी। केन्द्रों पर मानदंड के अनुसार इंजेक्शन एड्रिनेलाइन, एम्पीसिलीन, टेबलेट अमिनोफीलाइन, सिट्राजिन, कैल्शियम इत्यादि आवश्यक औषधियां केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं थी।

नहीं बांटी प्रोत्साहन राशि

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में जन्म देने पर गर्भवती महिलाओं को नकद सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 तथा शहरी क्षेत्रों में एक हजार रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। राज्य में शासकीय संस्थाओं में कुल 55.38 लाख प्रसवों में से केवल 49.72 लाख प्रसव के प्रकरणों में ही इस राशि का भुगतान किया गया। शेष मामलों में प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं हो सका। जांच में पता चला कि निधियों की कमी तथा बैंक खाते न होने से ऐसा हुआ।

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

व्यापमं घोटाला : नियन्त्रक की नियुक्ति से लेकर परीक्षा तक हुआ घोटाला

भोपाल

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कैग ने मध्यप्रदेश सरकार की यह कहकर कड़ी आलोचना की है कि उसने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंण्डल व्यापमं में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों की सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिये जाने के साथ-साथ इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी भी आई।

व्यापमं द्वारा ली गई मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश हेतु तथा विभिन्न सरकारी पदों के लिए की गई भर्ती परीक्षाओं में कथित रूप से व्यापक घोटाला सामने आया था और इसमें मंत्री, अधिकारी एवं एमबीबीएस के छात्रों सहित कई लोगों को गिरफ्तार

किया गया था। व्यापमं के इस बहुचर्चित घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और इस घोटाले के दर्जनों आरोपियों की रहस्यमय मौत हो चुकी है।

सौरभ के. मलिक, महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र का कैग का प्रतिवेदन विधानसभा में पेश करने के बाद बताया, राज्य सरकार द्वारा व्यापमं में संचालक एवं नियंत्रक की नियुक्ति नियमों के सुनियोजित तरीके से अनदेखी करते हुए की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ दिया गया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने डॉ. योगेश उपरीत को संचालक के पद पर 14 फरवरी 2003 को तथा डॉ. पंकज त्रिवेदी को नियंत्रक के पद पर तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्त किया गया था।

ग्वालियर

27/03/2017

अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना में भी घोटाला : कैग रिपोर्ट

भोपाल

अब आप इसे सबसे शर्मनाक घोटाला कह सकते हैं। गरीब लोगों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से मुहैया कराई जाने वाली नाममात्र की राशि में भी नौकरशाही ने घोटाला कर डाला। इस योजना के तहत 3 से 25 हजार तक सहायता दी जाती है। अधिकारियों ने फर्जी मौतों के आंकड़े दिखाकर 26 लाख रुपए निकाल लिए। योजना के तहत मजदूर की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए तीन हजार व अनुग्रह सहायता राशि (45 वर्ष की आयु तक 75 व उसके बाद 60 वर्ष की आयु वालों तक को 25 हजार) दी जाती है, लेकिन इसमें भी मौत का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पैसा निकालने व दस्तावेजों में हेरफेर करने के मामले सामने आए हैं।

यहाँ हुआ ये भ्रष्टाचार

नगर पालिका परिषद सारणी बैतूल के श्रम कार्यालय, बुरहानपुर तथा नगर पालिक निगम उज्जैन के 16 दावा प्रकरणों की राशि में 5 लाख 86 हजार रुपए मृत्यु के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर निकाले गए।

नगर पालिक निगम उज्जैन में पांच प्रकरणों में दावा प्रकरणों में सांठगांठ कर 3 लाख 90 हजार रुपए का दोहरा भुगतान किया गया।

योजना के तहत 4 लाख 49 हजार रुपए उन लोगों को बांट दिए गए जो इसके पात्र ही नहीं थे। यह कार्य नगर पालिक निगम उज्जैन और जनपद पंचायत बुरहानपुर में दस मामलों में होना सामने आया।

नगर पालिक निगम देवास, जनपद पंचायत सोनकच्छ तथा नगर पालिक निगम ग्वालियर में ऐसे छह मामले कैग ने पकड़े जहां जानकारी छिपाते हुए 25 की जगह 75 हजार का भुगतान किया गया।

नई दुनिया, ग्वालियर 27/03/2017

108 एंबुलेंस संचालित करने वाली कंपनी को पहुंचाया 5 करोड़ का फायदा

कैग की रिपोर्ट में कहा है कि 108 एंबुलेंस चलाने वाली जीवीके ईएमआरआई कंपनी को अधिकारियों ने 5 करोड़ से ज्यादा का फायदा पहुंचाया है। 2012 में संशोधित एमओयू में एंबुलेंस चलाने में हर महीने होने वाला अधिकतम खर्च तय किया गया। इसके बाद भी कंपनी को परिचालन व्यय के रूप में 5 करोड़ रुपए का ज्यादा भुगतान कर दिया गया। 2007 में हुए एमओयू में एंबुलेंस चलाने में प्रतिमाह होने वाले खर्च तय नहीं किए। इस कारण 2009-10 में 1.30 लाख और 2010-11 में 1.23 लाख प्रति माह परिचालन में खर्च कर दिए गए। सरकार की नींद टूटी तो 2012 में 98 हजार प्रति महीने का अधिकतम खर्च तय किया। इसके बावजूद 2014-15 में 4 करोड़ 34 लाख का ज्यादा भुगतान कर दिया गया। 2012-13 के तीन महीनों में भी 66 लाख रुपए ज्यादा दिए गए।

एक्सप्रेस न्यूज ग्वालियर 27/03/2017

कैग रिपोर्ट को लेकर पचौरी ने किया राज्य सरकार पर हमला

व्यापम पर कैग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी का कहना है कि इस रिपोर्ट ने सरकार के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। कैग पर भाजपा द्वारा सवाल उठाने पर बोले पचौरी की कैग एक संवैधानिक संस्था है। यूपीए शासन में इसी कैग रिपोर्ट पर भाजपा ने सरकार को घेरा था। अब सरकार की बारी है। गौरतलब है की कैग की रिपोर्ट के मुताबिक व्यापम की ओर से आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर कमी आई है और व्यापम में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी। वही रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य शासन ने डॉ. योगेश उपरीत और पंकज त्रिवेदी को तत्कालीन मंत्री के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे नियुक्तकिया था। शासन ने व्यापम की ऑडिट कैग को से मानते हुए नहीं सौंपी की ऑडिटर जनरल व्यस्त थे जबकि शासन ने ऑडिटर जनरल से परामर्श नहीं किया। कैग के अनुसार उन्हे सरकार ने 2015 और 2016 के व्यापम रिकार्ड की जांच नहीं करने दी। सरकार की ओर से कहा गया कि व्यापम सरकारी संस्था नहीं है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्यापम के बोर्ड में अध्यक्ष, निदेशक और नियंत्रक के पदो को राज्य सरकार के अधिकारियो के स्तांतरण से भर दिया गया था और सरकारी फंड का इस्तेमाल सरकार के कहने पर ही किया गया था।

दैनिक भास्कर, ग्वालियर 27/03/2017

कैग की रिपोर्ट पर आपत्ति सही नहीं : सुरेश पचौरी

भास्कर न्यूज | भोपाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भाजपा द्वारा कैग की रिपोर्ट पर सवालिया निशान लगाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि चूंकि कैग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसकी जो आपत्तियां हैं, उनका लोक लेखा समिति (पीएसी) में निराकरण किया जाए। पचौरी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट में व्यापमं व पोषण आहार घोटाले की पुष्टि हुई है, जो गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिस संस्था को नियुक्ति के अधिकार नहीं है वह कैसे नियुक्ति कर रही थी। व्यापमं की आयोजित परीक्षाओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। पचौरी ने कहा कि जब केंद्र में यूपीए सरकार थी उस दौरान कैग रिपोर्ट पर भाजपा ने सरकार को घेरा था। अब इसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई से भाजपा सरकार क्यों हिचकिचा रही है।

स्वदेश ग्वालियर, 27/03/2017

कैग की रिपोर्ट

अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान में भी घोटाला

खुलासा

मौत के फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर निकाला पैसा

भोपाल

घोटालों में अब तक का सबसे शर्मनाक घोटाला। गरीब लोगों की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से मुहैया कराई जाने वाली नाममात्र की राशि में भी नौकरशाही ने घोटाला कर डाला। इस योजना के तहत 3 से 25 हजार तक सहायता दी जाती है। अधिकारियों ने फर्जी मौतों के आंकड़े दिखाकर 26 लाख रुपए निकाल लिए। योजना के तहत मजदूर की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि के लिए तीन हजार व अनुग्रह सहायता राशि (45 वर्ष की आयु तक 75 व उसके बाद 60 वर्ष की आयु वालों तक को 25 हजार) दी जाती है, लेकिन इसमें भी मौत का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पैसा निकालने व दस्तावेजों में हेरफेर करने के मामले सामने आए हैं।

26 फीसदी पुलिस कर्मी संतुष्ट नहीं

कैग ने अपने फीडबैक में पाया कि पुलिस महकमे में व्यवस्था को लेकर 26 प्रतिशत पुलिसकर्मी ही संतुष्ट हैं। पीटीएस इंदौर को भले ही पिछले दिनों देश के सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग सेंटर का अवॉर्ड मिला हो पर रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2011 से 16 के बीच छह पुलिस प्रशिक्षण स्कूलों तथा दो अकादमियों में 17 हजार 785 को सिर्फ आधारभूत पाठयक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें भी उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 2011-12 में जहां 85 फीसदी था, वहीं 2016 में 69 रह गया।

महिला पुलिसकर्मी सुरक्षित महसूस नहीं करतीं

पुलिस की जांच की गति को भी कैग ने धीमा बताते हुए लंबित जांच के मामले पांच साल में 85 प्रतिशत बढ़ना बताया है। पुलिस के पास पहले से ही 23 हजार 380 ऐसे मामले हैं, जिनमें जांच लंबित है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे के विपरित महिला पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं। यह बात महिला पुलिसकर्मियों ने कैग की टीम को बताई, जिसकी वजह थी थानों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय न होना। इस वजह से 48 महिला पुलिसकर्मियों ने असुरक्षित महसूस होने की बात कैग ने उन्हें बताई।

CAG finds systemic subversion of rules in Vyapam appointments

The report highlights confusion over the status of Vyapam; whether it is a government department or not since 1982 when it was constituted.

Written by **Milind Ghatwai** | Bhopal | Published:March 26, 2017 4:18 am

Tata AIG Car Insurance
Gold Protection Cover @ Rs 601. Direct Settlement + Cashless Claim At Garages* Go to tataaigmotorinsurance.in/Car-Insurance

Vyapam scam: The board was constituted to conduct entrance examination but started conducting recruitment tests as well. (Source: PTI Photo/File)

The appointments of Vyapam (Hindi acronym for Madhya Pradesh Professional Examination Board) director and controllers were made by systemic subversion of

Vyapam scam: The board was constituted to conduct entrance examination but started conducting recruitment tests as well. (Source: PTI Photo/File)

Examination Board) director and controllers were made by systemic subversion of rules, a comptroller and auditor general (CAG) report has said. The report noted that this resulted into undue favours to some officers. It added that the funds of the board, which has been news over an admission and recruitment scam, were kept outside government account. The report said that the board was not subjected to budgetary control of the state legislature, which led to dilution in its accountability.

"The receipts and expenditure of the board were not included in the government accounts and the transactions were outside the consolidated fund of the state. Thus unlike a government department, finances of the board were not subjected to budgetary control of the state legislature," said the report. "The board was allowed to keep its receipts and expenditure outside the state government accounts."

The CAG has blamed lack of oversight and periodic independent evaluation of the board for "a situation where in the general principles of equity and probity in public affairs were overlooked". It has noted that the state government did not take remedial actions on red flags that the Economic Offences Wing (EOW) had raised. The report sheds light on how the scam – it avoid the word and uses irregularities – unfolded. It accuses the government of not providing information and allowing the board to function in a "nebulous atmosphere". The report has highlighted how some individuals were appointed to top positions even though they lacked qualifications and despite EOW's probe pending against some. The CAG has provided fresh fodder to the opposition as the scam seems to lost a bit of steam after the investigation into it was handed over to the CBI. It names one Congress minister for ordering an irregular appointment.

The report highlights confusion over the status of Vyapam; whether it is a government department or not since 1982 when it was constituted. The report said that the government ostensibly distanced itself from the activities of the board while still maintaining administrative control over the apex management. "This shadowy control without accompanying measures for verification and assessment of Vyapam's functions was a case of exercise of power without assumption of responsibility. This eventually led to a situation where there was severe erosion in credibility of entrance examination conducted by the board."

The board was constituted to conduct entrance examination but started conducting

conducted examination for the posts of police and law department in which 12.01 lakh job aspirants appeared between 2005-2015. "The reasons due to which recruitment examination for police was transferred to the board and under whose authority could not be ascertained because all relevant records were not made available to us."

The CAG found it difficult to get information. When asked about the procedure adopted for appointment of chairman, only a list of chairmen from September 2007 to March 2016 was furnished without any details. The report said that the state government had constituted a committee to probe illegal admissions to medical colleges in 2009. But the agency was given the probe report.

For all the latest India News, download Indian Express App now

THE NEW INDIAN EXPRESS

CAG report raps Madhya Pradesh government for shadowy control over scam-tainted Vyapam

By Express News Service | Published: 24th March 2017 11:26 PM |

Last Updated: 24th March 2017 11:26 PM | **A+ A A-** |

BHOPAL: The Comptroller and Auditor General (CAG) has slammed Madhya Pradesh government for having shadowy control over the multi-crore scam tainted VYAPAM, eventually leading to severe erosion in credibility of the examinations conducted by the Board.

In its latest report tabled before the state assembly on Friday, the audit watchdog has also observed that "the government didn't allow access to VYAPAM records in 2015 and 2016 to us, stating that it was not a government body."

Detailing about the report on Friday, the Accountant General (General and Social Sector) in MP, Saurabh Mallick said VYAPAM (Vyavsayik Pariskha Mandal) or the MP Professional Examination Board (MPPEB) was constituted in 1982 with confusion over its status.

State government declared that it would not be responsible for any act of commission or omission by VYAPAM. But later, the status of the board as a government department was accepted in various forums and through judicial pronouncements. "This shadowy control eventually led to a situation where there was severe erosion in credibility of examinations conducted by the Board," the report stated.

The report added that posts of chairman, director and controller in the Board were filled by transfer of state government officers. Despite this, government didn't frame any rules/regulations regarding conduct of business of the board, conduct of examination, collection and deposit of fees, financial procedures to be followed, systems to be put in place for conduct of exams and auxiliary activities in a free and fair

manner, ensuring transparency and accountability and prevention of malpractices.

The report observed that appointments of directors and controllers in the Board were made by systematic subversion of rules resulting in undue favour being certain individuals. Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed director and controller respectively directly on orders of the then minister in contraventions of the rules.

Importantly, Trivedi is among those Board officials who were arrested in 2013 in connection with the multi-crore VYAPAM scam presently being probed by the CBI.

The CAG report went on to mention that delay in establishment of statutory board defeated the purpose to provide greater authority and more credibility to the examination board.

It also stated that the state government didn't take any remedial measures by framing rules/regulations to prevent the irregularities even after VYAPAM reported some cases of irregularities in conduct of examination and despite the objection of an incumbent minister of the government.

Also, there is no evidence that the state government ensured integrity of the IT based system used in the examination conducted by the board.

The fund of the board was kept outside government account and it was not subjected to budgetary control of state legislature. The board, however, had no hesitation in transferring Rs 13.75 crores of board's fund to other organisations for activities not connected with VYAPAM.

Further, the CAG report stated that recruitment examinations for state level posts were transferred to the Board in April 2003 in an unprecedented manner. There was no augmentation of manpower/established system to handle the new function.

Conduct of recruitment examination, a primary function of the government to ensure free and fair recruitment to its own services, which was till now being conducted by the Public Service Commission/Government Departments, was jettisoned in favour of an institution which was neither statutory nor independent, nor functioned under well laid out regulations and went against well established judicial and constitutional pronouncements, concluded the report.

NEWS18 » INDIA

1-MIN READ

CAG Flags Vyapam Appointments in MP, States 'Shadowy Control'

PTI
Updated: March 24, 2017, 9:58 PM IST

Bhopal: The Comptroller and Auditor General (CAG) has rapped the Madhya Pradesh government for "systematic subversion of rules" in appointment of director and controller of the scam-tainted Professional Examination Board (also known by its Hindi name,`Vyapam). Governments "shadowy" control led to erosion of the Boards credibility, CAG said. The CBI is currently probing the `Vyapam scam,

a massive admission and recruitment racket which came to light a few years ago and rocked the states politics.

"The appointments of director and controller were made through systemic subversion of rules, resulting in undue favours to certain individual," CAGs report for 2016, tabled in the state Assembly on Friday, said.

"Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi (both accused in the scam, now removed from their posts) were appointed director and controller, respectively, on orders of the then minister (Laxmikant Sharma, also an accused) in contravention of rules," CAG said.

Accountant General Sourabh K Mallick said that as per the report, the state government "ostensibly" distanced itself from Board, but still maintained "administrative control". This "shadowy control" led to a situation where there was "severe erosion in credibility of examination conducted by the Board", CAG report said.

The Board was set up in 1982 for entrance tests for medical, engineering, agriculture colleges, and polytechnics. Mallick, who handed over copies of the report to media, claimed that state government did not make available Vyapams records of 2015 and 2016 to the CAG, saying the Board was not a government body.

The CAG also faulted the government for giving the Board the responsibility of recruitment for government jobs. "A primary function of the government to ensure free and fair recruitments to its own services...was jettisoned in favour of an institution (Vyapam), which was neither statutory, nor independent," it said.

CAG flags appointments in Vyapam, states "shadowy control"

PTI
March 24, 2017 | UPDATED 20:15 IST

Bhopal, Mar 24 (PTI) The Comptroller and Auditor General (CAG) has rapped the Madhya Pradesh government for "systematic subversion of rules" in appointment of director and controller of the scam-tainted Professional Examination Board (also known by its Hindi name,`Vyapam). Governments "shadowy" control led to erosion of the Boards credibility, CAG said. The CBI is currently probing the `Vyapam scam, a massive admission and recruitment racket which came to light a few years ago and rocked the states politics. "The appointments of director and controller were made through systemic subversion of rules, resulting in undue favours to certain individual," CAGs report for 2016, tabled in the state Assembly today, said. "Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi (both accused in the scam, now removed from their posts) were appointed director and controller, respectively, on orders of the then minister (Laxmikant Sharma, also an accused) in contravention of rules," CAG said. Accountant General Sourabh K Mallick said that as per the report, the state government "ostensibly" distanced itself from Board, but still maintained "administrative control". This "shadowy control" led to a situation where there was "severe erosion in credibility of examination conducted by the Board", CAG report said. The Board was set up in 1982 for entrance tests for medical, engineering, agriculture colleges, and polytechnics. Mallick, who handed over copies of the report to media, claimed that state government did not make available Vyapams records of 2015 and 2016 to the CAG, saying the Board was not a government body. The CAG also faulted the government for giving the Board the responsibility of recruitment for government jobs. "A primary function of the government to ensure free and fair recruitments to its own services...was jettisoned in favour of an institution (Vyapam), which was neither statutory, nor independent," it said. PTI ADU MAS KRK BAS

ICICI™ Health Insurance
Tax Deductions upto ₹55,000 u/s 80D & Coverage upto 10 Lacs. Buy Now!

CAG report on lapses of MP government

Author: L.S. Herdenia

G+1 0

On the last day of the budget session of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha on March 24, Comptroller and Auditor General of India demolished the claim of the BJP ruled state government that Madhya Pradesh has ceased to be a "Bimaru Rajya".

The report which was tabled in the house pulled up the state government on two major counts. The two issues relate to health care, particular, in rural areas and various factors pertaining to Vyapam Scam.

In a major embarrassment to the Madhya Pradesh government, CAG has punched holes in the implementation of National Rural Health Mission (NRHM).

A newspaper reporting CAG's comment about health care said that it has caused a major embarrassment to the state government. Normally CAG reports are only tabled in the Vidhan Sabha but this time CAG report was released at a press conference.

The report found state government's claim about health care in rural areas hollow and baseless. The central audit revealed financial irregularities and misappropriation of central funds for the project. The Centre gave Rs 5,269.70 crore to the state in the last fiscal year to revamp rural healthcare but the state failed on a host of key parameters.

Infant mortality rate (IMR) in the state was 51 per 1,000 live births and maternal mortality rate (MMR) stood at a shocking 221 per 1,00,000, way higher than the national average (40 and 167). The report said shortfall in providing maternal, child and reproductive healthcare services resulted in the failure in achieving targets.

Out of 93.72 lakh pregnant women registered for ante-natal care during 2011-16, only 52.51 lakh (56 per cent) were registered within first trimester of pregnancies and 19.44 lakh (21 per cent) pregnant women did not undergo three check-ups. As a result, well-being and the progress of foetal growth could not be ascertained in such cases.

The State did not achieve the targeted total fertility rate (TFR) due to under-performance in family planning programme, says CAG. Against 3.03 lakh male sterilisations planned during 2011-16, only 0.83 lakh (27 per cent) were performed. Female sterilization was a shade better at 43 per cent and 22 per cent of target (minilap and post-partum). There was a 42 per cent shortfall in distribution of contraceptive pills and 49 per cent in condoms.

The CAG has severely criticized the Shivraj Singh Chouhan government on a string of "irregularities" concerning Vyapam — from the government's alleged "dual stand" and how central auditors were stopped from accessing its records to "arbitrary appointments" and alleged lack of financial accountability.

The report has ignited a political storm in Madhya Pradesh where the Vyapam scam is still a raw wound for the government and a soft target for the opposition.

"While the MP government disowned and distanced itself from Vyapam, on the other hand it was in full control of the examination board for all practical purposes... The shadowy control (on Vyapam) has led to a situation where there was severe erosion in the credibility of exams conducted by board," CAG observed in its latest report for 2015-16 tabled on March 24. In a scathing remark, the report points out that the state government "did not take any remedial measures" by framing rules/regulations to prevent irregularities even after the Vyapam scam.

While the government seemed numbed by the report — no one was willing to give a comment — Congress seized the opportunity. Leader of Opposition Ajay Singh said, "This is a very damning report. The Shivraj Singh Chouhan BJP government now stands fully exposed."

The CAG has recommended that the state government investigate cases of irregularities in appointment of officers to the board and hike in pay of officers. It also suggests Vyapam be brought to the level of a public service commission/staff selection commission.

The appointments of director and controller were made by "systemic subversion of rules", resulting in undue favour to certain individuals, it says. Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed to these posts directly on orders of the then minister "in contravention of the rules".

The delay in establishment of statutory Board "defeated the purpose of providing greater authority and credibility" to the Professional Examination Board in Madhya Pradesh. The state legislature passed the Vyapam Act in August 2007 but the government established the statutory board under this Act only in March 2016 — after a delay of more than eight years.

Recruitment examinations for state-level posts were transferred to Vyapam in April 2003 in an "unprecedented manner", the CAG report says. There was no augmentation of manpower/established system to handle the new function. This hampered conduct of examination by the board. Conduct of recruitment examination — a primary function of the government to ensure free and fair recruitment to its own services, which was till now being conducted by PSC/government departments — was "jettisoned in favour of an institution that was neither statutory nor independent, nor functioned under well laid out regulations", it points out. This went against well established judicial and constitutional pronouncements, it says.

The state government did not take any remedial measures by framing rules/regulations to prevent irregularities even after Vyapam reported some cases of irregularities in conduct of examination. There was no evidence that the government ensured the integrity of IT-based system used in the examination conducted by the board. Early on, the government decided that the audit would not be entrusted to CAG as it was presumed that the 'AG was very busy'. AG was not consulted in the matter. The fund of the board was kept outside government account and it was not subjected to budgetary control of the legislature. The board, however, had no hesitation in transferring Rs 13.75 crore fund to other organisations for activities not connected with Vyapam. (IPA)

Sunday, 26 March, 2017

hindustantimes (http://www.hindustantimes.com/)

e-paper (http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx) India
Follow us: (https://twitter.com/htTweets) (https://www.facebook.com/hindustantimes) (https://plus.google.com/+hindustantimes/posts)
(https://www.instagram.com/hindustan_times)

Institute of Management Technology Nagpur
Admissions Open
PGDM 2017-19
Apply Now

CAG pulls up govt over Vyapam ommissions and commissions

BHOPAL (HTTP://WWW.HINDUSTANTIMES.COM/BHOPAL/) Updated: Mar 25, 2017 15:19 IST

Punya Priya Mitra, editorbhopal@hindustantimes.com

MPPEB building in Bhopal (Mujeeb Faruqui/HT file photo)

In cathing indictment, the CAG audit report on Madhya Pradesh Professional Examination Board (MPPEB or Vyapam as it is commonly known) has alleged that the appointments to the post of director and controller of the board were made by systemic subversion of rules resulting into undue favours to the officers.

Giving specific instances, the report, which was tabled in the Assembly on Friday, pointed out that Dr Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed director and controller of examinations respectively, directly on orders of the then minister flouting all rules. Dr Trivedi was subsequently posted as director alongwith his post as controller. Similarly, Ajay Sen, senior system analyst and Nitin Mohindra, system analyst were given undue favour by upgrading their pay scales without approval of the board or government.

"These officers were later suspected to be involved in the alleged irregularities in examinations conducted by the board," the report said.

The Report has recommended that the irregularities may be investigated and responsibility may be fixed.

The CAG report is bound to add to the discomfiture of the state government which has faced severe criticism over the multi-layered Vyapam scam, which has seen several Vyapam officials and even a former BJP minister being sent to prison on charges of corruption.

The CAG report pointed out that there was confusion over the status of Vyapam, whether it was a government department or not. Though the state government declared that it would not be responsible for any act of commission or omission by Vyapam, the government made all the crucial appointments and thus had control over the top management of the board. Moreover the government accepted that the board was a government department in inter-departmental deliberations, and this status was also confirmed by its own law department. Despite this, the government did not frame any rules for the department to ensure transparency and prevention of malpractices. The CAG notes, "The shadowy control of the board was a clear case of exercise of power without assumption of responsibility."

The report also criticized the way recruitment examination for State level posts were transferred to the board in April 2003, without corresponding increase in its manpower and this affected the conduct of examination by the board. The report recommended that the recruitment to government posts and examination for admission to professional courses should be entrusted to separate institutions.

In a scathing indictment, the report notes, "Thus, a primary function of the government to ensure free and fair recruitment to its own services, which was till now being conducted by the PSC\government departments, was jettisoned in favour of an institution which was neither statutory nor independent, nor functioned under well laid regulations."

The report said that the government did not take any remedial measures by framing rules to prevent irregularities even after the board reported some cases of irregularities in conduct of exams. Also both the board and state government misutilised board funds to the tune of Rs 13.75 crores and its funds were kept outside government account and it was not subjected to budgetary control of the state legislature.

IN BOX

Vyapam was set up in 1982 for conducting entrance tests for admissions in the medical engineering, agriculture and polytechnic colleges of the state. In April 2003, the board was entrusted the responsibilities to conduct recruitment to those State level posts which wwere not filled by the Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC). The scam surfaced in 2012 and its investigation is with the CBI at present.

the pioneer

STATE EDITIONS

VYAPAM: CAG CRITICISES STATE GOVT

Saturday, 25 March 2017 | Staff Reporter | Bhopal | in Bhopal

Share 37 Tweet

Criticising the State Government for its dual stand on Vyapam, the Comptroller and Auditor General (CAG) on Friday said auditors were stopped from accessing records on grounds that it was not a Government body.

"While the MP Government disowned and distanced itself from Vyapam, it was in full control of the examination board for all practical purposes," the audit watchdog observed.

"The shadowy control on Vyapam has led to a situation where there was severe erosion in the credibility of exams conducted by board," stated CAG report tabled on Friday.

It was pointed out that the board was constituted with confusion over its status which persists till date. The State Government in the notification of 1982 declared that it would not be responsible for any act of Vyapam. However, the status of Board as a Government Department was accepted thereafter, which was also confirmed by the Law Department of MP during various inter-departmental deliberations.

The appointments of director and controller in the Board were made by systemic subversion of rules resulting in undue favour being shown to certain individuals. Yogesh Uprit and Dr Pankaj Trivedi were appointed Director and Controller respectively directly on orders of the then Minister in contraventions of the rules.

The Government did not allow us access of Vapam records in 2015 and 2016, stating that it was not a Government body, added CAG.

The posts of chairman, director and controller in the board were filled by the transfer of State Government officers and funds of the Government were utilised at the instance of the Government.

0

News from idealmedia.com

POST YOUR COMMENTS

Give your rating:

Leave a comment Latest

ME Post your opinion...

Name Email Post

Talk of the town

The Hindu renaissance

Negotiating Ayodhya: A road to nowhere

NSCN(IM) talks: Muivah's claim triggers protests in Assam

It is time for the Congress to get back to basics

NTPC to open JAKs at 10 plants

They offered struggling Kejriwal accommodations, AAP pays back with tickets

More News

E-PAPER

Hindi Edition
Delhi
Lucknow
Raipur

English Edition
Delhi
Lucknow
Dehradun
Chandigarh
Ranchi
Raipur
Bhopal
Bhubaneswar

China-Yunnan

MORE NEWS

Adiyanath asks party workers not to opt contractual work
27 Mar 2017 | PNS | in Lucknow

CM holds janta darbar program inside Gorakhpur temple premises
27 Mar 2017 | PNS | in Lucknow

Dara Singh Chauhan seeks report from officials on lion safari project
27 Mar 2017 | PNS | in Lucknow

Nationwide outcry against CM over slaughter house crackdown
27 Mar 2017 | pns | in Lucknow

Naveen has a busy day, disproves he is unwell
27 Mar 2017 | PNS | in Bhubaneswar

D'nal Station Master hit by train, dies
27 Mar 2017 | pns | in Bhubaneswar

Rudy hails BJP show in rural polls
27 Mar 2017 | PNS | in Bhubaneswar

Weeklyroundups
27 Mar 2017 | Baidyanath Mishra | in Bhubaneswar

CM lays stone for slew of OUAT projects
27 Mar 2017 | PNS | in Bhubaneswar

Bharat Ratna for KC Gajapati demanded
27 Mar 2017 | PNS | in Bhubaneswar

THE FREE PRESS JOURNAL SINCE 1928

Bhopal: It was wrong to hand over recruitment to Vyapam says CAG

— By Nitendra Sharma | Mar 25, 2017 08:11 am

FOLLOW US:

BHOPAL: The Comptroller and Auditor General of India (CAG) has described as 'unconstitutional', the state government's decision to handover the work of conducting tests for recruitment to jobs in the state government and in the government-controlled public sector undertakings to Vyapam.

The CAG, in its report for the year ending March 31, 2016, said that Vyapam had not been constituted as per the procedure laid by the Constitution and was not an independent body. Also, the government did not make any rules to ensure that the institution can work independently. "Against this backdrop, it was wrong to handover recruitments to Vyapam", it said. Addressing a press conference after tabling of the report in the Vidhan Sabha here on Friday, Auditors General Saurabh Mallick and Deepak Kumar, listed the massive irregularities committed in Vyapam.

Govt did not want audit of Vyapam

The report says that the government was not interested in getting the accounts of Vyapam audited. It had claimed that the AG was "very busy" whereas in reality no request had been made to audit Vyapam accounts.

THE FINANCIAL EXPRESS

Autodesk on YouTube
How Fusion 360 Software Helps

Max Life Insurance
Do you think Term Insurance is a waste of

Sonata SF
3300 km. 100 days. 2 athletes. 1 mission -

The Greatest Adventure You'll Ever Have!

Recommended by

MP CM Shivraj Singh Chouhan should resign on moral grounds over Vyapam scam: Congress leader Ajay Singh

By: PTI | Bhopal | Published: March 25, 2017 8:19 PM

The Leader of Opposition also said that he will also write a letter to Prime Minister Narendra Modi on the issue. He alleged that all big leaders of the BJP were involved in the Vyapam scam.

Leader of Opposition in Madhya Pradesh Assembly Ajay Singh today demanded that chief minister Shivraj Singh Chouhan should resign on "moral" ground over the

THE FINANCIAL EXPRESS

Madhya Pradesh government for "systematic subversion of rules" in appointment of director and controller of the scam-tainted Professional Examination Board (also known by its Hindi name, `Vyapam'). Government's "shadowy" control led to erosion of the Board's credibility, the CAG said in its report. "After the CAG rapped the government for Vyapam, a massive admission and recruitment racket, and other lapses including supplementary nutrition programme, we will not settle for anything else except Chouhan's resignation. "Now it has been established that these scams took place during his 13-year rule in the state," Singh said in a statement today.

The Leader of Opposition also said that he will also write a letter to Prime Minister Narendra Modi on the issue. He alleged that all big leaders of the BJP were involved in the Vyapam scam. Singh alleged that 53 persons died, 55 FIRs were registered in connection with the scam. Nearly 2,500 persons were facing investigation by various agencies including the CBI and after that now CAG has highlighted irregularities in it. "In view of this Chouhan should step down without waiting for the outcome of these investigations," he demanded.

Singh said, "It is Chouhan's moral responsibility as all these wrongdoings took place when he is the Chief Minister of the state and therefore should resign."

Also Watch:

Delhi: Massive Fire In A Plastic Factory In Narela, One Dead

M... y, March 27, 2017

ABOUT US | CONTACT US | ADVERTISE WITH US FOLLOW US ON

KASHMIR TIMES .com
Online Edition

7 PAISE BLACK 18 PAISE COLOUR Epson InkTank Printers THE ONLY WAY TO PRINT. EPSO EXCEED YOUR VIS

Home J&K | Jammu | Kashmir | Editorial | Opinion | Letters | Columnist | India | World | Sports | Business | Technology | Auto | ePap

BREAKING NEWS: GST Benefit

Editorial

Fresh strictures on 'Vyapam'

The fresh strictures against the MP government speak of its deep involvement in the entire sandal which needs to be probed in a fair manner

Fresh strictures passed by the Comptroller and Auditor General (CAG) against the Madhya Pradesh government speak of the deep involvement of the politicians in the Vyapam scandal that rocked the state last year. The opposition demand seeking resignation of the chief minister Shivraj Singh Chauhan does not appear to be unjustified on moral grounds for his and his ministerial colleagues involvement in the scandal that has disrupted the selections of candidates for admission in professional courses in the state. The CAG report also ratifies the reports in which scandal has been unearthed on the directions of the Supreme Court last year. As such, nobody in the government in MP has been able to come out clean on this issue so far as selection of the students for admission colleges is concerned. Claiming to be working as clean administrators, most of the functionaries in the state government have come under scanner for various reasons for their involvement in the scandal. In fact, under the Shivraj Singh Chauhan regime, the Vyapam board has become scam tainted and its credibility has been questioned not only in the state but also at the national level. Most the candidates selected by the local board in MP have not found any opportunity for selections in other professional colleges in the country. This process and the aftermath speak of the loss of credibility of the local board at the national level. The CAG has also very rightly pointed out that the MP government's shadowy control of the board has unfortunately led to erosion of the board's credibility apart from loss of precious one-year of academic activity of the students, who have been left high and dry for no fault of theirs. It is also a sad state of affairs that 13-year rule of the BJP government and its credibility have come under scanner and questioned by the opposition political parties because the rulers have been maintaining that the CM has been a different person. Moreover, it has been pointed out time and again that 53 persons died, 55 FIRs were registered in connection with the scam. Nearly 2,500 persons were facing investigation by various agencies including the CBI and after that now CAG has highlighted irregularities in it.

ActIT Jammu, ASP.net Projects, Java, Vb.net, C# Training Jammu

At this juncture in this case, the state government already having agreed for a CBI probe after delaying the fair and free probe into the scandal, it appears that the former has faultered not on one but many occasions in the past despite allegations that it was trying to shield some of the high profile persons. It is also worth mentioning that the governor's son Shailash Yadav was appointed as one of the advocates for pursuing the case in the court and before the SIT and STF till March two years back when he was found dead at his residence in Lucknow. This raised many eye-brows, but the state government maintained a studied silence on the entire issue even in the cases of deaths of the persons related to the scam. The counsel Shailash Yadav was also accused of mis-appropriating the question papers for favouring few persons for admission to professional colleges during the past few years. But the state government did not do anything that could satisfy the aspirations of the candidates, who felt left out and the opposition political parties. At one point, the state government went to the extent justifying its action in this scandal will more and more deaths started occurring in different parts of the country and pressure started building on it. In this particular case, the judicial activism has come into play after all the two pillars of democracy namely executive and legislature of the state failed to provide any satisfactory answer to the queries of the victims and sufferers of the bungling committed in the examination system. The local High Court also agreed to the CBI probe after it sensed the public mood which was going against state government and the entire set of politicians ruling the roost in corridors of power in MP. Now the ball is into the SC's court to monitor and oversee the investigations of the CBI which has failed to complete the investigation process till date.

News Updated at : Sunday, March 26, 2017

COMMENT ON THIS STORY

Find us on

Select Language
Powered by Google Translate

Weather Report

Top Stories of the Day

2 HM militants killed in Padgampora: Police

SRINAGAR, Mar 26: Police today said two militants of Hizb-ul Mujahideen were killed in a brief encounter at Padgampora in Pulwama this afternoon. Addressing a press conference Inspector General of Police S J M Gillani said a police party was on way from Pulwama to Awantipora. "A group of militants boarding a Maruti car bearing registration number JK13A-0764 fired upon police party near Padgampora which was retaliated," he said. IGP added that during the exchange of fire between the militants

- > Weather conditions improve, people throng Sunday market
- > Gunmen barge into cop's house, car set ablaze
- > Govt has not learnt lessons from Patankot attack: Par panel
- > Aadhar eKYC verification for existing mobile subscribers soon
- > Govt to release pending liabilities of workers by Mar 31: Drabu

Other Stories from Web

News from e-generator.com

Shridev Sharma

Mata Vaishnodevi | Matavaishnoc Mata Vaishno Devi

Electric Blanket | Electric Bed Warmers | Electric Under Blanket Electric Heating Blanket

Skill Reporter

News and media to update you on Skill Development in India

Skill Reporter on Facebook | Skill Reporter on Twitter
Skill Reporter on Google+ | Skill Reporter on YouTube
Skill Reporter on LinkedIn

March 27, 2017

व्यापम में बड़ा खुलासा, कैग रिपोर्ट में दो और मंत्रियों के नाम आए सामने, नियुक्ति में तत्कालीन मंत्री पटेरिया भी जिम्मेदार

Mar 25, 2017

भोपाल : व्यापम मामले में अभी तक सिर्फ एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का नाम ही था। शुक्रवार को विधानसभा में पेश हुई कैग रिपोर्ट में दो और मंत्रियों के नाम सामने आए। पहला नाम तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया का और दूसरा नाम तत्कालीन राज्यमंत्री तुकोजीराव पवार का है। कैग ने इन्हें व्यापमं में नियुक्तियों का जिम्मेदार माना है।

पटेरिया ने रिटायर्ड उपरीत को प्रतिनियुक्ति पर बनाया था व्यापम का संचालक

रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2002 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया ने योगेश उपरीत को व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) संचालक के पद पर प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया था।

कैग ने पाया कि उपरीत की नियुक्ति संचालक के पद पर गलत थी, क्योंकि वे रिटायर होने के बाद संविदा आधार पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना में कार्यरत थे। उपरीत की अपात्रता पटेरिया को बताकर उन्हें संविदा आधार पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव भेजा गया था। यह प्रस्ताव मंत्री के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री को भेजा गया था। हालांकि मुख्यमंत्री को भेजे प्रस्ताव में उपरीत की अपात्रता का उल्लेख नहीं था।मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर 14 फरवरी 2003 को नियुक्ति कर दी गई। कैग ने इसे अनियमित माना क्योंकि इस पद पर इंजीनियरिंग कॉलेज के वरिष्ठ प्राचार्य या विभाग स्तर के अधिकारी ही पात्र थे। जबकि उपरीत इस पात्रता को पूरा नहीं करते थे। कैग ने जब पूछा तो तकनीकी शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2016 में बताया कि उपरीत को हटा दिया गया है, लेकिन अनियमित नियुक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

पैनल में नाम नहीं था, फिर भी बना दिया था संचालक

अप्रैल 2011 में तकनीकी शिक्षा विभाग ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को व्यापमं के नियंत्रक पद के लिए तीन नामों का पैनल दिया। लक्ष्मीकांत शर्मा ने पंकज त्रिवेदी को परीक्षा नियंत्रक के रूप में प्रतिनियुक्ति देने के निर्देश दे दिए, जबकि त्रिवेदी का नाम पैनल में था ही नहीं। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए थी। मई 2011 में उन्होंने कार्य संभाला। कैग ने पाया कि त्रिवेदी इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता ही नहीं रखते थे। उनके पास परीक्षा कार्य का कोई अनुभव नहीं था।

जून 2011 से जुलाई 2012 तक त्रिवेदी के पास संचालक पद का अतिरिक्त प्रभार भी था। फिर 28 जुलाई 2012 को त्रिवेदी को नियंत्रक के साथ निदेशक के पद पर भी पदस्थ कर दिया गया। त्रिवेदी 28 जुलाई 12 से 30 जुलाई 13 तक दोनों पदों पर एक साथ रहे। सरकार ने अक्टूबर 2016 में स्वीकार किया कि विभाग के पास त्रिवेदी की योग्यता और अनुभव के कोई दस्तावेज नहीं थे और न ही उनकी कोई जांच की गई थी।

योग्यता ही नहीं रखते थे भदौरिया

सुधीर सिंह भदौरिया की नियंत्रक के रूप में नियुक्ति को गलत माना। यह नियुक्ति तत्कालीन राज्यमंत्री तकनीकी शिक्षा तुकोराजीराव पवार ने की थी। पवार ने आधार दिया था कि भदौरिया योग्यता व अनुभव पूरा रखते हैं, जबकि कैग ने पाया कि भदौरिया की नियुक्ति के लिए न कोई पैनल तैयार हुआ और न विज्ञापन जारी किया गया। मंत्री ने नियमों का पालन किए बिना

नियुक्ति कर दी। इसके बाद 2012-13 में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं का संदेह होने के बावजूद इनकी प्रतिनियुक्ति अवार्ध मार्च 2013 में दो साल के लिए और बढ़ा दी गई।

अक्टूबर 2003 में नितिन मोहिंद्रा और अजय कुमार की नियुक्ति व्यापमं में की गई। इनके वेतनमानों के अपग्रेडशन में अनियमिता हुई थी, जिसके लिए तत्कालीन व्यापमं नियंत्रक एके श्रीवास्तव और संचालक योगेश उपरीत जिम्मेदार थे। इसका प्रतिवेदन भी तकनीकी शिक्षा विभाग को सामान्य प्रशासन विभाग को 25 अगस्त 2004 में भेजा गया था।

CAG की रिपोर्ट, मप्र में व्यापमं परीक्षाओं की विश्वसनीयता घटी है

By IANS | **Updated On :** March 25, 2017 10:11 AM

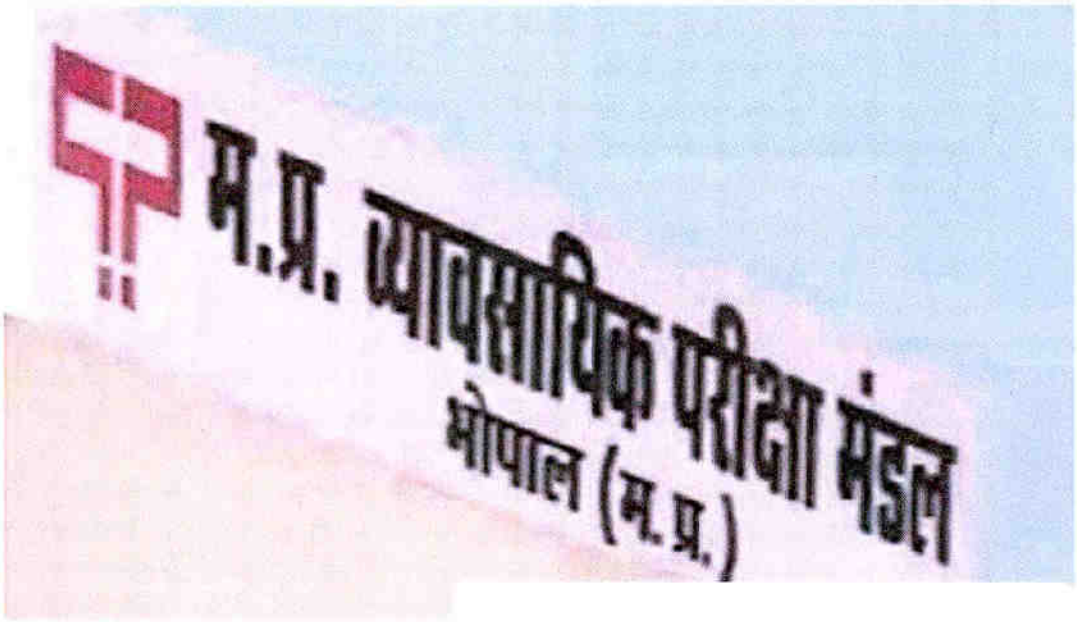

फाइल फोटो

भोपाल: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हुए कहा है कि व्यापमं की परीक्षाओं की विश्वसनीयता में गंभीर रूप से कमी आई है।

चर्चित घोटाला व्यापमं पर सीएजी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं का ऑडिट महालेखाकार से कराने में कभी भी दिलचस्पी नहीं ली है।

सरकार ने सीएजी से ऑडिट यह कहते हुए नहीं कराया कि उनका कार्यालय व्यस्त रहता है, जबकि महालेखाकार के कार्यालय से कोई राय नहीं ली गई थी। सरकार ने स्थानीय स्तर पर ही ऑडिट करा लिया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को राज्य के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने सीएजी के प्रतिवेदन (2016) को सदन के पटल पर रखा। इन प्रतिवेदनों में व्यापम की साख पर सवाल उठाए गए हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापमं द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनकी विश्वसनीयता में गंभीर रूप से कमी आई है।

इतना ही नहीं, कहा गया है कि दो अधिकारियों डॉ. योगेश उपरीत (2003, कांग्रेस के कार्यकाल) और पंकज त्रिवेदी (2011, बीजेपी के कार्यकाल) की नियुक्तियां मंत्रियों के आदेश पर हुई थी। ये दोनों अधिकारी विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

कैग रि से नाराज यादव ने की शिवराज के इस्तीफे की मांग, लगाए गंभीर अ ।

dainikbhaska Mar 26, 2017, 10:54 IST

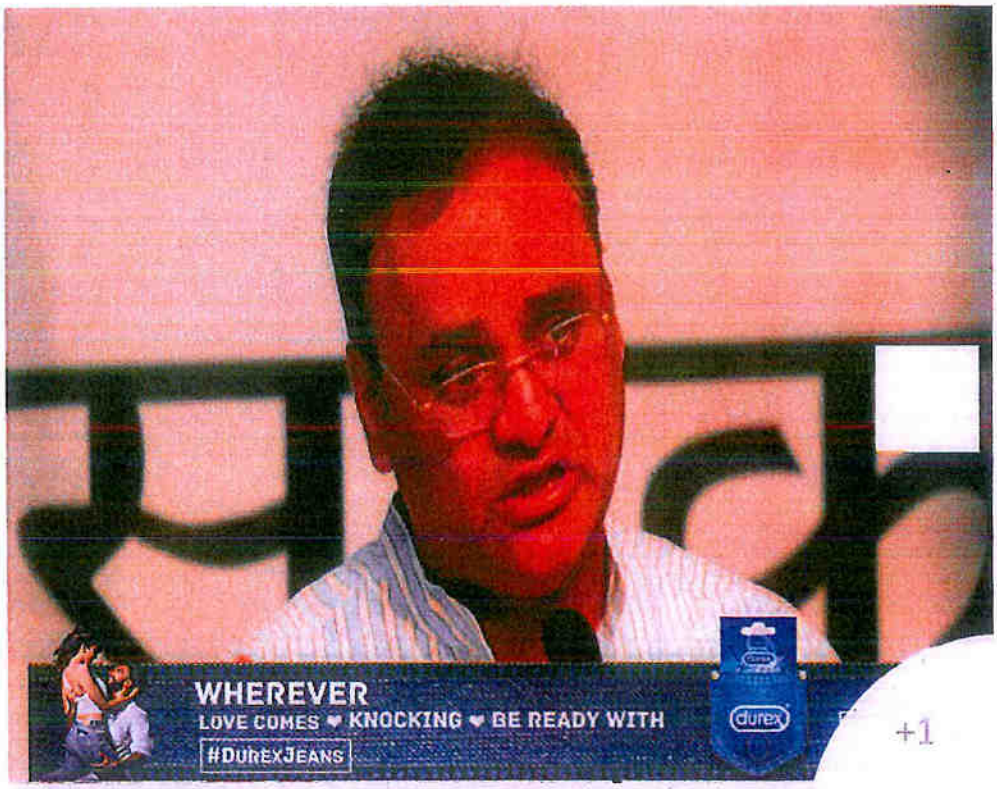

अरुण यादव की फाइल फोटो।

भोपाल। भाजपा ने नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को लेकर कहा है कि कैग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट को पटल पर रखने के साथ ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनसनी फैलाई गई। वहीं, कांग्रेस ने रिपोर्ट में व्यापमं और पोषण आहार घोटाले की पुष्टि होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। **पढ़ें पूरी खबर...**

सनसनी फैलाई जा रही है: राहुल कोठारी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि कैग रिपोर्ट को लेकर सनसनी फैलाया जाना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के खिलाफ है। कैग की कोई भी आपत्ति अथवा रिपोर्ट अंतिम न होकर उसका परीक्षण या प्रतिप्रश्न करना लोक लेखा समिति का अधिकार होता है और यही संसदीय परंपरा भी है। कैग ने अन्य महत्वपूर्ण विभागों और विषयों को छोड़कर व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का विषय मुख्य पृष्ठ पर प्रस्तुत कर कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर लिए हैं। भाजपा की संवेदनशील सरकार के नेतृत्व में पहले से ही व्यापमं के विषय ईओडब्ल्यू की जांच के अधीन है। मध्यप्रदेश सरकार किसी भी जांच एजेंसी का सदैव स्वागत करती आई है एवं संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान करती रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग के ऑडिट के बहाने व्यापमं के गैर जरूरी विषयों को निशाना केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बनाया गया है।

पीएम को लिखेंगे पत्र

इधर, कैग की रिपोर्ट में व्यापमं व पोषण आहार घोटाले की पुष्टि होने पर नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग की है। सिंह ने कहा कि वे इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि व्यापमं मामले में एक मंत्री समेत कई लोग जेल जा चुके हैं और कई पर जांच भी चल रही हैं। इस घोटाले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती हो या संघ के वरिष्ठ सुरेश सोनी सब जांच के घेरे में है।

टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी

कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 1072 प्रकरणों में टैक्स का कम निर्धारण किए जाने से सरकार को वर्ष 2015-16 में 290 करोड़ का टैक्स ६ TOP ना। यह कैग की रिपोर्ट में सामने आया। इसमें वैट अधिनियम के तहत टर्न ओवर की गणना सही न होने पर सरकार को 31 करोड़ रुपए की चपत लगी। इसके अलावा 24 व्यवसायियों के 27 प्रकरणों में 75 करोड़ के टर्न ओवर टैक्स निर्धारण में गड़बड़ी से पैनाल्टी के 5.70 करोड़ व 11 करोड़ टैक्स कम की वसूली हुई।

Trending Now

1 of 15

रहाणे ने लगाया ऐसा शॉट कि छूट गई बॉलर की हंसी, ऐसे हुआ पूरा मोमेंट

9 K views +5

Recommended

CM शिवराज ने हाथ में रखा झंडा, पत्नी ने सिर पर कलश रख निकाली

Sponsored Link
UP में अफसर वक्त पर एक्शन होगा: BJP ने

भास्कर के लिए दलाई पूछे सवाल, आनंदपूर्ण उ करें?

अवैध कॉलोनी बनाकर पहली बार 55 लाख क

dating.com
Find Your Soulmate Online
Date here, find love. Find your ideal partner among attracti singles

शुक्रवार को f खुलासा
पोषाह ं रि भारत सरकार के ऑडिटर जनरल (कैग) ने भी बड़े स्तर पर गड़बडियां पकड़ी हैं। असेंबली में शुक्रवार को टेबल हुई
रिपोर्ट में कैः लासा किया है कि मध्य प्रदेश में पोषाहार के डिस्ट्रीब्यूशन में कई लेवल पर खामियां हैं। उसकी क्वालिटी और
हितग्राहियों (ं यरी) की संख्या में भी हेरफेर हुआ। 2015-16 अचानक आठ लाख हितग्राही बढ़ गए।

- कैग ने राउ ार को नसीहत दी है कि वे प्रेगनेंट महिलाओं और बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ें ताकि इनकी असल तादाद का पता
चल सके। स्व । तरीके से चलाने के लिए ICDS मिशन का गठन हो।
- कैग ने नेश मिली हैल्थ सर्वे (2015-16) के हवाले से कहा है कि कुल बच्चों की तादाद के मुकाबले राज्य में 9.2 फीसदी बच्चे
गंभीर रूप से । थे जबकि, इसे 5 फीसदी तक लाना था। इसके पहले तो 12.5 फीसदी गंभीर कुपोषित बच्चे थे।
- इसी तरह पांच साल से कम उम्र के कम वजन के बच्चों की मृत्यु दर भी कम नहीं हो सकी।
- जमीनी हालत खराब होने के बाद भी राज्य स्तर पर बनी मॉनिटरिंग और रिव्यू कमेटी की मीटिंग तक नहीं की गई। जिला या ब्लॉक लेवल पर ऐसी कमेटियां ही नहीं बनीं।

ये उठाए सवाल (आकलन 2011-12 से 2015-16)

#37 हजार 79 हितग्राहियों को एक दिन से लेकर 120 दिन तक पूरक पोषाहार नहीं मिला।

पोषाहार की कम क्वांटिटी तैयार की गई। कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया। हकदार बच्चों, प्रेगनेंट महिलाओं और मांओं को सप्लीमेंट्री पोषण आहार के दायरे से दूर रखा गया।

रतलाम के जावरा में THR (टेक होम राशन) के 2240 पैकेट एक्सपायरी डेट के दे दिए गए। यही हालत अलीराजपुर के कठीवाड़ा व मोरधा में 26 पैकेट, धार के नालछा 62 पैकेट, पन्ना के लमतारा में 20, रतलाम के मीनीपुरा में 81 पैकेट, सतना के मैहर में 17 और विदिशा के अटारीखेड़ा में 40 पैकेट एक्सपायरी डेट के मिले।

THR का पैकेट बनाने वालों ने गेहूं और चावल का इस्तेमाल ज्यादा किया, जिससे एमपी एग्रो ने 15.57 करोड़ का फायदा गलत तरीके से लिया।

5 साल तक 14 जिलों में स्व सहायता समूह का ऑडिट नही किया गया।

400 से ज्यादा आंगनबाड़ियों में पंचनामा, सर्वे पंजी, पोषण आहार भंडार पंजी, ग्रोथ चार्ट नहीं मिला।

विदिशा जिले के लटेरी में मार्च 2016 में 127 हितग्राहियों को दो साल से पोषाहार नही दिया गया।

सीएम को बता दिया है

- वुमन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिनिस्टर अर्चना चिटनीस ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान को बता दिया गया है।

- विधि विभाग को भी फैसले की कॉपी भेजी गई है। विधि विभाग सभी पहलुओं को एक्जामिन करेगा।

- तब तक यह तैयारी कर रहे हैं कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। जब मामला कोर्ट में हो तो क्या कर सकते हैं?

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें! हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App

PREV — 2 — NEXT

Web Title: Arun Yadav Demanded for CM Shivraj Singh Chauhan Resignation
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

नरेंद्र मोदी | करण | सुरेश | शिवराज सिंह चौहान | अर्चना | तारा

पढ़ते रहिए 5.5 करोड़ + रीडर्स की पसंदीदा और विश्व की नंबर 1 हिंदी न्यूज़ वेबसाइट dainikbhaskar.com, जानो ख़बरों से ज़्यादा।

DB Poll

धोनी ने कहा है कि वे खेलेंगे 2019 वर्ल्ड कप, आपको क्या लगता है कौन बनाएगा ज्यादा रन?

एम. एस. धोनी

विराट कोहली

Stories You May be Interested in

इस लड़की को भारी पड़ गई Selfie, जानें किसकी तलाश में

TOP

+1

अखिलेश की ओर इशारा कर बोले मुलायम, कान में भी कुछ कहा; हंस दिए मोदी

+7

जब 14 स्टार्स ने ऐसे Bold Statements देकर खोले प्राइवेट लाइफ के राज 7 K Users Reading

836 K views +12

सुनील ग्रोवर ने अनाउंस किया नया शो, कपिल के सपोर्टर कीकू भी आए साथ
11 K Users Reading

765 K views +2

पति को पसंद नहीं था पत्नी का दूसरों से बात करना, फिर सामने आई ये बात
5 K Users Reading

कैग रि से नाराज यादव ने की शिवराज के इस्तीफे की मांग, लगाए गंभीर आ

dainikbhaska Mar 26, 2017, 10:54 IST

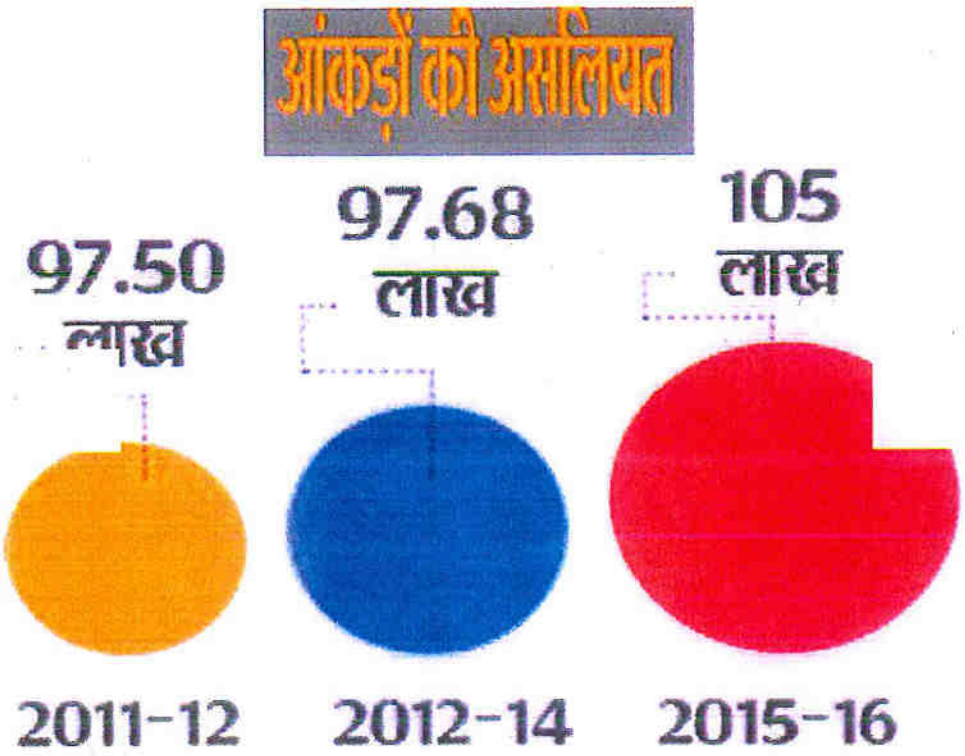

कैग रिपोर्ट शुक्रवार को आई थी।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें Hindi News App

PREV 1 NEXT

Web Title: Arun Yadav Demanded for CM Shivraj Singh Chauhan Resignation
(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

नरेंद्र मोदी | करण | सुरेश | शिवराज सिंह चौहान | अर्चना | तारा

पढ़ते रहिए 5.5 करोड़ + रीडर्स की पसंदीदा और विश्व की नंबर 1 हिंदी न्यूज़ वेबसाइट dainikbhaskar.com, जानो ख़बरों से ज़्यादा।

TOP

Trending Now 1 of 15

रहाणे ने लगाया ऐसा शॉट कि छूट गई बॉलर की हंसी, ऐसे हुआ पूरा मोमेंट

Recommended

CM शिवराज ने हाथ में रखा झंडा, पत्नी ने सिर पर कलश रख निकाली यात्रा

Sponsored Link
UP में अफसर वक्त पर ऑफिस आएं, नहीं तो एक्शन होगा: BJP ने दिए संकेत

भास्कर के लिए दलाई लामा से CM शिवराज ने पूछे सवाल, आनंदपूर्ण जीवन के लिए क्या करें?

अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचने वालों पर पहली बार 55 लाख का जुर्माना

BANSAL NEWS मध्यप्रदेश
(../DEFAULT.ASPX)
आपकी आवाज

Legal English Books
English Books for Lawyers Foundation, Higher or Advanced
TOLES LEGAL
Buy Now

BREAKING NEWS (NewsBulletin.aspx?breaking=all)

रतलाम : बिजली विभाग ने 8 गांवों की बिजली काटी , छात्रों को चल रही हैं परीक्षाएंअधिकतर लोगों के बिल जमा होने के वाबजूद काटी बिजली

न्यूज़ डिटेल

(LiveTvLinkClick.aspx)

व्यापम मामले पर मंत्री गौरीशंकर बिसेन बोले, "मामला कोर्ट में इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए"

25 Mar 2017

जबलपुर पहुंचे गौरीशंकर बिसेन ने कैग रिपोर्ट पर सफाई देते हुए कहा कि व्यापम मामला कोर्ट में है इसलिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि व्यापम मामले में गलती तो हुई है मगर इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। वहीं जबलपुर हाइकोर्ट के नोटिस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट की अगली सुनवाई में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वो याचिकाकर्ता किशोर समरीते के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते उनका पुराना इतिहास क्या रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वहीं लालबत्ती के मामले में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि, जनता ने चुनावों में उनकी लालबत्ती गुल कर दी है। इसलिए वो लालबत्ती का विरोध कर रहे हैं। दूध डेयरियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि डेयरियों को सीमा से नहीं हटाया जाएगा।

Tweet (https://twitter.com/share) (https://plus.google.com/share?url=http://www.bansalnews.com/NewsDetail.aspx?id=166728)

चुनिए
खबर को रेट करें
खबर को रेट करें
Post Comment

Enter Code:

GhtsD
POST

(LogOut.aspx) LOGIN (VisitorLogin.aspx) REGISTER NOW (Visitor.aspx) FEEDBACK (Feedback.aspx) LIVE TV (../LiveTvLinkClick.aspx)

BANSAL NEWS मध्यप्रदेश
(../DEFAULT.ASPX)
आपकी आवाज

Legal English Books
English Books for Lawyers Foundation, Higher or Advanced
TOLES LEGAL
Buy Now

(https://www.facebook.com/pages/Bansal-News/ ...linkedin.com/profile/v ref=...)

BREAKING NEWS (NewsBulletin.aspx?breaking=all)
रतलाम : बिजली विभाग ने 8 गांवों की बिजली काटी , छात्रों को चल रही हैं परीक्षाएंअधिकतर लोगों के बिल जमा होने के वाबजूद काटी बिजली

'राज्य'

राज्य की फोटो गैलरी पर जाएँ (LiveTvLinkClick.aspx)
अगली खबर पर जाएँ

व्यापम में व्यापक साजिश, CAG की रिपोर्ट में खुलासा

25 Mar 2017

मध्यप्रदेश में हुए व्यापम घोटाले के आरोपी भले ही कोर्ट से जमानत पर हो मगर व्यापम घोटाले को जिन लोगों ने अंजाम दिया वो एक सोची समझी साजिश का ही हिस्सा था। ये खुलासा हुआ कंट्रोलर ऑडिट जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट से सीएजी की रिपोर्ट से ये भी खुलासा हो रहा है कि, 2004 में तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी के संकेत दिए थे मगर उसे अनदेखा कर दिया गया। रिपोर्ट मध्यप्रदेश में कुपोषण, स्वास्थ्य, और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।

व्यापम घोटाला सोची समझी साजिश !
अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी !
2004 में ही रखी गई गड़बड़ी की नींव !
CAG की रिपोर्ट से खुलासा

जी हां सीएजी की रिपोर्ट ने देशभर में सुर्खियां बटोरने वाले व्यापम घोटाले को लेकर कुछ ऐसे ही तथ्य सामने रखे है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इसबात का जिक्र किया है कि, व्यापम की स्थापना 1982 में की गई लेकिन तभी से सरकार उलझन में रही कि, ये सरकार का हिस्सा है या नहीं।खास बात ये कि सरकार ने व्यापम के कामकाज के लिए किसी तरह के नियम ही नहीं बनाए थे। सीएजी ने रिपोर्ट में इसबात का भी जिक्र किया कि विधानसभा ने मप्र व्यवसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम 2007 में पारित किया लेकिन इसे लागू किया 2016 में यानी आठ साल बाद, मंडल की सांविधिक स्थापना के बाद भी उसके काम करने, निगरानी के लिए कोई नियम नहीं बनाए। सीएजी ने ये भी कहा कि, राज्यस्तरीय

पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा व्यापमं को सौंपना भी संविधान और न्यायालय के फैसलों के खिलाफ था क्योंकि व्यापमं ना तो स्वतंत्र थी और ना ही उसके कोई नियम थे। इसके बाद सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि योगेश उपरीत और पंकज त्रिवेदी की नियुक्त तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई।

इसके अलावा सीएजी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि शिशु और मातृ मृत्यु के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका।क्योंकि माताओं, शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं करवाई गई। चौंकाने वाले आंकड़े ये है कि 2011 से 2016 में प्रसव पूर्व जांच के लिए करीब 93 लाख गर्भवती महिलाओं में से केवल 52 लाख महिलाएं ही पंजीकृत की गई और करीब 20 लाख महिलाओं की जांच ही नहीं की गई। जबकि 42 लाख महिलाओं की एचआईवी जांच ही नहीं हुई। शिशु टीकाकरण कार्यक्रम भी सही तरीके से नहीं चल सका तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की कमी। स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, औषधियों और प्रयोगशाला सेवाओं की कमी की तरफ भी सीएजी ने इशारा किया है।

इतना ही नहीं सीएजी ने पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर भी सवाल उठाए है। यहां तक कहा कि पुलिस के पास 2016 तक 23 हजार पुराने हथियार है जो किसी काम के नहीं,साथ ही एफएसल के मामलों में हो रही लेटलतीफी का भी जिक्र किया है। यानी जो जो दावे सरकार करती है उन दावों की अच्छी खासी पोल सीएजी की रिपोर्ट खोल रही है।

मध्यप्रदेश में हुए व्यापम घोटाले के आरोपी भले ही कोर्ट से जमानत पर हो मगर व्यापम घोटाले को जिन लोगों ने अंजाम दिया वो एक सोची समझी साजिश का ही हिस्सा था। ये खुलासा हुआ कंट्रोलर ऑडिट जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट से सीएजी की रिपोर्ट से ये भी खुलासा हो रहा है कि, 2004 में तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी के संकेत दिए थे मगर उसे अनदेखा कर दिया गया। रिपोर्ट मध्यप्रदेश में कुपोषण, स्वास्थ्य, और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है।

व्यापम घोटाला सोची समझी साजिश !
अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी !
2004 में ही रखी गई गड़बड़ी की नींव !
CAG की रिपोर्ट से खुलासा

जी हां सीएजी की रिपोर्ट ने देशभर में सुर्खियां बटोरने वाले व्यापम घोटाले को लेकर कुछ ऐसे ही तथ्य सामने रखे है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में इसबात का जिक्र किया है कि, व्यापम की स्थापना 1982 में की गई लेकिन तभी से सरकार उलझन में रही कि, ये सरकार का हिस्सा है या नहीं!खास बात ये कि सरकार ने व्यापम के कामकाज के लिए किसी तरह के नियम ही नहीं बनाए थे। सीएजी ने रिपोर्ट में इसबात का भी जिक्र किया कि विधानसभा ने मप्र व्यवसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम 2007 में पारित किया लेकिन इसे लागू किया 2016 में यानी आठ साल बाद, मंडल की सांविधिक स्थापना के बाद भी उसके काम करने, निगरानी के लिए कोई नियम नहीं बनाए। सीएजी ने ये भी कहा कि, राज्यस्तरीय पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा व्यापमं को सौंपना भी संविधान और न्यायालय के फैसलों के खिलाफ था क्योंकि व्यापमं ना तो स्वतंत्र थी और ना ही उसके कोई नियम थे। इसके बाद सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी लिखा कि योगेश उपरीत और पंकज त्रिवेदी की नियुक्त तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के आदेश पर नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई।

इसके अलावा सीएजी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा किया कि शिशु और मातृ मृत्यु के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सका।क्योंकि माताओं, शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध ही नहीं करवाई गई। चौंकाने वाले आंकड़े ये है कि 2011 से 2016 में प्रसव पूर्व जांच के लिए करीब 93 लाख गर्भवती महिलाओं में से केवल 52 लाख महिलाएं ही पंजीकृत की गई और करीब 20 लाख महिलाओं की जांच ही नहीं की गई। जबकि 42 लाख महिलाओं की एचआईवी जांच ही नहीं हुई। शिशु टीकाकरण कार्यक्रम भी सही तरीके से नहीं चल सका तो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की कमी। स्वास्थ्यकर्मियों की कमी, औषधियों और प्रयोगशाला सेवाओं की कमी की तरफ भी सीएजी ने इशारा किया है।

इतना ही नहीं सीएजी ने पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर भी सवाल उठाए है। यहां तक कहा कि पुलिस के पास 2016 तक 23 हजार पुराने हथियार है जो किसी काम के नहीं,साथ ही एफएसल के मामलों में हो रही लेटलतीफी का भी जिक्र किया है। यानी जो जो दावे सरकार करती है उन दावों की अच्छी खासी पोल सीएजी की रिपोर्ट खोल रही है।

Share 0 Tweet (https://plus.google.com/share?url=http://www.bansalnews.com/PhotoStory.aspx?id=166693&photoid=39871&Pageid=21)

Select Rate

1

RATE NEWS

Post Comment

Enter Code:

RAG7a

POST

Legal English Books
English Books for Lawyers Foundation, Higher or Advanced
TOLES LEGAL
Buy Now

सम्बधित खबरे

Date- 28.03.2017

MP police crippled by lack of modern weapons: Report

Neeraj Santoshi
neeraj.santoshi@hindustantimes.com

BHOPAL: At a time when Madhya Pradesh is facing terror activities like the ISIS inspired low intensity Ujjain-Bhopal train blast or the discovery of Pakistan's ISI spy network here, the state police is battling a different challenge: A shortage of modern weapons, affecting its "striking capacity".

This was revealed in a performance audit of 'modernisation of Madhya Pradesh police force' for the period 2011-12 to 2015-16 in the report of the comptroller and auditor general (CAG) of India, submitted in the state assembly on Friday.

The report pointed out that, "Police and law and order is a state subject and it is primarily the responsibility of the state government to modernise and adequately equip their police forces for meeting challenges to 'law and order' and 'internal security'."

The MP police department possessed 53,084 old weapons, said the report. It added that 8,233 .410 Musket rifles and 581 .455 revolvers had become "unserviceable as Ordinance factories had stopped manufacturing spare parts and ammunition while the rest of 44,268 weapons were in use".

The department had contemplated phasing out old weapons, such as the .410 rifle and the .303 and 7.62 mm BA rifles along with the .38 and .455 revolvers. They planned on replacing the weapons with the 7.62 SLR rifle, 7.62 LMG, AK 47, 5.56 INSAS Rifles, Glock, 9 mm pistols etc, said the report.

"Old weapons are less effective as they are heavy, their magazine capacity is less and chances of misfire is high, whereas modern weapons are light weight, convenient and have better striking capacity", the report emphasised.

MP POLICE POSSESSED 53,084 OLD WEAPONS, SAID THE REPORT. IT ADDED THAT 8,233 .410 MUSKET RIFLES AND 581 .455 REVOLVERS WERE UNSERVICEABLE

SCHEME TO BETTER POLICE

- There are 11 police zones, 15 ranges, 51 district SPs, 1061 police stations and 576 out posts in Madhya Pradesh
- The modernisation of police forces (MPF) scheme was launched by the union home ministry in 1969 for modernizing the police forces to effectively face the emerging challenges to internal security
- The scheme was revised during 2000-01 and extended for ten years
- The major components covered in the scheme include weaponry, forensic science, communication, police housing and building and mobility

The report said that according to the additional chief secretary (home), the availability of arms had improved in MP but due to an increase in manpower, the count had gone down.

"Fact remains that one of the main objectives of modernisation of police forces scheme of equipping police with modern weapons for bringing improvement in preparedness and striking capability was largely not achieved", the report noted.

It also showed that there was a total vacancy of 16,751 personnel in the police force as of June 2016.

"Posts of scientific officers and lab technicians are lying vacant in Forensic science laboratories (FSLs) leading to large pendency in forensic examinations. Training of police personnel was affected due to short availability of trained teachers", the report said.

The CAG stressed that "to meet the challenges of terrorists and criminals, equipped with high tech and latest weapons, upgrading of weaponry was of paramount importance for the police force."

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

पेज नं. 09

ग्वालियर, 28 मार्च 2017

व्यापमं घोटाला : मोदी से की माँग, शिवराज सिंह को हटाइये

भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाने की मांग की है। सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को यह पत्र दिया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यह घोटाला चौहान के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुआ और इसमें उनके करीबी लोगों पर गंभीर आरोप हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भिंड जिले के अटेर और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में विधानसभा उपचुनाव के बाद उनकी पार्टी चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। इन दोनों स्थानों पर नौ

अप्रैल को मतदान होना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्वयं जानकारी दी है कि 1378 नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। उनके पास तकनीकी शिक्षा का प्रभार भी रहा है।

सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए पत्र में लिखा है कि उनके पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था इसी आधार पर उन्हें पूछताछ का नोटिस दिया गया, लेकिन व्यापमं घोटाले में मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं की गई।

अजय सिंह ने आंकड़े देते हुए कहा कि व्यापमं ने वर्ष 2005 से 2015 के मध्य 90 परीक्षाएं करवाईं, जिसमें 86 लाख से ज्यादा आवेदकों ने भाग लिया। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। इस घोटाले में अब तक 55 एफआईआर, 2500 आरोपी, 2100 गिरफ्तारी, 400 फरार और 53 मौत हो चुकी हैं।

सिंह ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बाबूलाल गौर का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भाजपा हाईकमान ने उन्हें छोटे-छोटे मामलों में तत्काल उनके पद से हटा दिया था। उन्होंने मोदी से व्यापमं घोटाले और हाल में पेश कैग रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग की।

अटेर और बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के दिग्गजों के प्रचार करने संबंधी एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दोनों स्थानों पर कांग्रेस के बड़े नेता जाएंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार करने के लिए अटेर और बांधवगढ़ पहुंचेंगे। वे स्वयं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव भी वहां जाएंगे।

नव भारत

ग्वालियर, मंगलवार, 28 मार्च, 2017

विद्युत कंपनियां घाटे में

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यह दावा तो करते जा रहे कि राज्य में बिजली भरपूर (सरप्लस) है. शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है. खेती के सिंचाई कार्य के लिये निर्धारित घंटों में बिजली उपलब्ध है. विद्युत प्रबंधन में भी काफी परिवर्तन आ चुके है. सरकारी उपक्रम मध्यप्रदेश, विद्युत मंडल की जगह सरकारी उपक्रम के रूप में ही तीन विद्युत कंपनियां बना दी गयी है. इन्हें ईंधन (फ्यूल) चार्ज के नाम पर उपभोक्ता से बढ़ा-घटा कर शुल्क लगाने का अधिकार भी दे दिया गया है.

भारत के लेखा तथा महानियंत्रक ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि विद्युत वितरण की यह तीनों कंपनियां 5126 करोड़ रुपयों के घाटे में चल रही है. मध्यप्रदेश शासन के सार्वजनिक क्षेत्र के 21 उपक्रम घाटे में हैं और उनके कुल घाटे में 96 प्रतिशत भाग इन तीन विद्युत वितरण कंपनियों का घाटा है. विद्युत जैसे क्षेत्र का घाटा इसलिए भी सतत् बना हुआ है जहां बड़े उपभोक्ता (ब्लक कंज्यूमर) कंपनियों के भ्रष्ट अधिकारी को ले-देकर बिजली की भारी चोरी करते हैं- वहां झुग्गी बस्तियों के साथ-साथ कई सामान्य घरों में बिजली की चोरी करते रहना भी चलता रहता है.

राज्य सरकार को इस बात से ही संतोष हो सकता है कि कुल मिलाकर 58 सार्वजनिक उपक्रम है. जिनमें से 31 को 729.34 करोड़ रुपयों का लाभ हुआ है जो 21 उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उन्हें इन कमाऊ उपक्रमों से कहीं ज्यादा 5,321.92 करोड़ रुपयों का घाटा हुआ है. इनका घाटा बढ़ता ही जा रहा है.

नया इंडिया

MPHIN/2011/40828 भोपाल ▌28 मार्च 2017 ▌मंगलवार ▌वर्ष-6 ▌अंक-249 ▌ मूल्य-3 रुपए ▌कुल पेज -12

पेज नं: 03

कैग का टैग हटाएगा उपचुनाव या...

राकेश अग्निहोत्री

प्रदेश फिलहाल

सवाल-दर-सवाल

नर्मदा सेवा यात्रा जब दूसरे सभी मुद्दों पर भारी पड़ रही है और विधानसभा के दो उपचुनाव ही नहीं दूसरे मुद्दे भी मानो आस्था के इस शोर में गुल से हो गए, तब सामने आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस भी हो हल्ला मचाने में पीछे छूट गई है। जो यह दावा करने में नहीं थक रही कि व्यापमं का जिन्न फिर बाहर ही नहीं आ गया बल्कि कुपोषण, बिजली जैसे अनियमितता और भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी सरकार बैकफुट पर आ गई है। ऐसे में अब सबकी नजर बांधवगढ़ और अटेर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर आकर टिक गई है। इनका महत्व अचानक बढ़ गया है चाहे फिर उसे पांच राज्यों में भगवाधारियों को मिली सफलता से जोड़कर देखा जाए या फिर कायाकल्प के इंतजार में कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जीत के नए फार्मूले की संभावनाओं से। बीजेपी और कांग्रेस का एक एक सीट पर कब्जा रहा है, इससे पहले बीजेपी ने जो भी चुनाव जीते उसे व्यापम, डंपर और दूसरे मुद्दों पर जनादेश बता कर ही अपनी पीठ थपथपाई है, तो देखना दिलचस्प होगा कि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जिस तरह सीएजी रिपोर्ट को सामने रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान मध्यप्रदेश की टीम शिवराज की ओर आकर्षित किया है, ऐसे में आखिर टीम शिवराज कैग के टैग से अपनी सरकार और भाजपा को निजात दिला पाएगी या फिर बात दूर तलक जाएगी और इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी। शिवराज एक मुख्यमंत्री होने के नाते अच्छी तरह जानते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही एनडीए खासतौर से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने यूपीए सरकार के कई मंत्रियों की नींद हराम कर दी थी। वह बात और है कि सलाहकार की भूमिका में तैनात टीम जिसमें कुछ अफसरों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वह मुख्यमंत्री को गुमराह तो नहीं करते। पॉलिटिक्स में परसेप्शन को नकारा नहीं जा सकता। वह बात और है कि चाहकर भी विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस सीएजी की इस रिपोर्ट को अभी तक चर्चा में नहीं ला सके न ही उसके नेताओं ने रिपोर्ट के तथ्य और तर्क को गहराई से पूरा अध्ययन किया और न ही उनकी विज्ञप्ति और प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई माहौल ऐसा बना सकी कि सरकार संकट में खड़ी नजर आए। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पीएमओ से जरूर संपर्क किया और एक चिट्ठी भी लिख डाली है। इसमें उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तत्काल पद से हटा देने की मांग एक बार फिर दोहराई है। नेता प्रतिपक्ष ने व्यापम को महाघोटाला बताकर एक बार फिर नियुक्तियों में गड़बड़ी हार्ड डिस्क में छेड़छाड़ कद दावा किया तो कुपोषण से अरबों-करोड़ के घोटाले पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। अजय सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास कोयला मंत्रालय के प्रभार का हवाला देकर उनसे की गई पूछताछ के आधार पर व्यापम घोटाले में मुख्यमंत्री से भी पूछताछ नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए। यही नहीं उमा भारती और बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे के कारणों की याद दिलाते हुए शिवराज की घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ी जबकि बीजेपी के प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कैग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट को पटल पर रखने के अतिरिक्त तुरंत प्रेस वार्ता कर सनसनी फैलाने को लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के खिलाफ बताया। बीजेपी का मानना है कि कैग की कोई भी आपत्ति अथवा रिपोर्ट अंतिम न होकर उसका परीक्षण या प्रतिप्रश्न करना लोक लेखा समिति का अधिकार होता है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री समेत दूसरे नेताओं ने भी इस रिपोर्ट को नजरअंदाज ही किया है। तो विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस भी खानापूर्ति से ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रही। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा के दो उपचुनावों को इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्तापक्ष चुनाव प्रचार और उसके बाद परिणाम आने के बाद किस तरह से जोड़ कर सामने रखता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में जब चुनाव प्रचार चरम पर होगा और निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका होगा तब कैग की रिपोर्ट या उससे जुड़ा व्यापम, कुपोषण, बिजली और दूसरे मुद्दे जिन्हें विपक्ष अभी भ्रष्टाचार से जोड़ कर प्रचारित कर रहा क्या गुल खिलाते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस विकास और भ्रष्टाचार से ज्यादा जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए मतदाताओं को गोलबंद करने में जुट चुके हैं। बांधवगढ़ में बीजेपी परिवारवाद के तो अटेर में कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए सहानुभूति लहर के भरोसे मैदान में है। बीजेपी की ओर से एक बार फिर मंत्रियों की फौज जमावट को असरदार साबित करने के लिए जुट चुकी है। उसे अपने नेता शिवराज पर भरोसा है कि वह इस चुनाव में भी सरकार ही नहीं संगठन की भी लाज बचा लेगी। तो कांग्रेस को इंतजार अपने सीएम इन वेटिंग के दावेदारों में शामिल ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के साथ दिग्विजय सिंह का जिनके समर्थकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखना दिलचस्प होगा कि जहां अटेर में सिंधिया की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और कमलनाथ की साख उनके प्रभाव वाले बांधवगढ़ में दांव पर लग चुकी है, तब प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ही नहीं सुरेश पचौरी, विवेक तनखा जैसे दूसरे नेता अपनी जिम्मेदारी को लेकर कितना संजीदा नजर आते हैं। बीजेपी का कैडर ही नहीं प्रबंधन भी कांग्रेस पर अभी तक भारी साबित होता रहा है। यह चुनाव इन नेताओं और कांग्रेस से ज्यादा प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश के लिए भी मायने रखता है जो शायद टीम राहुल सामने आने से पहले उनके लिए किसी अंतिम मौके से कम नहीं होगा। तो शिवराज पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह अपनी जीत का सिलसिला जारी रखें और पांच राज्यों में से 4 में सरकार बनाने वाली मोदी की बीजेपी के दामन पर इन उपचुनाव में हार का दाग नहीं लगने दें। यही नहीं जिस तरह जीत का श्रेय जनता को देकर मतदाताओं का अपनी सरकार के प्रति भरोसा बरकरार रहने का शिवराज दावा अभी तक करते रहे हैं, वह एक बार फिर सच साबित हो। मध्यप्रदेश और शिवराज इन दिनों नर्मदा सेवा यात्रा के कारण सुर्खियों में हैं जिनका मनोबल बढ़ाने के लिए साधु-संत और आध्यात्मिक गुरु से आगे बॉलीवुड की हस्तियां इस यात्रा की साक्षी बन रही हैं। अब टीम शिवराज को इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने का। ऐसे में उपचुनाव के परिणाम उनकी लोकप्रियता को जरूर नए सिरे से रेखांकित करेंगे। सियासत से दूर सामाजिक सरोकार के मोर्चे पर नर्मदा सेवा यात्रा ने शिवराज सिंह चौहान को सिंहस्थ की सफलता के बाद एक नई ऊंचाई दी है, जो विरोधियों को ही नहीं अब उनकी अपनी पार्टी बीजेपी के महत्वाकांक्षी नेताओं को भी मानो खटकने लगी है। शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत का तोहफा शिवराज ने मोदी को उस वक्त दिया था जब वो नोटबंदी को लेकर वह पूरे विपक्ष के निशाने पर थे।

सच कहने का साहस और सलीका

राज एक्सप्रेस

www.rajexpress.in

ग्वालियर. 28.03.2017

पोषण आहार पर कैग की रिपोर्ट के बाद जागा शासन

भोपाल ■ प्रशासनिक संवाददाता

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अन्यत्र लगाने की मनाही

पोषण आहार पर कैग की रिपोर्ट उजागर होने के बाद राज्य शासन हरकत में आया है। मुख्य सचिव बीपी सिंह ने कुपोषण को संवेदनशील विषय मानते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी आईसीडीएस के अलावा कहीं नहीं लगाने की हिदायत दी है।

शनिवार को सीएस ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश भेज दिए है। आदेश में कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आधार पंजीयन, बीएलओ सहित कार्यों में लगाया जा रहा है। इस वजह से हितग्राहियों तक कार्यकर्ता पहुंच नहीं रहे है। जिसका खामियाजा हितग्राहियों को उठाना पड़ रहा है। प्रदेश में कुपोषण के आंकड़ों में ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी समझना होगा। सीएस सिंह के मुताबिक हितग्राहियों को एक वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषण आहार देना जरूरी किया गया है। कलेक्टरों को कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। लापरवाही मिलने पर कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।

28.3.17
पेज- नं.
←13→

कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट पर की सीएम की घेराबंदी

नेता प्रति... को प... सीएम...

भोपाल (रासे)। प्रदेश कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट मामले में एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घेराबंदी की। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सोमवार को व्यापमं घोटाले का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर सीएम को हटाने की मांग की। सिंह ने अपने सरकारी निवास पर पत्रकारवार्ता के दौरान मीडिया को यह पत्र दिया।

उन्होंने कहा कि व्यापमं घोटाले को लेकर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर टिप्पणियां की है। यह घोटाला चौहान के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुआ और इसमें उनके करीबी लोगों पर गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि भिंड जिले के अटेर और उमरिया जिले के बांधवगढ़ में विधानसभा उपचुनाव के बाद उनकी पार्टी चौहान के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करेगी।

विस में दी 1378 नियुक्तियों में गड़बड़ी की जानकारी : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम ने विधानसभा में स्वयं जानकारी दी है कि 1378 नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। उनके पास तकनीकी शिक्षा का प्रभार भी रहा है। सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का उदाहरण देते हुए पत्र में लिखा है कि उनके पास कोयला मंत्रालय का प्रभार था, इसी आधार पर उन्हें पूछताछ का नोटिस दिया गया, किन्तु व्यापमं घोटाले में सीएम से पूछताछ नहीं की गई।

90 परीक्षाओं में हुई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी : सिंह ने कहा कि व्यापमं ने वर्ष 2005 से 2015 के मध्य 90 परीक्षाएं करवाई, जिसमें 86 लाख से ज्यादा आवेदकों ने भाग लिया। इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। इस घोटाले में 55 एफआईआर, 2500 आरोपी, 2100 गिरफ्तारी, 400 फरार और 53 मौत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बाबूलाल गौर का उल्लेख करते हुए लिखा है कि भाजपा हाईकमान ने उन्हें छोटे-छोटे मामलों में तत्काल पद से हटा दिया था। उन्होंने पीएम से व्यापमं घोटाले और हाल में पेश कैग रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग की।

पैज. 01

कैग रिपोर्ट — एम्परर ग्रेनाईटस को ग्वालियर के स्टोन पार्क में दी जमीन, 61.59 लाख रुपए के राजस्व की हानि

आईआईडीसी ने 3.88 करोड़ की भूमि आवंटन में की अनियमितता

ग्वालियर ■ राज न्यूज नेटवर्क

औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (आईआईडीसी) ग्वालियर ने राज्य शासन से अनुमति लिए बिना मेसर्स एम्परर ग्रेनाइट्स को स्टोन पार्क ग्वालियर में 27 फरवरी 2006 को 5576.21 वर्गमीटर एवं 14 जुलाई 2006 को 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन के आशय पत्र जारी किए। इतना ही नहीं भूमि आवंटन पत्र जारी किए बिना ही इस फर्म को 6 मार्च 2006 को जमीन का अग्रिम कब्जा भी दे दिया गया। इस भूमि का मूल्य 3 करोड़ 88 लाख रुपए था।

यह खुलासा महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण में हुआ, जो 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए किया गया। इसे 24 मार्च को विधानसभा के पटल पर रखा जा चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मप्र उद्योग (शेड, प्लॉट एवं भूमि आवंटन) नियम 1974 के अनुच्छेद 5(4) के अंतर्गत विकसित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में आरक्षित भूमि के उद्देश्य वाले उद्योगों को भूमि आवंटन के लिए राज्य शासन की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, इसके बावजूद आईआईडीसी ग्वालियर ने उक्त भूमि का आवंटन कर सरकार को 61.59 लाख रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाई।

अनारक्षित क्षेत्र की जमीन नहीं दी

एम्परर ग्रेनाइट्स वाहनों में लगने वाली उच्च सुरक्षा वाली रजिस्ट्रेशन प्लेट बनाती है। उसकी व्यवसायिक गतिविधि ग्वालियर स्टोन पार्क के उद्देश्य से भिन्न थी, इसके बावजूद कंपनी के निदेशक मंडल ने स्टोन पार्क में जमीन आवंटन के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को 23 जून 2007 को प्रस्ताव भेजा। इसे वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग ने अस्वीकृत करते हुए 31 जनवरी 2008 को स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि अन्य औद्योगिक क्षेत्र में जहां भूमि विशिष्ट प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं है, वहां जमीन क्यों नहीं दी गई। कंपनी ने कहा कि फर्म ने ग्वालियर क्षेत्र में जमीन के लिए आवेदन दिया था, हालांकि मालनपुर और बानमौर में अनारक्षित जमीन उपलब्ध थी।

फर्म का नाम ही बदल लिया

एम्परर ग्रेनाइट्स ने परिवहन विभाग से उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट का ठेका नहीं मिलने के कारण स्टोन पार्क ग्वालियर में मार्च 2013 में पत्थर से संबंधित उद्योग स्थापित करने की अनुमति मांगकर एम्परर ग्रेनाइट्स के स्थान पर मेसर्स एम्परर एसोसिएट्स के नाम से लीज डीड पंजीकृत करने का अनुरोध 19 जून 2014 को किया। 22 जून 2013 को कंपनी के अध्यक्ष ने ने निर्णय लिया कि चूंकि फर्म द्वारा पत्थर से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियां की जाएगी, इसलिए राज्य शासन की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसके साथ ही निर्णय लिया कि नई फर्म को भूमि आवंटन करने और अग्रिम कब्जे के दिनांक 6 मार्च 2006 से लीज देने की तिथि 22 फरवरी 2014 की लीज रेंट पुरानी दरों पर एवं बकाया राशि बिना ब्याज के वसूली जाए। इसके मुताबिक 25 नवंबर 2014 को 6475.15 वर्गमीटर भूमि आवंटन के लिए एम्परर एसोसिएट्स को आवंटन पत्र जारी कर दिया।

यह टिप्पणी की गई

- प्रथम फर्म को भूमि का कब्जा देकर कंपनी ने अनियमितता की और उस समय प्रचलित भूमि आवंटन नियम अनुसार मान्य नहीं था। इससे 2006 से 2015 के दौरान 6 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर की जमीन व्यर्थ पड़ी रही। 2014 में लीज डीड संपादित करते समय लीज रेंट एवं अन्य शुल्क पुरानी दरों पर वसूलने का कंपनी अध्यक्ष का निर्णय भी कंपनी के हित में नहीं था।
- कंपनी ने फर्म से अतिरिक्त राशि 19.76 लाख रुपए वसूलने के लिए लघु फर्म पर लागू दरों के अनुसार मांग पत्र जारी किया था, जबकि जून 2014 तक जब तक फर्म का दूसरा नाम नहीं आया था, तब तक फर्म लार्ज स्केल थी। इससे कंपनी को 25.36 लाख रुपए के राजस्व की हानि हुई।
- आईआईडीसी द्वारा अगस्त 2013 में भेजे गए मांग पत्र के अनुसार उसको लीज रेंट और रखरखाव शुल्क के रूप में 2006-07 से 2014-15 तक प्रतिवर्ष 1 लाख 10 हजार 980 रुपए प्राप्त होने थे। यह नवंबर 2014 में मिले, इसमें ब्याज भी नहीं लगाया, जिससे 12.12 लाख रुपए के ब्याज की हानि हुई।
- कंपनी ने प्रथम फर्म से विकास शुल्क नहीं वसूला और द्वितीय फर्म को आवंटन पत्र जारी करते समय 31.08 लाख रुपए विकास शुल्क के विरुद्ध 6.97 लाख रुपए ही वसूले।

प्रबंधन ने दिया उत्तर

1. जून 2006 में फर्म ने ग्वालियर में जमीन के लिए प्रार्थना की थी। इसलिए अनुमोदन की उम्मीद में भूमि आवंटित कर दी गई।
2. निर्देशानुसार बकाया राशि पर ब्याज नहीं वसूला गया।
3. द्वितीय फर्म को आवंटन का हस्तांतरण नहीं माना गया।

इसलिए मान्य नहीं उत्तर

1. भूमि का अग्रिम कब्जा दिया जाना नियम विरुद्ध था।
2. कंपनी ने द्वितीय फर्म के साथ लीज डीड संपादित करते समय तत्कालीन प्रचलित दरों के अनुरूप लीज रेंट नहीं वसूला।
3. द्वितीय फर्म से उपयुक्त दरों पर विकास शुल्क नहीं वसूला गया।

नोट- यह प्रकरण मई 2016 में सरकार को भेजा गया, जिसमें नवंबर 2016 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

नईदुनिया
ग्वालियर, मंगलवार 28 मार्च 2017

पेज – 08

'प्रदेश में कुपोषण की स्थिति संवेदनशील, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से न कराएं बेगारी'

भोपाल। पोषण आहार पर कैग द्वारा गिनाई गई खामियों के बाद सरकार की नींद खुली है। रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से एकीकृत बाल विकास परियोजना के अलावा कोई और काम न कराया जाए। मुख्य सचिव बीपी सिंह ने भेजे गए पत्र में कलेक्टरों से कहा कि राज्य में कुपोषण की स्थिति संवेदनशील है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य और आधार कार्ड के काम में लगाया जा रहा है, जो सही नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्रालय व कैग की रिपोर्ट में खुलासा

साढ़े छह लाख से ज्यादा प्रसव करवाए अप्रशिक्षित हाथों से

भोपाल। नईदुनिया प्रतिनिधि

सरकार के तमाम दावों के बाद भी प्रदेश में पांच साल में करीब नौ लाख प्रसव घरों में हुए। इसमें भी साढ़े छह लाख से ज्यादा प्रसव अप्रशिक्षित लोगों के हाथों से हुए।

यह खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट बताती है प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के हाथों से प्रसव न होने के अलावा 3.16 नवजातों को प्रसव के 24 घंटे में स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं देखा। उधर, संसद में पेश स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आज भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का खासा टोटा है।

मातृ-शिशु मृत्य दर ज्यादा

रिपोर्ट के अनुसार मप्र में शिशु मृत्य दर एक हजार बच्चों में 51 है, जबकि मानक 27 है। मातृ मत्यु दर का औसत एक लाख प्रसव पर 109 मानक है, वो प्रदेश में 221 है। ये दोनों ही दरें बिहार, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और झारखंड से ज्यादा हैं। पांच साल में मप्र में 4826 प्रसूताओं की मौत हुई, तो 96 हजार 159 शिशु ने जान गंवाई। शासन गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल व अन्य सेवाएं देने में असफल रहा।

48 घंटे भी नहीं रखा 15 लाख प्रसूताओं को

प्रसव के 48 घंटे तक प्रसूता को अस्पताल में रखना अनिवार्य है, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2011 से 16 के बीच 15 लाख 26 हजार प्रसव के प्रकरण में 48 घंटे के पहले ही छुट्टी कर दी गई जो बड़ी लापरवाही थी।

सरकार के तमाम दावों के बीच गृह प्रसव में कमी नहीं

सामुदायिक अस्पतालों में विशेषज्ञों की भारी कमी

29 लाख शिशुओं को नहीं लगे हेपेटाइटिस बी के टीके

टीकाकरण कार्यक्रम यूआईपी के अंतर्गत नवजात को 48 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी जीरो की खुराक देना अनिवार्य है, लेकिन 69 लाख 25 हजार नवजातों में से यह टीका 29 लाख 95 हजार को नहीं लगाया गया। जिसके चलते डिप्थीरिया के 618 प्रकरण, काली खांसी के 90, टिटनेस के 1009 और खसरे के 14 हजार 777 प्रकरण शिशुओं में सामने आए जिसमें 39 मौत, 5972 संक्रमण और 22 हजार 281 बच्चों में जटिलताओं के मामले सामने आए।

5 साल में मातृ व शिशु मृत्यु

वर्ष	मातृ मृत्यु	शिशु मृत्यु
2011-12	815	26,336
2012-13	571	17,705
2013-14	737	10,054
2014-15	1123	16,709
2015-16	1580	27,355

(आंकड़े कैग 2017 की रिपोर्ट के अनुसार)

एक हजार विशेषज्ञों की कमी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के चल रहे है। प्रदेश में जहां 1336 विशेषज्ञ डॉक्टरों की पद है तो काम सिर्फ 289 कर रहे है। सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी की भी 1854 पद है, लेकिन सिर्फ 904 ही कार्य कर रहे हैं। रेडियोग्राफर के 160, लैब में टेक्नीशियन के 226 और नर्सिंग के 1161 पद खाली हैं।

पेज – 06

व्यापमं घोटाले पर अब तो अंजाम तक पहुंचे कार्रवाई

डॉ. प्रकाश कांत
prak.kant@gmail.com

कैग की हालिया रिपोर्ट के बाद व्यापमं घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार नया यह हुआ है कि इस घोटाले की जड़ें पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन तक फैली होने की बात भी सामने आई है। कहा गया है कि कांग्रेस शासन ने अपात्र होते हुए भी डॉ. उपरीत जैसे व्यक्ति को व्यापमं के संचालक और नियंत्रक पद पर मान्य नियमों की अनदेखी करते हुए नियुक्ति देकर इस घोटाले के लिए दरवाजा खोला और बाद में भाजपा शासन ने उसमें से बड़े आराम से चपले के हाथियों का जूलूस निकल जाने दिया। इस बीच उसने संदिग्ध ग्यारह अधिकारियों के निलंबन अथवा पद से बेदखल किए जाने के अपनी ही शिक्षा मंत्री के आदेश की अनदेखी की।

जाहिर है इस अनदेखी व उदासीनता की वजह से खासकर चिकित्सा क्षेत्र में भर्ती का एक ऐसा महाघोटाला आकार ले पाया, जिसका हल्ला विधानसभा और मीडिया में तो मचा ही रहा, साथ ही पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सैकड़ों छात्रों का प्रवेश संदिग्ध हो गया। इससे प्रदेश की चिकित्सा जैसी गरिमापूर्ण उच्च शिक्षा की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उसकी निष्पक्षता, विश्वसनीयता और प्रामाणिकता को गहरा आघात लगा। इस व्यापमं महाघोटाले की वजह हमारे प्रदेश की छवि भी कलंकित हुई, जिसकी भरपाई होनी मुश्किल है।

यूं तो समय-समय पर कई प्रवेश/भर्ती परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन व्यापमं द्वारा आयोजित चिकित्सा प्रवेश परीक्षा का मामला इस मायने में कुछ अलग और खास रहा है कि डॉक्टरी पिछले कुछ सालों में सेवा का न रहकर जबर्दस्त कमाई का पेशा बन चुका है। मेडिकल कॉलेजों की पढ़ाई इस व्यवसाय के ग्लैमर, बाजार में मांग और दूसरे फायदों के चलते जिस तरह से सुरक्षित भविष्य की गारंटी बन चुकी है, उसकी वजह से सीमित संख्या वाले इन कॉलेजों प्रवेश की स्पर्धा साल-दर-साल कठिन से कठिनतर हुई। इसके साथ-साथ मेडिकल की पढ़ाई भी लगातार महंगी होती गई। इस सबके बीच आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन ईमानदार छात्रों के भविष्य एवं प्रतिभा की कीमत पर इन कॉलेजों में पैसों के दम पर अयोग्य छात्रों के प्रवेश के लिए चोर दरवाजे खोले गए। और यह सब शीर्ष स्तर पर आपसी मिलीभगत से सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। हैरानी यह है कि सारा गोरखधंधा उजागर हो जाने के बावजूद इस व्यापमं कांड से जुड़े कई अपराधियों को अभी तक सजा नहीं हुई है। जबकि गलत ढंग से प्रवेश लेने वाले छात्रों की पहचान हो चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी डिग्रियां भी रद्द कर दी गई हैं। जरूरी यह है कि व्यापमं घोटाले की जांच जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचे। इस महाघोटाले के तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे देखने के लिए प्रदेशवासी अब और इंतजार नहीं कर सकते।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अजय भारत , ग्वालियर

28.03.2017

दैनिक अजय भारत

108 एंबुलेंस कंपनी को 5 करोड़ का फायदा पहुंचाया

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

भोपाल, (का.सं.)। विधानसभा में पिछले दिनों पेश हुई कैग की रिपोर्ट के बाद महालेखाकार की प्रेस कांफ्रेंस प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन चुकी है। कैग ने सरकार में हुई कई अनियमितताओं को उजागर किया है। व्यापमं के गड़बड़ी के बाद ऐसा ही एक मामला 108 एंबुलेंस सेवा का भी है। कैग ने कहा है कि कई सरकारी अधिकारियों ने एंबुलेंस चलाने वाली जीवीके ईएमआरआई कंपनी को 5 करोड़ से यादा का फायदा पहुंचाया है।

कैग की रिपोर्ट में कहा है कि 2012 में संशोधित एमओयू में एंबुलेंस चलाने में हर महीने होने वाला अधिकतम खर्च तय किया गया। इसके बाद भी एंबुलेंस संचालन एजेंसी को परिचालन व्यय के रूप में 5 करोड़ रुपए का यादा भुगतान कर दिया गया, जबकि यादा भुगतान करने की स्वीकृति कार्यकारी

समिति से भी नहीं ली गई। एंबुलेंस चलाने के लिए 2007 में हुए एमओयू में एंबुलेंस चलाने में हर महीने होने वाले खर्चे तय नहीं किए गए। इसकी वजह से 2009-10 में 1 लाख 30 हजार रुपए प्रति माह और 2010-11 में 1 लाख 23 हजार रुपए प्रति माह एंबुलेंस के परिचालन में खर्च कर दिए गए।

देर से जागी सरकार

सरकार की नींद टूटी तो 2012 में इसके लिए 98 हजार रुपये प्रति महीने का अधिकतम खर्चा तय किया गया। इसके बावजूद 2014-15 में 4 करोड़ 34 लाख रुपए का यादा भुगतान कंपनी को कर दिया गया। वहीं 2012-13 के तीन महीनों में भी 66 लाख रुपए का भुगतान यादा किया गया और इसके लिए कार्यसमिति की अनुमति भी नहीं ली गई।

क्या कहती है कैग की रिपोर्ट

कैग के मुताबिक 2014-15 में प्रदेश में 726 एंबुलेंस की आवश्यकता थी, लेकिन सिर्फ 606 एंबुलेंस ही तैनात की गईं। इसकी वजह से 17 प्रतिशत जनसंख्या को एंबुलेंस का फायदा नहीं मिला। वहीं 2015 में खरीदी गई 38 एंबुलेंस सात महीनों तक एजेंसी के कॉल सेंटर पर खड़ी रही, जबकि मैदान पर पहले ही कम एंबुलेंस थीं।

स्वदेश

ग्वालियर, दिनांक 29.03.2017
पेज नं 07

कैग की रिपोर्ट में खुलासा

बिना सत्यापन के लाखों का भुगतान

भोपाल, ब्यूरो। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में बिना सत्यापन और निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना लाखों रुपए का भुगतान किए जाने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा हाल ही में जारी की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में इंदौर के एमवाय अस्पताल, ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल और भोपाल के जेपी अस्पताल में भुगतान में हुई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंदौर के एमवाय अस्पताल ने मार्च, 2014 से मार्च, 2015 के बीच पुस्तिकाओं, डिस्चार्ज कार्ड, विभिन्न तरह के फॉर्म आदि की प्रिंटिंग निजी फर्मों से कराई थी। अस्पताल ने इस काम के लिए इन फर्मों को 58.91 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसी तरह ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल ने भी ऐसे ही प्रिंटिंग कार्य के लिए 22.59 लाख रुपए का भुगतान किया था जो नियमों के अनुसार उचित नहीं है। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में यहां लिनेन कपड़ों की धुलाई के लिए 48.67 लाख रु. का अधिक भुगतान कर दिया गया। अस्पताल ने लिनेन कपड़ों की धुलाई का काम मेसर्स मित्तल लांड्री सर्विसेज से कराया था। इस फर्म ने 901382 कपड़ों की धुलाई का बिल प्रस्तुत किया, जबकि वास्तव में धुलाए गए कपड़ों की संख्या 221523 ही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोगी कल्याण समिति के सचिव ने फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का सत्यापन किया था, इस आधार पर वास्तविक सत्यापन किए बिना ही बिलों का भुगतान कर दिया गया।

INDIA TODAY April 10, 2017

salaries by Rs 3,000 [a month] where BKS had managed just Rs 200 last year," he says.

Palaspagar believes that with the BKS losing influence in the trade unions, it's an opportune moment to occupy the space. The BJP's Maharashtra spokesperson, Madhav Bhandari, believes the party being in power in both Maharashtra and Delhi is serving as a catalyst for the RJKS.

RJKS CLAIMS THEIR SUCCESS COMES FROM BEING ABLE TO BRING MORE BENEFITS TO WORKERS

For years, the leadership of Mumbai's trade and labour unions helped the Shiv Sena build a strong base among workers' families. The BKS produced several firebrand leaders for the Shiv Sena, including Dattaji Salvi, Chhagan Bhujbal and Narayan Rane.

BKS chairman Suryakant Mahadik, though, scoffs at suggestions of a challenge to his outfit. "The BKS is a trusted organisation among all trade workers," he says. "It works not only for wage increase but the self-respect of workers." ■

HIGH & MIGHTY

The Lowdown on CMs

Is your chief minister on the wrong side of the law? And is s/he living it up?

CRIME METRE

22	Devendra Fadnavis (BJP) *Maharashtra*
11	Pinarayi Vijayan (CPI-M) *Kerala*
10	Arvind Kejriwal (AAP) *Delhi*
8	Raghubar Das (BJP) *Jharkhand*
4	Amarinder Singh (Congress) *Punjab*
3	N. Chandrababu Naidu (TDP) *Andhra Pradesh*
3	Yogi Adityanath (BJP) *Uttar Pradesh*
2	V. Narayanasamy (Congress) *Puducherry*
2	K. Chandrasekhara Rao (TRS) *Telangana*
1	Mehbooba Mufti Sayeed (PDP) *Jammu and Kashmir*
1	Manohar Lal Khattar (BJP) *Haryana*

Number of pending cases (as stated in their affidavits to the Election Commission)

THE RICHEST

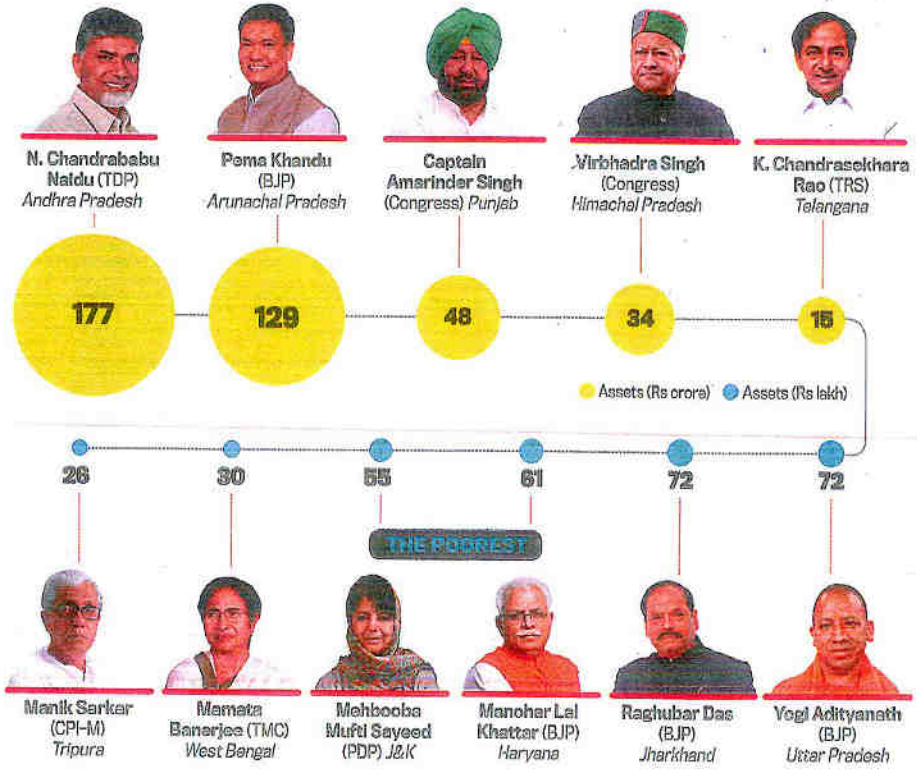

–Compiled by Kaushik Deka

MADHYA PRADESH

CAG Spooks Chouhan

In a report released at a news conference, the body makes damning Vyapam disclosures

By Rahul Noronha

^ **TURNING UP THE HEAT** Accountant general Saurabh Mallick presents the CAG report in Bhopal

Just when things seemed to be settling down for Madhya Pradesh chief minister Shivraj Singh Chouhan, with the CBI giving him a clean chit on allegations of tampering with a computer hard disk linked to Vyapam, comes a report by the Comptroller & Auditor General. Released at a news conference on March 24 instead of the usual route of being tabled in the assembly, the CAG report makes damning disclosures on numerous irregularities in the manner Vyapam or the MP Professional Examination Board has been conducting business under the BJP regime.

Stating that there's never been clarity on the real status of Vyapam—on whether it was a government department or an autonomous body—since it was set up in 1982, the CAG report red flags key appointments, be it of Pankaj Trivedi and Sudhir Singh Bhadoria as Vyapam's controller of examinations in the BJP regime, or of Yogesh Uprit as director under the Congress in 2003. The report says the state government transferred the task of all recruitments to Vyapam bypassing the State Staff Selection Commission.

Leader of opposition in the assembly, Ajay Singh, wants the CM's resignation. State Congress chief Arun Yadav questions Prime Minister Narendra Modi's silence. "BJP stalled Parliament when the same agency—CAG—pointed out anomalies in coal block allotments," he says. On its part, the BJP is questioning procedures. "Rather than tabling the report in the assembly, CAG held a press conference. This is against democratic tradition," state BJP spokesman Rahul Kothari said. ■

ऊंचे और असरदार

मुकदमे और मुख्यमंत्री

आपके मुख्यमंत्री पर कितने कोर्ट केस चल रहे हैं जानिए

क्राइम मीटर

22	देवेंद्र फड़नवीस (भाजपा) *महाराष्ट्र*
11	पिनाराई विजयन (सीपीएम) *केरल*
10	अरविंद केजरीवाल (आप) *दिल्ली*
8	रघुबर दास (भाजपा) *झारखंड*
4	अमरिंदर सिंह (कांग्रेस) *पंजाब*
3	एन. चंद्रबाबू नायडू (टीडीपी) *आंध्र प्रदेश*
3	योगी आदित्यनाथ (भाजपा) *उत्तर प्रदेश*
2	वी. नारायणसामी (कांग्रेस) *पुदुच्चेरी*
2	के. चंद्रशेखर राव (टीआरएस) *तेलंगाना*
1	महबूबा मुफ्ती (पीडीपी) *जम्मू-कश्मीर*
1	मनोहर लाल खट्टर (भाजपा) *हरियाणा*

लंबित मुकदमों की संख्या (इन नेताओं की चुनाव आयोग को हलफनामे में दी जानकारी पर आधारित)

संकलन: कौशिक डेका

मध्य प्रदेश

चौहान के ऊपर व्यापम की प्रेतछाया

सीएजी ने एक संवाददाता सम्मेलन में रिपोर्ट जारी कर व्यापम की अनियमितताओं के बारे में कई रहस्योद्घाटन किए

राहुल नरोन्हा

आज में भी महालेखाकार सौरभ मलिक भोपाल में सीएजी रिपोर्ट जारी करते हुए

जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए चीजें ठीक हो रही थीं और सीबीआइ ने व्यापम से जुड़ी एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, ठीक उसी वक्त नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट आई है. इस रिपोर्ट को हमेशा की तरह सीधे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया, बल्कि 24 मार्च को एक संवाददाता सम्मेलन में जारी किया गया. रिपोर्ट में सीएजी ने भाजपा की हुकूमत के दौरान व्यापम या राज्य के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के कामकाज के तरीके में ढेरों अनियमितताओं के खुलासे किए हैं.

रिपोर्ट कहती है कि व्यापम के असल दर्जे को लेकर कभी स्पष्टता नहीं रही. 1982 में इसके गठन के बाद से ही यह कभी साफ नहीं रहा कि यह सरकारी महकमा है या स्वायत्तशासी निकाय. सीएजी ने इसमें हुई कई नियुक्तियों पर सवालिया निशान लगाए हैं, चाहे वह भाजपा के शासनकाल में नियंत्रकों के तौर पर पंकज त्रिवेदी और सुधीर सिंह भदौरिया की नियुक्तियां हों या 2003 में कांग्रेस के मातहत निदेशक के तौर पर योगेश उप्रेती की नियुक्ति. रिपोर्ट यह भी कहती है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग को ताक पर रखकर तमाम भर्तियों का काम व्यापम को सौंप दिया.

विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहते हैं. प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अरुण यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हैं. वे कहते हैं, ''जब इसी एजेंसी—सीएजी—ने कोयले की खदानों के आवंटन में विसंगतियां बताई थीं, तब भाजपा ने संसद ठप कर दी थी.'' जहां तक भाजपा की बात है, तो वह प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रही है. राज्य भाजपा प्रवक्ता राहुल कोठारी कहते हैं, ''रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की बजाए, सीएजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है.'' ■

हेयर एण्ड केयर में गंजेपन से छुटकारा
मात्र १ घंटे में
यह सच है और बहुत अच्छा भी
हेयर वीविंग
बॉडिंग एवं क्लीपिंग
लेटैस्ट सिलीकॉन बॉडिंग
वापस लाएं अपनी हेयर स्टाइल
अमरीकी हेयर रिप्लेसमेंट सिस्टम
गंजापन
अब और नहीं

इस हैरतंगेज़ वीविंग तकनीक के एक लाभार्थी सचिन ने कहा "यह सचमुच एक चमत्कार है! केवल एक घंटे पहले मैं गंजा था पर धन्यवाद इस झटपट, दर्दरहित और गैर सर्जिकल अमरीकी हेयर रिप्लेसमेंट सिस्टम, हेयर एंड केयर द्वारा अब मेरे पास पूरे एवं कुदरती बाल हैं जिन्हें मैं कंघी कर सकता हूं, शैम्पू कर सकता हूं, जिनमें नहा एवं तैर सकता हूं और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ लहरा सकता हूं।
हेयर एण्ड केयर®
विजिट वेबसाइट
www.hairandcareindia.com
हेड ऑफिस
शॉप नं., 19 प्रथमतल समर्पित शिखर परिसर, एकात्म परिसर के सामने, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.)
फोन: 09827103630, 07716451630
ब्रांच ऑफिस
सी - 1, श्री साईं प्लाजा, सी.एम.डी. कॉलेज के सामने, लिंक रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
फोन: 09300660964